लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

Preservation Unit
18-6-82
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 53—गुरूवार, 5 मई, 1966/15 वैशाख, 1888 (शक)

No. 53—Thursday May 5, 1966/Vaisakha 15, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1483	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas	7847–49
1484	दामोदर घाटी निगम के पानी का दूषित होना	Pollution of D. V. C. Water	7849–51
1485	कृषि-कार्यों के लिये बिजली	Electricity for Agriculural Purposes	7851–54
1486	राजस्थान में स्टट बैंक की एक कर्मचारी वाली ग्रामीण शाखा	One-man Rural Branch of State Bank in Rajasthan.	7854–56
1487	नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या में विषमता	Disparity between Urban and Rural Population	2856–60
1489	एशियाई खाद्य न्यास स्थापित किया जाना	Creation of Asian Food Trust	7860–61
1491	तापीय बिजली घर	Thermal Power Stations	7861–63
1492	महंगाई भत्ते के बारे में मध्यस्थ निर्णय	Arbitration on Dearness Allowance	7863–65

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1488	आयुर्वेदिक स्नातक	Ayurvedic Graduates	7865
1490	जोधपुर कमर्शल बैंक	Jodhpur Commercial Bank	7865–66
1493	आसाम सरकार को राजस्व हानि	Loss of Revenue to Assam Government	7866
1494	अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमेरीकी संस्था	U.S. Agency for International Development	7866–67
1495	मूल्यों में स्थिरता बनाये रखना	Stabilisation of Prices	7867
1496	कलकत्ता के चांदी शोधक कारखाने में चोरी	Thefts in Silver Refinery, Calcutta	7867
1497	भारत में घुड़दौड़ी	Horse Races in India	7868
1498	अलाटियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों का किराये पर दिया जाना	Renting of Government Quarters by Allottees	7868

*किसी नामपर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—69 L.S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1499	ब्रिटन से ऋण	U. K. Loan	7868–69
1500	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि	Increase in Power Rates by N.D.M.C.	7869
1501	राज्यों के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता	D.A. to Employees in States	7869
1502	जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों को बोनस	Bonus to L. I. C. Policy Holders	7870
1503	मजूरी सम्बन्धी नीति	Wage Policy	7870
1504	राज्यो में अधिष्ठापित बिजली क्षमता	Installed Power Capacity in States	7871
1505	अफीम की खेती	Cultivation of Opium	7871
1506	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नकदी से भिन्न सहायता	Non-Cash Relief to Central Government Employees	7872
1507	दिल्ली में भूमि तथा गृह-निर्माण सम्बन्धी नीति	Land and Housing licy in Delhi	7872
1508	अनुसंधान शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) पर आय कर	Income-Tax on Research Fellowships	7872
1509	संतति निग्रह उपायों का जन्म दर पर प्रभाव	Impact of BirthControl Measures on Birth Rate	7873
1510	दिल्ली में मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices in Delhi	7873–74
1511	दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by D. E. S. U. Employees	7874
1512	अध्ययन अवकाश पर सरकारी कर्मचारी	Government Employees on Study Leave	7874–75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4809	त्रिचूर अस्पताल	Trichur Hospital	7875
4810	कोचीन जल संभरण तथा मल निकास योजना	Cochin Water Supply and Sewage Scheme	7875
4811	आयुर्वेद बोर्ड	Ayurveda Board	7876
4812	केरल में हैजा	Cholera in Kerala	7876
4813	शोलायार परियोजना	Sholayar Project	7876
4814	केरल में क्षय रोग	T.B. in Kerala	7877
4815	केरल में मेहतरों के लिये मकान	Houses for Scavengers in Kerala	7877
4816	केरल में बागान मजदूरों के लिये मकान	Houses for Plantation Labourers in Kerala	7877–78
4817	उड़ीसा में अल्प-आय वर्ग गृह निर्माण योजना	Low Income Group Housing Scheme in Orissa	7878

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4818	आयकर कार्यालय	Income-Tax Offices . . .	7878
4819	कृन्तक नियंत्रण समिति	Rodent Control Committee .	7879
4820	केरल में कुट्टनाड में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी सब डिवीजन	Public Health Engineering Sub-division in Kuttanad, Kerala .	7879
4821	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	7879
4822	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner's Reports	7879–80
4823	बन्धित श्रमिकों (बांडिड लेबर) की संख्या का सर्वेक्षण	Suvey for Incidence of Bonded Labour	7880
4824	दिल्ली राज्य हरिजन कल्याण बोर्ड	Delhi State Harijan Welfare Board	7880
4825	उड़ीसा को विद्युत परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Orissa for Power Projects . . .	7881
4826	दिल्ली में बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण	Sales Tax Appellate Tribunal in Delhi	7881
4827	दामोदर घाटी निगम	Damodar Valley Corporation .	7881
4828	चांदी का मूल्य	Price of Silver	7882
4829	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल	Hostels for Scheduled Castes in U.P.	7882
4830	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj . .	7882
4831	विदेश जाने वाल विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Students going Abroad . . .	7883
4832	ताप बीजली घर	Thermal Power Stations . .	7883–84
4833	उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Orissa .	7884
4834	उड़ीसा में गृह निर्माण योजनायें	Housing Schemes in Orissa .	7884–85
4835	उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Orissa	7885
4836	राज्यों में भिक्षावृत्ति	Beggary in States . . .	7885–86
4837	कोठागुडियम ताप बिजली घर	Kothagudem Thermal Station .	7886
4838	अन्तर्राज्य बिजली सप्लाई	Inter-State Power Supply . .	7886–87
4839	केरल के लिये मैडिकल कालेज	Medical College for Kerala .	7887
4840	स्वर्ण बांड	Gold Bonds	7887–88
4841	दामोदर घाटी निगम बिजली दर	D.V.C. Power Rate . . .	7888–89
4842	गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L.I.C. Advances for Housing Schemes . . .	7889
4843	उत्तर प्रदेश में जलरुद्ध क्षेत्र	Water-Logged Areas in U.P. .	7889

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4844	उत्तर प्रदेश की सिंचाई की क्षमता	Irrigation Potential of U.P.	7889
4845	आयकर अधिकारी-परीक्षा	Income-Tax Officers Examination	7890
4846	पंजाब को ऋण	Loan to Punjab	7890
4847	सिंचाई के लिये पानी	Water for Irrigation	7890–91
4848	धूम्रपान से हानि	Hazards of Smoking	7891
4849	रक्तदान करनेवाले लोगों को धन दिया जाना	Payment to Blood Donars	7891
4850	दिल्ली में जिला पार्क	District Parks in Delhi	7892
4851	गर्भ-निरोधक पदार्थों का निर्माण	Manufactures of Contraceptives	7892
4852	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की कर देयता	Tax Liability of Ex-Chief Minister of Orissa	7892
4853	होम्योपैथिक बोर्ड	Homoeopathic Boards	7893
4854	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति	Homoeopathic System of Medicine	7893–94
4855	तुंगभद्रा उच्चतम नहर (चरण दो)	Tungabhadra High Level Canal (Stage-II)	7894
4856	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आवंटन	Allotment of Flats by Delhi Development Authority	7894
4857	किशाऊ बांध	Kishau Dam	7895
4858	कमला नदी	Kamla River	7895
4859	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारी	Work Charged Staff of C.P.W.D.	7895–96
4860	स्टाफ कारों का उपयोग	Use of Staff Cars	7896
4861	सिक्कों की कमी	Shortage of Coins	7896–97
4862	अस्पतालों पर खर्च	Expenditure on Hospitals	7897
4863	समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance	7898
4864	रामगुण्डम परियोजना	Ramagundam Project	7898
4865	क्षय रोग उन्मूलन	Eradication of Tuberculosis	7898–99
4866	चिकित्सा शिक्षा पाने वाली छात्रायें	Girl Medicos	7899
4867	नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Urban Property	7899–7900
4868	गोदावरी नदी के पानी को मोड़ना	Diversion of Godavari Waters	7900
4869	पेय जल की सप्लाई	Supply of Drinking Water	7900
4870	दिल्ली में चेचक की महामारी	Small Pox in Delhi	7900–01
4871	महाराष्ट्र में ग्राम्य मकान निर्माण योजना	Rural Housing Scheme in Maharashtra	7901
4872	भारत सरकार के मुद्रणालयों (प्रेसों) में रिक्त पद	Vacant posts in Government of India Presses	7901

तारा० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4873	बम्बई में सोना तथा मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Gold and Currency in Bombay	7901–02
4874	खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाई	Oral Contraceptives . . .	7902
4875	कोपिली परियोजना	Kopili Project	7902
4876	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Orissa .	7902–03
4877	दण्ड स्वरूप किराया	Penal Rent	7903
4878	जवानों के परिवारों को बेदखली नोटिस	Eviction notices to Families of Jawans	7903–04
4879	निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees of W.H. & U.D. Ministry . .	7904
4880	चेय्यर नदी पर जलाशय	Reservoir on Cheyyer River .	7904–05
4881	सरकारी बस्तियों में सड़क की बत्तियां	Street Light in Government Colonies	7905–06
4882	जडीबूटियां	Medicinal Plants . . .	7906
	भुसावल गुड्स यार्ड में विस्फोट के बारे में	Re. Explosicn in Bhusaval Goods Yeard . . .	7906–07
	विशषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re : Point of Previlege	7907
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	7907–08
	सदस्यों की रिहाई—	Release af Members—	
	(सर्वश्री वेंकय्या तथा नारायण स्वामी)	(Sarvashri Venkaiah and Narayan Swamy)	7908
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members, Bills and Resolutions—	
	अठासीवां प्रतिवेदन	Eighty eighth Report . .	7908
	लोक-लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
	बावनवां प्रतिवेदन	Fifty Second Report .	7908
	भुसावल गुड्स यार्ड में विस्फोट के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Explosion in Bhusaval Goods Yard—	
	डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh .	7909
	नियम 219 का निलम्बन—	Suspension of Rule 219—	
	विधेयक को निबटाने के लिये विवाद बन्द करना	Application of Guillotine for disposal of Bill	7909

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
वित्त विधेयक, 1966—	Finance Bill, 1966—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
डा० मा० श्री अणे	Dr. M. S. Aney . .	7909–10
श्री अ० कु० गोपालन	Shri A. K. Gopalan . .	7910–11
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri .	7911–13
खण्ड 2 से 53 तथा अनुसूचियां	Clauses 2 to 53 and the Schedules	7914–56
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass, as amended—	
श्री रंगा	Shri Ranga	7956–57
श्री दाजी	Shri Daji	7957–58
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi. . .	7958
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . . .	7958
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri .	7958–59
सदस्यों की रिहाई—	Release of Members—	
(सर्वश्री उमानाथ तथा नम्बियार)	(Sarvashri R. Umanath and Ananda Nambiar) . . .	7959

लोक सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 5 मई, 1966/15 वैशाख, 1888 (शक)
Thursday May 5, 1966 /Vaisakha 15, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

*1483. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 410 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन राज्यों ने विकास सम्बन्धी संकेतों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया है तथा उन क्षेत्रों के विकास के लिये राज्यों को योजना आयोग द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ?

वित्त उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मद्रास सरकार को छोड़कर, सब राज्य सरकारों ने राज्य सीमाओं के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तर के बारे में आंकड़े उपलब्ध कर दिए हैं ।

राज्य सीमाओं के अन्तर्गत, उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के बारे में राज्य सरकारों के प्रस्ताव, राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के अंग होंगे और उन पर तदनुसार विचार किया जायगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिये अनुदान योजना के लिये निर्धारित व्यय में से अथवा अलग से दिय जायेंगे और क्या व अनुदान केवल पिछडे क्षेत्रों पर ही व्यय करने के लिये पृथगरक्षित रहेंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : चौथी योजना के अन्तर्गत हमारा उद्देश्य यह है कि विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशिष्ट राशियां निर्धारित की जायें ।

श्रीमती सावित्री निगम : पटेल आयोग के निष्कर्षों के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिये एक योजना बनाई गई थी और बराबर व्यय भी हो रहा था । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वह अब बन्द कर दिया गया है या अभी तक अनुदान दिये जा रहे हैं . .

श्री ल० ना० मिश्र : मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में एकदम कुछ नहीं कह सकता । उत्तर प्रदेश सरकार को इस क्षेत्र पर विशष ध्यान देना था । मेरी जानकारी यह है कि योजना में केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के लिये कोई विशेष राशि नहीं निर्धारित की गई है ।

श्रीमती सावित्री निगम : तो उन योजनाओं का क्या होगा जो अधूरी रह गई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से वित्तीय सहायता देना स्वीकार नहीं किया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं समझता हूं कि ये अधूरी योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार से ही सम्बन्धित हैं। अपनी विकास योजनाओं के लिये उन्हें ही व्यय करना चाहिये।

श्री दाजी : क्या (क) निष्पादन राज्य सरकार द्वारा होगा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा और (ख) क्या औद्योगीकरण, शिक्षा तथा कृषि को मिला कर एकीकृत योजना किसी एक अभिकरण द्वारा निष्पादित की जायगी अथवा विभिन्न योजनाओं के लिये तदर्थ अनुदान दिये जायेंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : तदर्थ अनुदान नहीं दिये जायेंगे। वास्तव में, जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया था उसने पिछड़े क्षेत्रों को पांच वर्गों में बांटा है। मैं इस समय ब्यौरा नहीं देना चाहता। उन्होंने विकास के सम्बन्ध में कुछ बोधक दिये हैं। औद्योगिक, कृषि, रोज़गार की व्यवस्था का सभी क्षेत्रों में एक सम विकास होना चाहिये।

श्री दाजी : इसका निष्पादन कौन करेगा?

श्री ल० ना० मिश्र : राज्य सरकार ही करेगी।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : विकास सम्बन्धी बकाया की गणना करने के लिये विशिष्ट मानदंड क्या हैं ? क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया है? क्या परिनियत बोर्ड बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है अथवा इस कार्य को पूरा करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था की जायेगी?

श्री ल० ना० मिश्र : इस समस्या की ओर राज्य सरकारों का ध्यान गया है। राज्य सरकारों ने भी योजना आयोग का ध्यान अपने अपने राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच असंतुलन की ओर आकर्षित किया है। यदि माननीय सदस्य तीसरी योजना की रिपोर्ट के अध्याय 19 को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि योजना आयोग ने इसके बारे में विशेष रुप से उल्लेख किया है। इसके लिये विशेष धनराशियां भी निर्धारित की गई थीं जो राज्य की योजना के लिये दी गई धनराशि के अन्तर्गत शामिल है। वह जारी है। इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा ही पूरा किया जाना है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : किन विशिष्ट सिद्धान्तों पर बकाया के बारे में गणना की जायेगी और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को किन उपायों के करने की सलाह दी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमने कोई विशिष्ट मंत्रणा नहीं दी है। इस सम्बन्ध में जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, कृषि का विकास, रेगिस्तानी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां अनावृष्टि को ज़ोर रहता है। पहाड़ी क्षेत्र जिन में सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं, ऐसे क्षेत्र जहां आदिम-जातियों की घनी आबादी है और ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या की सघनता है।

श्री बड़े: चौथी योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य सरकारों को अनुदान देने के बारे में सरकार ने किन मानदंडों को अपनाया हुआ है। क्या यह अनुदान प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जायेगा या क्षेत्रों के कम अथवा अधिक पिछड़े होने के आधार पर दिया जायेगा?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न पिछड़े हुए क्षेत्रों को धनराशि दिये जाने के बारे में है। यह प्रत्येक राज्य के लिये भिन्न है। केवल जन संख्या ही मानदंड नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने, विशेषकर बिहार राज्य की सरकार ने किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र मानने के लिये सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या शाहाबाद ज़िले का उत्तरी भाग भी इन में सम्मिलित है अथवा नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मैसूर, उड़ीसा तथा राजस्थान सरकारों ने सिफारिशें की हैं। माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Madhu Limaye : Do most of the backward areas fall in Uttar Pradesh, Bihar and Orissa? If so, does these include those areas of Orissa which are Famine stricken now-a days? If so, are statistics being collected regarding the number of deaths, the number of persons who are starving and per capita annual income in these areas?

Shri L. N. Mishra : Yes, Sir. Orissa is among the backward areas. Six other States of this type include those areas of Orissa. I cannot say whether the district just referred to is included or not.

Shri Madhu Limaye : Are statistics regarding deaths etc. being collected or not.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार योजना के लिये निर्धारित व्यय में से व्यय के लिये अनुमति दे रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय महिला सदस्य इस विषय पर तर्क-वितर्क करती जा रही हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उनके प्रश्न के पश्चात् पांच अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न श्री सुबोध हंसदा।

दामोदर घाटी निगम के पानी का दूषित होना

+

***1484. श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के पानी के दूषित होने के सम्बन्ध में अन्तिम सर्वेक्षण कब किया गया था ;

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या सभी उद्योगों से अपने काम के पश्चात् गन्दगी के बहाव को छोड़ने के लिये कहा गया है और क्या उन्होंने इस सुझाव को मान लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 1965 में।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाई जा रही है।

(ग) सभी उद्योगों को अपने काम के पश्चात् गंदगी के बहाव को छोड़ने के लिये कहा गया है और वे दामोदर घाटी निगम के सुझावों को काफी हद तक मान रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता है। क्या इस कार्य के लिये कोई स्थायी संस्था है और क्या पहले किये गये सर्वेक्षण से यह पता चला था कि दामोदर घाटी निगम का जल दूषित है? यदि हां, तो उस का क्या कारण है?

डा० कु० ल० राव : सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस के लिये एक विशेष संस्था है। यह संस्था पूरे वर्ष, जनवरी से दिसम्बर तक तीन अवस्थाओं में सर्वेक्षण करती है।

श्री सुबोध हंसदा : मैं उत्तर के भाग (ग) के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि क्या उद्योगों से ऐसा कहा गया है कि वे जल का निकास कर के नदी में न डालें बल्कि उस जल को सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग में लायें? क्या इस प्रकार की कोई योजना है?

डा० कु० ल० राव : उद्योगों से यह कहा गया है कि वे जल को पुनः नदी में डालने से पहले उसे शुद्ध कर दें जिस से जहां तक संभव हो नदी का पानी दूषित न होने पाये।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार के अनुरोध के फलस्वरुप कुछ उद्योगों ने यह अनुरोध रखा है कि गन्दगी को खाद बनाने के काम में लाने की अनुमति दी जाए?

डा० कु० ल० राव : मुझे इस प्रकार के सुझाव की जानकारी नहीं है परन्तु मुख्य बात यह है कि इस क्षेत्र में ऐसे अनेक उद्योग हैं और हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि गन्दगी के बहाव से नदी का जल दूषित न हो।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद सम्बन्धी तत्व के अनुपात की जानकारी के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि खाद सम्बन्धी तत्व के बारे में जांच करने के लिये एक केन्द्रीय योजना बनाए?

श्री कु० ल० राव : प्रत्येक उद्योग से कहा गया है कि वह गन्दगी को अपने संयंत्र में ही शुद्ध करें। प्रत्येक उद्योग का अपना तरीका होता है। उदाहरण के लिये कोयले धोने वाले उद्योग में बन्द (closed) प्रणाली है तथा उर्वरक कारखाने में 'रिकवरी' (recovery) प्रणाली है। अतः कोई समान प्रणाली नहीं है। विभिन्न उद्योगों ने कई तरीके अपनाये हुए हैं।

Shrimati Jayaben Shah : Since it has now become a regular feature that due to effluents flowing into river diseases spread. Does Government propose to take some action so that whenever an industry is started, some kind of guarantee is obtained from them that effluents will not be allowed to be discharged into river waters? What immediate action in this matter is being proposed?

डा० कु० ल० राव : स्वास्थ्य मंत्रालय नदी के जल को दूषित होने से रोकने के बारे में एक विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिये सम्मेलन बुला रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : ब्रिटेन में यह समस्या बड़ी तात्कालिक समस्या थी। उन्होंने जल को दूषित होने से रोकने के लिये एक विधेयक पेश किया था। क्या इस समस्या को केवल दामोदर घाटी निगम तक ही सीमित रख कर विचार किया जा रहा है अथवा भारत की सभी नदियों के बारे में भी जिनका जल किसी न किसी प्रकार से दूषित होता रहता है। विचार किया जा रहा है?

डा० कु० ल० राव : स्वास्थ्य मंत्रालय भारत की सभी नदियों के जल को दूषित होने से रोकने के लिये एक विधेयक लाने पर विचार कर रहा है। किन्तु दामोदर घाटी निगम में बड़े स्तर पर औद्योगिक कार्य चल रहा है और ऐसा संभव नहीं है कि हम अखिल-भारतीय अधिनियम बनने तक प्रतीक्षा कर सकें। दामोदर घाटी निगम अपने ही विनियमों के अन्तर्गत जल को दूषित होने से रोकने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : मेरे गुजरात राज्य में, बड़ोदा के निकट, एक नदी है जो ठीक नगर में बह कर जाती है और उस छोटी सी नदी में सारा औद्योगिक जल आकर गिरता है.....

अध्यक्ष महोदय : इसका दामोदर घाटी निगम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : यह नदियों के जल के दूषित होने से सम्बन्ध रखता है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : तब मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछता हूं। क्या सरकार कुंए अथवा नहर बना कर उन लोगों को सहायता देना चाहती है जो नदियों के जल के दूषित होने के कारण पीड़ित हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : उस विधेयक के मुख्य विशेषतायें क्या हैं और यह कब तक पारित हो जाएगा क्योंकि केवल दामोदर घाटी निगम में ही नहीं बल्कि उस प्रकार की सभी नदियों में जल दूषित हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न के उस भाग का उत्तर दिया जाए जिसमें पूछा गया है कि विधेयक कब तक पारित हो जाएगा। माननीय मंत्री यह नहीं बता सकते कि विधेयक के कौन कौन से खण्ड हैं।

डा० कु० ल० राव : इस प्रश्न को स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा जाये।

Electricity for Agricultural Purposes

+

*1485. **Shrimati Savitri Nigam** : **Shri Vishwa Nath Pandey** :
Shri D. N. Tiwary : **Shri Dhuleshwar Meena** :
Shri M. L. Dwivedi : **Shri Ramachandra Ulaka** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Laxmi Dass** :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state the reaction of Government to the following recommendations made by the Chairmen of the State Electricity Boards at the conference held in November, 1965.

(a) that the electricity used for agricultural purposes should be duty-free; and

(b) that the Central and State Governments should subsidise portion of the rate of electricity charges above 12 paise per k.w.h.?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु०ल० राव) : (क) तथा (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिये बिजली की खपत को शुल्क मुक्त बनाने के सम्बन्ध में नवम्बर, 1966 में हुए राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्षों के सम्मेलन ने सिफारिश की और राज्य सरकारों को ध्यान दिलाया गया था और उन से प्रार्थना की गई थी कि वे उस सिफारिश को ध्यान में रख कर कार्यवाही करें। महाराष्ट्र सरकार कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये प्रयोग में लाए जा रहे 10 हार्स पावर तक के पम्पों को चलाने में ऊर्जा की खपत पर बिजली शुल्क नहीं लेती है। मध्य प्रदेश सरकार कृषकों से उस बिजली पर जो वे अपनी भूमि के लिये अथवा चारा काटने अथवा गन्ना पेलने अथवा अपनी भूमि से हुई उपज के उपचार के लिये बेची

गई अथवा उस के द्वारा प्रयोग में लाई गई हो कोई बिजली शुल्क नहीं लगाती है। आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिये बिजली की खपत पर कोई बिजली शुल्क नहीं लगाया जाता है। अन्य राज्य सरकारें अभी इस मामले की जांच कर रही हैं।

(ख) सारे देश में कृषि सम्बन्धी कामों में बिजली की खपत करने वालों को 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक न देना पड़े, इस प्रश्न पर भारत सरकार ने विचार किया है। यह निर्णय किया गया है कि कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिये बिजली दरों में उतनी मात्रा तक उपदान दिया जाए जितने वे 1-1-1966 को 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक हों। इस उपदान व्यय को केन्द्रीय व संबद्ध राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात से बांटा जाएगा। फिलहाल यह उपदान 1966-67 से शुरू होकर तीन वर्षों के लिये होगा।

श्रीमती सावित्री निगम : इस विवरण में कहा गया है कि कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकारें और अन्य राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं। माननीय मंत्री कृपा कर के मझे बतायें कि अभी कितने समय तक और यह मामला विचाराधीन रहेगा और हमारे बार बार अनुरोध करने पर भी अभी तक उन्होंने राज्य सरकारों से इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये क्यों नहीं कहा है? और यदि उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है, तो वे दरों में कमी कब तक कर देंगे.....

अध्यक्ष महोदय : एकसाथ इतने प्रश्न किये गये हैं और जब उत्तर पूर्ण नहीं होते तो माननीय सदस्य शिकायत करते हैं .....

श्रीमती सावित्री निगम : केवल एक प्रश्न है—कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये बिजली का इतनी ऊंची दरों पर दिया जाना कब तक बन्द हो जाएगा और एकसम दर कब तक लागू किये जायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : अपने प्रश्न में माननीय सदस्या ने कितने "और" प्रयोग किये हैं।

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्या ने वाक्य की ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब इत्यादि में पहले से ही बिजली शुल्कमुक्त है। ऐसे सात राज्य हैं जिन्होंने बिजली पर शुल्क लेना बन्द कर दिया है। अन्य 9 राज्यों को अभी इस उपाय का अनुमोदन करना बाकी है।

श्रीमती सावित्री निगम : कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिये बिजली की दरों में क्या अन्तर है?

डा० कु० ल० राव : इस प्रश्न को कई बार दुहराया गया है। आप सामान्य रूप से यह समझ लें कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिये बिजली की दर कृषि सम्बन्धी उद्देश्य के लिये बिजली की दर से कम होगी।

श्रीमती सावित्री निगम : एक एकक में क्या अन्तर है? यह बहुत आसान है। आप यह एक मिनिट में बता सकते हैं।

डा० कु० ल० राव : जसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, औद्योगिक उद्देश्यों के लिये दर करीब 3 से 4 पैसे तक होगी और कृषि सम्बधी उद्देश्यों के लिये दर 8 से 12 पैसे के बीच होगी। इसके अनेक कारण हैं।

Shri Chandramani Lal Chaudhury : Though there is great scarcity of foodgrains in the country, the rates of electricity for industrial purposes have been kept very low and the rates for agricultural purposes have been kept quite high. What is the policy of Government in this connection? Is there any proposal to reduce the rates of electricity for agricultural purposes?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने कई बार कहा है यह संभव नहीं है कि औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये बिजली की एकसी दरें रखी जायें। पहला कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो विद्युत शक्ति काम में लाई जाती है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है और वह कई लाख रुपये की होती है जबकि कृषि के क्षेत्र में वह केवल 10, 20 अथवा 40 रुपये की होगी। दूसरी बात यह है कि विद्युत् शक्ति की जो मात्रा कृषि के क्षेत्र के लिये ली जाती है वह एक वर्ष में 2,000 घंटो के लिये ली जाती है जबकि औद्योगिक क्षेत्र के लिये वह पूरे वर्ष बराबर ली जाती है। तिसरी बात यह है कि उद्योग एक ही स्थान में केन्द्रीत होता है और उद्योग के लिये पारेषण लाइन डालने में व्यय कम आता है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारेषण लाइनें सारे देश में फैली होती हैं इन लाइनों को डालने में अधिक व्यय आता है।

यही कारण है कि—अन्तर्निहित लागत का काफी अधिक होना—कृषि के लिये वही दर, जो अन्य उत्पादन के लिये दी जाती हैं, हमेशा देना संभव नहीं है।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता देना चाहती है और इसके लिये प्रत्येक संभव सुविधा देना चाहती है ताकि बिजली का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, सरकार इस प्रश्न के भाग (ख) पर कब उचित ध्यान देगी कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बिजली शुल्क की कुछ दरों में राज्य सहायता देनी चाहिये, ताकि कृषि प्रयोजन के लिये दी जाने वाली बिजली पर वही शुल्क लिया जाये जो औद्योगिक प्रयोजनों के लिये दी जाने वाली बिजली पर लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर स्वयं विवरण में दिया गया है।

श्री रंगा : यह मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय कब उचित ध्यान देंगे?

डा० कु० ल० राव : कृषि के लिये बिजली की दर को 12 पैसे प्रति यूनिट से कम करना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य सहायता की राशि कई करोड़ रु० हो जायेगी। इस मामले पर काफी समय तक विचार किया गया है। वास्तव में कृषि उद्योग के लिये विद्युत जनन की दर काफी ऊंची होगी; यह लिये जाने वाले शुल्क से डेढ़ गुना; अतः यह स्वयं ही राज्य सहायता है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव की प्रशंसा करता हूं। शायद हमारे मंत्री इस मामले पर पुनः बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या इस को और घटाया जा सकता है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : During the rainy seasons the tube-wells are not worked. Do Government propose to stop taking electricity charges for that period?

डा० कु० ल० राव : राज्यों को की गई सिफारिशों में से यह एक महत्वपूर्ण सिफारिश है

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित परियोजनाओं से दी जाने वाली बिजली की दर भिन्न है और परियोजना के क्षेत्र में बिजली की दरें कम हैं और बाहर के क्षत्रों में अधिक है?

डा० कु० ल० राव : मैं प्रश्न को पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं। सामान्यतः जो स्थान बिजली घर से दूर है वहां पर बिजली की दरें ऊंची होंगी क्योंकी उनको बिजली ले जाने का खर्च भी सहन करना पड़ेगा।

Shri K. N. Tiwary : May I know whether those states which have not exempted levy of electricity duty on consumption of energy in the working of the pumping sets of capacity not exceeding 10 H.P. used for agricultural purposes, have expressed any difficulties due to which they are not giving such like facilities? If so, the nature of assistance proposed to be given by the Central Government in this regard.

डा० कु० ल० राव : उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि वे सहमत होंगे ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार कृषि प्रयोजनों के लिये दी जाने वाली बिजली के निम्नतम उपभोग, या उसके निम्नतम भुगतान को समाप्त करने या उसको कम करने का है जसा कि पंजाब में ?

डा० कु० ल० राव : इसके लिये भी सिफारिश की गई थी और हमें आशा है कि काफी लोग इससे सहमत होंगे –कृषकों से निम्नतम शुल्क लिया जाये।

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that in U. P. alone 26,000 tube-wells are not functioning, because they have not been given electric connections while every cinema house has been given electric connection ? If so, are government prepared to announce tnat unless agricultural requirement is met, electricity will not be supplied for any other purpose?

डा० कु० ल० राव : हमें इसका पता नहीं है कि इतने नलकूप बिना बिजली के हैं।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नलकूपों का एक कमांड क्षेत्र है और सरकार जिले के किसी नलकूप के 4 मील के दायरे में सरकार गैर-सरकारी नलकूप को बिजली नहीं देती है और साथ ही, सरकार को डीजल तेल से चलने वाल नलकूप लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : हमें इसका पता नहीं है। यदि माननीय सदस्य पत्र लिख देंगे तो हम मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इस सिफारिश को, कि कृषक 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं देंगे (शुल्क सहित) प्रत्येक राज्य में लागू किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : 12 पैसे की दर प्रत्येक राज्य में नहीं है। जहां कहीं नीची दरें है, जैसे कि मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में, हम उनको दरें बढ़ाने लिये नहीं कहते हैं। हम जो कहते हैं वह यह है कि अधिकतम दर 12 पैसे लिया जा सकता है और हम आशा करते ह कि इस पर बिजली शुल्क नहीं होगा।

राजस्थान में स्टेट बैंक की एक कर्मचारी वाली ग्रामीण शाखा

+

*1486. **श्री स० चं० सामन्त** : **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बक आफ इंडिया ने राजस्थान राज्य में एक कमचारी वाली ग्रामीण शाखा खोली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रयोग के क्या परिणाम रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। बीकानेर और जयपुर राज्य बैंक ने, जो भारतीय राज्य बैंक का सहायक बैंक है, 11 दिसम्बर, 1965 से राजस्थान के दूदू नामक स्थान पर, प्रयोग के रूप में एक कर्मचारीवाला कार्यालय खोला है। आशा की जाती है कि यह जयपुर जिले के लगभग 40 गांवों की जरूरतों को पूरा करेगा।

(ख) चूंकि बैंक कुछ ही महीनों से काम कर रहा है, इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि जमा के रूप में बचत की कितनी रकम जुटायी जा सकेगी या दूसरा कौनसा काम किया जा सकेगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या कृषकों द्वारा इन बैंकों से ऋण लेने संबंधी नियमों को उदार बनाया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ सुविधाएं दी गई है, और नियमों को भी उदार बनाया गया है परन्तु इस समय मैं इस सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी नहीं दे सकूंगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या राजस्थान की सभी तहसीलों में स्टेट बैंक की शाखाएं खोली गई हैं, और यदि हां, तो क्या उसके बाद ग्रामीण बैंक खोले गये हैं अथवा यह एक विशिष्ट मामला है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसका पता नहीं है कि क्या सभी जिलों में स्टेट बैंक की शाखाएं है ; शायद हों। परन्तु इस बैंक से न केवल जिला के नगरों में ही बचत को बढ़ावा मिलेगा अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी और यह गांवों की आवश्यकता पूरी करेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : चूंकि सभी बैंकों पर रक्षित बैंक का नियन्त्रण है, फिर इन बैंकों के चलाने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों और विनियमों का माननीय मंत्री को क्यों पता नहीं है, और क्या यह प्रयोगात्मक बैंक अन्य राज्यों में भी खोला जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसी जानकारी चाहती हैं जो माननीय मंत्री के पास नहीं है। जब मंत्री महोदय को अवगत नहीं है तो वह क्या जानकारी दे सकते हैं ? प्रश्न के केवल दूसरे भाग का उत्तर दिया जाये।

श्री ब० रा० भगत : ऐसा पहले ही चार अन्य स्थानों पर किया गया है। एक हैदराबाद में, दूसरा सौराष्ट्र में, तीसरा पतियाला में और चौथा मैसूर में; अतः राजस्थान सहित ऐसा पांच राज्यों में किया गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : नियम क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : नियम मुद्रीत रूप में देखें जा सकते हैं।

श्री सुबोध हंसदा : इस बैंक द्वारा अब तक क्या व्यापार किया गया है ? इस प्रयोगात्मक शाखा के खोले जाने के समय से अब तक कितने लोगों ने खाते खोले हैं और इस प्रयोगात्मक शाखा के खुल जाने से उनको कहां तक प्रोत्साहन मिला है ?

श्री ब० रा० भगत : इस बैंक का मुख्य कार्य बचत बैंको के निक्षेपों को खेंचना और अग्रीम धन देना है ; निश्चित अग्रीम धनों की राशि की निम्नतम सीमा अनाज या बीज या विभिन्न अन्य आस्तियों के विरूद्ध भी 5,000 रु० से घटा कर 200 रु० कर दी गई है। जहां तक अब तक किये गये व्यापार का सम्बन्ध है, जैसा ही मैंने कहा यह केवल कुछ ही महीनों से काम कर रहा है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार को पता है कि गरीब किसान अब भी साहूकारों और महाजनों के रहमोकरम पर हैं, विशेषतः आसाम जैसे राज्य में जहां कि ग्रामीण ऋण सुविधाएं ना के बराबर है, यदि हां, तो क्या ग्रामीण लोगों के लिये ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न एक विशिष्ट स्थान पर एक कर्मचारी वाले बैंक से सम्बन्ध रखता है। इसको आप बाद में कभी सामान्य चर्चा में उठा सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय को पता है कि हमारे दश में एक गैर-सरकारी बैंक कुछ समय से ऐसी शाखाएं खोलने का प्रयास कर रहा है जिनमें केवल महिला कर्मचारी ही होंगी। मेरा विश्वास है कि दिल्ली में भी एक शाखा खोली गई है, और यदि हां, तो क्या यह तजर्बा सफल रहा है और क्या सरकार भी इस प्रकार की शाखाएं खोलना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरि विष्णु कामत : एक व्यक्ति की शाखा की तरह सभी महिलाओं की शाखा?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह दिल्ली में है और आपको इसकी जानकारी नहीं है?

श्री बालकृष्णन : अन्य बैंकों की अपेक्षा स्टेट बैंक के दैनिक कार्य में बहुत देर लगाई जाती है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देर न लगे?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री ब० रा० भगत : स्टेट बैंक में देरी एक पृथक प्रश्न है।

Disparity between Urban and Rural Population

\+

*1487. **Shri Madhu Limaye** : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Yashpal Singh : **Shri Bibhuti Mishra** :
Dr. Ram Manohar Lohiya :

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the speech delivered by the former Minister of Steel and Mines, Shri Sanjeeva Reddy at the INTUC Conference at Hyderabad, wherein he had emphasized the need to bring a parity between the living standard of rural and urban population;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether Government have studied the effects of the three successive Five Year Plans on this disparity; and

(d) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Yes, Sir. In the course of his speech Shri Reddy had stated that "the imbalance between the rural and urban sectors was marked". The position as thus stated by him is substantially correct.

No quantitative assessment has been made of the precise effects of the three Five Year Plans on this disparity. But it is well known that the various schemes of social and economic development of the three plans have been drawn up and implemented with the object of benefiting the rural population.

Shri Madhu Limaye : In the statement it is given that no quantitative assessment has been made of the precise effects of the three Five Year Plans on this disparity. Even after the Completion of these plans the Government is not able to state the disparities and their reasons. Great fighters of national freedom struggle Dadabhai Nauroji, Ranade and Gokhale, whose birth centenary we are going to celebrate had said that daily 6-7 crores of people go to bed without taking meals. Is the hon. Minister aware that at present due to the disparity in urban and rural population 10-12 crores of people get only one meal a day and go to bed without taking anything? Do Government propose to draw a concrete plan in this regard?

Shri L. N. Mishra : These are imaginary figures....

Shri Madhu Limaye : They are not imaginary, Dadabhai Nauroji wrote it. On what basis you can contradict me when you do have no figures ?

Shri Lalit Narain Mishra : I am not contradicting you, but these figures are imaginary. I agree that sufficient provision is not made for the rural population. Special attention has been paid to this aspect in the five year plans. The amounts of Rs. 800 crores, 1670 crores and 4800 crores were provided for being spent in the rural sector in the first, Second and Third Five Year Plans, respectively. In the Fourth Plan the provision for small irrigation is being revised from Rs. 990 crores to 2372 crores. We propose to increase the expenditure relating to village and small scale industries by 75 per cent and that in respect of rural electrification and elementary education by 100 per cent. Rs. 169 crores will be spent in rural areas out of the grant of Rs. 188 crores relating to backward classes. If you go to the villages you will find that their conditions have improved, but not to the desired extent.

Shri Madhu Limaye : The Irrigation Minister of Bihar had made a statement that irrigation facilities will be provided free of cost this time for the *Rabi* crop. May I know whether provision is made in the Fourth Plan for the supply of cheap electricity, free irrigation water etc., to develop the rural areas?

Shri L. N. Mishra : Although I also belong to Bihar, I am not aware of any such statement having been made. The question of supplying free irrigation water and electricity is a policy matter. Personally, I feel that there cannot be anything better than this. You are a socialist and you know that there should be a price policy for it. In a Socialistic pattern of society we should talk of giving encouragement and assistance and not these things.

Shri Yashpal Singh : Previously the canal water used to be supplied for irrigation once a week, whereas now it is being supplied once in 45 days, but its rates continue to be the same. On the other hand the irrigation tax has been enhanced by 25 per cent recently. In view of this how the Government propose to give relief to the cultivators?

Shri L. N. Mishra : I do not have information of this particular thing. As regards the question of giving relief, efforts are being made for that they are being given incentive for growing more foodgrains. Other steps are also being taken for the welfare of rural areas. The betterment of the rural areas can also be brought

about by what the hon. Member has suggested. But so for as U. P. is concerned I am not aware of the changes that have occurred there and I will look into this matter.

Shri Prakash Vir Shastri : According to 1961 census 82 per cent population of this country lives in villages and 18 per cent in the cities. But all the engineering, medical and other technical Colleges are getting centralised in the cities. May I know whether in the future Plans Government propose to establish such institutions in rural areas also?

Shri L. N. Mishra : The figures of 82 and 18 percent are correct. In 1951 it was 83 and 17. There has been a difference of one per cent. The reason for this is not that the population has increased in cities but that the villages have been developed into cities. Take the care of iron factories. Many otner projects have also been taken to the villages. These factories have given them the form of cities.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was different. I said about Medical colleges, engineering colleges and technical institutions.

Shri L. N. Mishra : This is a suggestion. This is also being implemented. I think we have the programme and policy of rural University.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In 1954-55 the Government got conducted an enquiry about the rural indebtedness. That enquiry revealed that the rural indebtedness was increasing day-by-day. Has the Government drawn any plan to relieve the rural population of the debt, it so, the nature thereof ? Has any recent enquiry been made in the rural indebtedness?

Shri L. N. Mishra : I do not know about tne enquiry, but I remember tnat once a rural credit survey was made. It is correct that there was rural indebtedness. After that the matter of providing cneap credit came up and there was the land mortgage plan. I cannot go into detail, but I can only say that this is a problem which has caught the attention of the Government.

Shrimati Jayaben Shah : Do Government propose to make the Fourth Plan rural oriented or not? At present only 2-3 percent of the rural credit is met by the cooperative sector. What measures Government propose to take to lessen the disparity between the urban and the rural population?

Shri L. N. Mishra : I have already mentioned what we are doing for the rural areas. It is correct that the standard of living of the rural population is very low. We have full sympathy with these people. the per capita expenditure in rural areas is Rs. 22 while in urban areas it is 52. There is no difference of opinion that relief should be given to the rural population.

Shri Tan Singh : May I know whether the Government will keep in view the disparity between the urban and the rural population in the Fourth Plan and whether a scheme is being drawn to bridge this gulf ?

Shri L. N. Mishra : Proportionally the disparity has not increased. Still there is great disparity and the development is going on in both the sectors, though at a greater space in the urban areas. But to say that there is stagnation in rural areas is not correct.

Shri Kishan Pattnayak : What steps Government propose to take to increase the per capita income of the rural population?

Shri L. N. Mishra : We want that they should be made available the resources like irrigation, electricity. We cannot increase their income by free distribution of wealth. Resources should be made available to them.

Shri Ganpati Ram : Are Government aware that in rural areas people belonging to the Scheduled castes, Scheduled tribes and tne agricultural labour have completely been deprived of the facilities like irrigation, electricity and industry? No benefit nas accrued to them from these facilties. What steps Government propose to take for their economic upliftment?

Shri L. N. Mishra : To say that the agricultural labour has not benefited from the irrigatinal facilities is not crorect. Regarding backward classes I have already stated that out of Rs. 188 crores an amount of Rs. 169 crores has been spent on the welfare of the backward classes.

श्री कडंप्पन : क्या सरकार यह बता सकती है कि तीन योजनाओं की क्रियान्विति के बाद विषमता बढ़ी है या घटी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं और माननीय सदस्य उससे अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

श्री कडंप्पन : मुझे कोई आंकड़े नहीं चाहिये। मैं तो एक सामान्य संकेत चाहता हूं।

श्री ल० ना० मिश्र : यह हिसाब की बात है। 1958–59 में नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय 28 रु० था जबकि आज यह 32 रु० है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 20 रु० था जब कि आज 22 रु० है। यह 20 रु० के मुकाबिले 28 रु० था आज 22 रु० के मुकाबिले 32 रु० है।

श्री दाजी : यह बढ़ गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह हिसाब लगाकर उत्तर दें।

श्री दाजी : वह उप-वित्त मंत्री हैं और वह हिसाब नहीं जानते।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने हिसाब नहीं लगाया है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सरकार उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और उनको गांवों में ले जाने पर विचार कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना हमारी मुख्य नीति है।

श्री रंगा : क्या मंत्री महोदय यह मानते हैं या जानते हैं कि गत 15 वर्षों में शहरी और ग्रामीण लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में और उनकी प्रति व्यक्ति आय में भी विषमता बढ़ी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं यह नहीं कह सकता कि विषमता बढ़ी है। ग्रामीण जनता की हालत में सुधार के लिये हमने जो प्रयत्न किये हैं मैंने उनका उल्लेख पहले ही कर दिया है। हमारे देश के 82 प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं और केवल 18 प्रतिशत ही शहरों में रहते हैं। इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि शहरों में रहने वाले लोगों को अपनी हालत सुधारने के अच्छे अवसर मिलते हैं। अतः शहरी क्षत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकास है।

श्री दाजी : माननीय मंत्री एक ओर तो कहते हैं कि विषमता नहीं बढ़ी हैं और दूसरी ओर उनके दिये गये आंकड़ों से यह निश्चित है कि विषमता बढ़ी है। अतः यह स्पष्ट है कि जब तक ग्राम्य विकास के लिये हमारी नीति में आमूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक योजनाओं पर अधिक रुपया खर्च करने से तो विषमता केवल बढ़ेगी ही। अतः क्या सरकार इस पर विचार करेगी और नीति में परिवर्तन लायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह नीति की बात है। हमारी नीति है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। हमने इसके लिये अनेक उपाय किये है।

एशियाई खाद्य न्यास स्थापित किया जाना

*1489. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री हरि विष्णु कामत :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खाद्य न्यास की स्थापना करने के बारे में, जिसका नियंत्रण एशियाई विकास बैंक के हाथ में होगा, कोई सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सुझाव का निश्चित स्वरूप क्या है और यह न्यास किस प्रकार कार्य करेगा ;

(ग) क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार का ध्यान, 6 जनवरी 1966 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका सरकार को ऐसा सुझाव दिया गया है कि वह अपने समस्त फालतू अनाज का एक एशियन फूड ट्रस्ट बनाये? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जटिलताओं पर विचार किया है और क्या वास्तव में इस ट्रस्ट की स्थापना से भारत को लाभ होगा अथवा भारत हानि की स्थिति में रहेगा ?

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न यह है कि क्या बनाये जाने वाला एशियन विकास बैंक एशियन फूड ट्रस्ट का कार्य भी देखेंगा। एशियन विकास बक अभी स्थापित नहीं किया गया है। इसलिये फड ट्रस्ट तथा किसी अन्य ट्रस्ट के प्रबन्ध आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीनारायण दास : वर्तमान स्थिति यह है कि हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से बडे पैमाने पर अनाज का आयात कर रहे है। क्या इस ट्रस्ट के स्थापित हो जाने के पश्चात इस स्थिति में कुछ सुधार होगा ? क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर भी विचार किया है ?

श्री ब० रा० भगत : हम ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है क्योंकि हमारे पास ऐसा किसी ट्रस्ट का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिये यह प्रश्न ही प्राक्कल्पिक है।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछले सत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते समय श्री मनभाई शाह ने कहा था कि रूस एशियन विकास बक में धन नहीं लगा रहा है और अमरीका इस में पहल ही शामिल हो गया है क्या उसके पश्चात कोई नई बात हुई है अथवा क्या ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि रूस भी इस बैंक में शामिल हो जायेगा यदि अभी तक वह इस में शामिल नहीं हुआ है। क्या खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) की ओर से अल्प विकसित अथवा अर्ध विकसित देशों की सहायक देशों द्वारा सहायता के लिये विश्व फूड ट्रस्ट बनाने का कोई सुझाव दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है। क्या आप मुख्य प्रश्न की ओर ध्यान देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : यह प्रश्न एशियन विकास बैंक से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या एशियन विकास बैंक एशियन फूड ट्रस्ट स्थापित करेगा अथवा नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जानता हूं। परन्तु एशियन फूड ट्रस्ट एक प्रकार से एशियन विकास बैंक का ही एक भाग है।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी इसको नहीं बढ़ाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : तब दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाये। क्या विश्व फूड ट्रस्ट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ? न कि एशियन फूड ट्रस्ट ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। शायद मेरे साथ, खाद्य तथा कृषि मंत्री इस बारे में कुछ अधिक जानते हों।

श्री सुबोध हंसदा : न केवल भारत में बल्कि विश्व में अनाज की कमी को देखते हुए क्या सरकार का विचार अल्प-विकसित देशों को समय पर अनाज की सप्लाय करके सहायता हेतु कोई ऐसा ट्रस्ट बनाने का है।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य कहते हैं कि समूचे विश्व में अनाज की कमी है। फिर तो ऐसे किसी ट्रस्ट के स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं है। इसका केवल यही हल है कि भारत जैसे देश कृषि उत्पादन को बढ़ाये।

तापीय बिजली घर

+

*1491. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री तिरूमल राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय बिजली घर स्थापित करने के लिये योजना आयोग ने क्या सिद्धान्त निर्धारित किये हैं ?

(ख) गत दो वर्षों में ऐसे कितने बिजली घर मंजूर किये गये हैं जो कोयला क्षेत्रों से दूर हैं और उन की क्षमता क्या है ; और

(ग) कोयला ढोने के कारण इन में से प्रत्येक बिजली घर को कितनी वार्षिक हानि होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार ताप बिजली केन्द्रों को यथा व्यावहार्य खानों, कोल वाशरियों तथा तेल शोधक कारखानों के पास स्थापित किया जाना चाहिये।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान तीन नये ताप बिजली केन्द्रों को स्वीकार किया गया है, जो कोयले के क्षेत्रों से दूर स्थित हैं। ये केन्द्र निम्नलिखित हैं :—

(1) मद्रास राज्य में एन्नोर ताप केन्द्र (प्रतिष्ठापित क्षमता 330 मैगावट)

(2) नासिक ताप केन्द्र (प्रतिष्ठापित क्षमता 280 मैगावाट) और

(3) महाराष्ट्र राज्य में पुर्ली ताप केन्द्र (प्रतिष्ठापित क्षमता 60 मेगावाट)।

अन्तिम दो केन्द्रों को सिद्धान्त रुप से 1963 में स्वीकार किया गया था ।

(ग) एन्नोर ताप बिजली केन्द्र के मामले में कोयले के क्षेत्रों से कोयला ले जाने की लागत 190 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी। नासिक बिजली घर के मामले में यह 176 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी और पुर्ली ताप केन्द्र के मामले में 36 लाख रुपये प्रति वर्ष। किन्तु इस का आशय यह नहीं कि इससे वित्तीय हानि होगी क्योंकि बिजली सम्भरण की वैकल्पिक स्कीमों पर खर्च अपरिहार्य होगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : On seeing the report it appears that 402 lakhs of rupees more have been spent on the Thermal Power Plant situated near coal mines. I want to know whether these Power Plants have been established due to some political pressure. If so, what are those pressures ?

डा० कु० ल० राव : आम तौर पर मैं इस सिद्धान्त को मानता हूं कि जहां तक सम्भव हो तापीय बिजली घरों को कोयला खानों के निकट ही स्थापित किया जाना चाहिये। परन्तु किसी भी बिजली घर की स्थापना के स्थान के बारे में निर्णय लेने से पूर्व प्रत्येक मामले में कुछ विशेष बातों पर विचार करना होता है। एन्नोर के इस विशेष मामले में यह सोचा गया था कि किसी अन्य स्थान पर इसको स्थापित करने से अधिक समय लग जायेगा। मद्रास राज्य में बिजली की अधिक मांग है भी और वहां पर दर भी कम है। इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रख कर एन्नोर में बिजली घर स्थापित करने का निर्णय किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके लिये कोई राजनैतिक दबाव भी पड़ा था।

डा० कु० ल० राव : कोई राजनैतिक दबाव नहीं पड़ा था।

अध्यक्ष महोदय : वह यही जानना चाहते थे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the reasons why Government have not set up any Power Plant near the coal mines? If they have already set up any, then I would like to know the number and location of each such Power Plant and if Government propose to set up any such Plant now then. I would like to know the place where they propose to set up such Plants?

डा० कु० ल० राव : हाल ही में हम ने जहां तक सम्भव हो कोयला खानों के निकट ही बिजली घर स्थापित करने की नीति बनाई है । बिहार, पथरालू, बंगाल में सनथान्डी, आंध्र प्रदेश में कोटागुडम तथा महाराष्ट्र में नागपुर बिजली घर ये सभी कोयला खानों के निकट ही बनाये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहता है कि क्या भविष्य में अन्य ऐसे बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है ।

डा० कु० ल० राव : जहा तक सम्भव होगा दूसरे भी कोयला खानों के निकट ही बनाये जायेंगे ।

Shri Yashpal Singh : Now a days farmers have to pay heavy taxes for electricity. Will the hon. Minister be pleased to tell whether the farmers would get some relief or it would become more dear to them after the setting up of these Thermal Power Plants?

डा० कु० ल० राव : मेरे विचार में माननीय सभा चाहती है कि कृषकों पर अधिक ध्यान दिया जाये और हम किसानों को कम दरों पर बिजली देने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री बड़े : विवरण में यह बताया गया है कि मद्रास में 190 लाख, नासिक में 176 लाख और परली में 36 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इस सबस्थानों में कोयलाखानों से कोयला लाने के लिये 402 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि इन सब में कोई वित्तीय हानि नहीं है क्योंकि विद्युत के परिवहन की वैकल्पिक योजनाओं पर खर्च होगा। यह स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। यदि कोयला कम खर्च पर लाया जाता है तो बिजली की दर भी कम होगी और इससे किसानों को अधिक लाभ होगा।

डा० कु० ल० राव : विवरण में जो कुछ बताया गया है वह कोयले के उचित स्थानों पर ले जाने की लागत है दूसरी ओर यदि बिजली पर कोयले के स्थानों पर लगाये जाते हैं तो बिजली दूसरी स्थानो पर ले जाई जायेगी और इस प्रकार ट्रांसमिशन लाइनों बहुत धन खर्च होता है। यदि हमें हानि को देखना है तो दोनों पर खर्च किये जाने वाले रुपये के अन्तर को देखना चाहिये। इस से पता लगता है कि हानी नहीं रहेगी।

Shri P. L. Barupal : I would like to know from the hon. Minister the progress made in the Thermal Power Plant which was to be located in the Plana colliery, Rajasthan.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि हाल ही में पलाना से लिगनाइट मिला है परन्तु वहां से कितना लिगनाइट मिलेगा इस पर विचार किया जा रहा है। इसको देखकर ही तापीय बिजली घर स्थापित किया जायेगा।

श्री मं० रं० कृष्ण : रामगुंडम में इतना रुपया खर्च करने के पश्चात अब कोट्टागुंडम में बिजली घर स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

डा० कु० ल० राव : वह बिजली घर डा० धर्मा तेजा द्वारा लगाया जाना था। उनके साथ समझौता नहीं हो सका और हम कार्य को करना चाहते थे इसलिये कोट्टागुडम में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने वहीं पर बिजली घर स्थापित कर दिया है।

श्री मं० रं० कृष्ण : लाखों रुपया खर्च करने के पश्चात ऐसा क्यों किया गया। पहले ही बहुत सा धन खर्च किया जा चुका है।

श्री मुखिया : क्या सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी सलाहकार समिति ने कोट्टागुडम तापीय बिजली घर के प्रतिवेदन पर विचार किया है और यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या है ?

डा० कु० ल० राव : उप-समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

महंगाई भत्ते के बारे में मध्यस्थ निर्णय

\+

***1492. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री बूटा सिंह :
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंहगाई भत्ते के प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने के सम्बन्ध में औपचारिक निर्णय लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस विवाद को द्विपक्षीय वार्ता से हल नहीं किया जा सकता ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : इस सवाल को हल करने के लिये अस्थायी रूप से एक योजना बनायी गयी है और अब उस पर विचार किया जा रहा है । मध्यस्थ निर्णय के प्रश्न पर विचार करनेसे पहले इस योजना की सम्भाव्यता की जांच की जानी चाहिये ।

(ग) योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में सम्बद्ध पक्षों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने का विचार है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की प्रस्ताविक बैठक इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व होगी ताकि इससे सम्बद्ध संसद-सदस्य इसमें भाग ले सकें ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैंने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से योजनायें मांगी थी परन्तु मुझे खेद है कि मझे कोई भी योजना नहीं मिली । इसलिये मुझे स्वयं ही योजना तैयार करनी पड़ी । अब मैं यह योजना उन प्रतिनिधियों तथा सम्बद्ध मंत्रालयों के समक्ष रखूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि द्विपक्षीय वार्ता से कोई हल नहीं निकला तो क्या यह प्रश्न मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंपा जायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस सम्बन्ध में जल्दबाजी से काम नहीं लिया जा सकता । दुसरे प्रश्नों पर भी विचार करना होगा ।

श्री दाजी : इस दृष्टि से कि यह बात 16 फरवरी को उठाई गई थी और उस समयसे अब तक मूल्य और भी बढ़ गये हैं जिसके परिणामस्वरूप कि कर्मचारियों को असुविधा हो रही है । क्या यह वांछनीय नहीं है कि योजना बनाये से पूर्व कर्मचारियों के दृष्टिकोण को समझा जाये ताकि एक अच्छी योजना बन सके ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैंने अभी बताया कि मैंने कर्मचारियों से योजना मांगी थी परन्तु उन्होंने मुझे कोई योजना नहीं भेजी । मैंने जो योजना बनाई है उसे मैं कर्मचारियों के प्रतिनिधिओं के सामने रखुंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वित्त मंत्री ने यहां यह कहा था कि बढ़ती हुई महंगाई को रुपयों से नहीं परन्तु अन्य वैकल्पिक उपायों से दूर किया जायगा । इस सम्बन्ध में सरकार के ठोस प्रस्ताव क्या है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसाकि मैंने कहा, मैंने एक योजना बनाई है और श्री इन्द्रजीत गुप्त इसे देख सकते हैं और यदि वह चाहे तो इसमे सुधार कर सकते हैं अथवा इसे अस्वीकार कर सकते हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि द्विपक्षीय वार्ता में असमता को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये थे और इस सम्बन्ध में सरकार तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में क्या मतभेद थे ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : एक प्रारम्भिक बैठक हुई थी जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई थी । उसमें यह कहा गया था कि जीवन निर्वाह व्यय देशांक बढ़ जाने की स्थिति में धन के रूप में प्रतिकर देना आवश्यक नहीं है और यह कि किसी दूसरे रुप में भी प्रतिकर दिया जा सकता है । इस हेतु योजनायें मांगी गई थी परन्तु कर्मचारियों की ओर से कोई भी योजना नहीं भेजी गई । मैंने स्वयं एक योजना बनाई है जिसपर कि वह बातचीत कर सकते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : जीवन निर्वाह व्यय देशनांक बढ़ जाने की दृष्टि से तथा इस दृष्टि से भी कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कभी भी कर्मचारियों को पूरा प्रतिकर नहीं दिया है, क्या सरकार इस योजना पर विचार करेगी कि इन कर्मचारियों को अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुयें सहायता-प्राप्त दुकानों से महंगाई भत्ते के बदले में दी जाय ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में विचार हो रहा है और उन्हें इस योजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार जीवन निर्वाह व्यय देशनांक वैज्ञानिक आधार पर तैयार करेगी जैसा की अन्य उन्नत देशों में होता है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पास इस समय उत्तर नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government propose to give financial aid to the State Governments to enable them to pay dearness allowance to their employees; if so, the time by which it would be given?

श्री शचीन्द्र चौधरी : राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने का कार्य राज्य सरकारों का ही है। राज्यों में बढ़े हुये जीवन निर्वाह व्यय देशनांक के लिये केन्द्रीय सरकार अर्थ सहायता नहीं दे सकती क्योंकि इससे केन्द्रीय सरकार के राजस्व में कमी पड़ेगी। यह एक ऐसा मामला है जिसका उत्तर देने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Ayurvedic Graduates

*1488. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme to prescribe uniform pay scales for the Ayurvedic Graduates in the country; and

(b) if so, when it is likely to be done?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir. This is a matter that concerns the State Governments.

(b) Does not arise.

जोधपुर कमर्शल बैंक

*1490. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 सित , 1961 को जोधपुर कमर्शल बैंक की आस्तियों पर कब्जा करके उसे सैंट्रल बैंक आफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार को इन हस्तांतरित आस्तियों के बारे में बक के अंशधारियों की ओर से कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) हस्तांतरित की गई आस्तियों का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जोधपुर कमर्शल बैंक को 6 जुलाई 1961 से भुगतान स्थगित करने की अनुमति दी गयी थी और बाद में इसे 16 अक्टूबर 1961 से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में मिला दिया गया था।

(ख) जी हां। कुछ शेअर-होल्डरों ने सुझाव दिया है कि इस बात को सुनिश्चित करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि हस्तान्तरक बैंक (ट्रांसफरर बैंक) की पूरी परिसम्पत्ति का मूल्य वसूल किया जायगा, ताकि शेयर-होल्डरों की पूरी-पूरी अदायगी की जा सके।

(ग) जिस दिन इस बैंक का विलय करने की योजना लागू हुई, उस दिन 110.24 लाख रुपये के बही-मूल्य की परिसम्पत्ति सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को अन्तरित की गयी थी। इस परिसम्पत्ति में से 31.25 लाख रुपये के बही-मूल्य के अग्रिमों या कुछ अन्य रकमों को तत्काल वसूल होने योग्य नहीं समझा गया या उनकी वसूली सन्देहपूर्ण समझी गयी। इस परिसम्पत्ति का मूल्य वसूल करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आसाम सरकार को राजस्व हानि

*1493. **श्री रा० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार को आसाम करारोपण (सड़क आदि से ले जाये गये माल पर) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत चाय तथा पटसन पर लगाये गये बहन कर (कैरिज़ टैक्स) को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला सरकार के पास कब से अनिर्णित पड़ा है; और

(ग) आसाम सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष जो राजस्व हानि उठाई है, क्या सरकार का विचार उसकी प्रतिपूर्ति करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था

*1494. **श्री प्र० चं० बारुआ** :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1966 के 'स्टेट्समैन' में 'एड क्वोट्स पीस ऐज़ प्राइस फार लोन्स' नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में स्पष्टीकरण करते हुए आगे यह कहा गया है कि भविष्य में भारत को ऋण देना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह उस उपमहाद्वीप में स्थिरता लाने तथा शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में कहां तक लगातार प्रयत्नशील रहता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू०एस०ए०आई०डी०) ने अमरीकी कांग्रेस के सामने जो सारांश पेश किया है वह भारत सरकार को नहीं मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 फरवरी, 1966 को अमरीकी कांग्रेस के नाम जो सन्देश भेजा था उसमें उन्होंने कहा था : "भारत और पाकिस्तान दोनों को (खाद्य से भिन्न) सहायता का दिया जाना तब तक बन्द रखा जायगा जब तक इस बात का समुचित निश्चय नहीं हो जाता कि दोनों देशों में फिर से लड़ाई नहीं होगी।"

मूल्यों में स्थिरता बनाये रखना

*1495. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय निकाले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें कार्यरूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : सरकार उत्पादन बढ़ाने, कर और मुद्रा सम्बन्धी उपयुक्त नीतियों के द्वारा मांग पर नियंत्रण रखने, और जनता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी के समय उन वस्तुओं के मूल्यों और वितरण का नियमन करने के उपाय करके मूल्यों को यथासम्भव अधिक से अधिक स्थिर रखने का बराबर प्रयत्न करती रहती है।

कलकत्ता के चांदी शोधक कारखाने में चोरी

*1496. **श्री अ० सिं० सहगल** :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी शोधक कारखाना, कलकत्ता, से बड़ी मात्रा में चांदी चुराई गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उसे बरामद करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : हाल में दो अवसरों पर 18.85 किलोग्राम ऐसा बचा-खुचा माल (जो शोधन-प्रक्रिया में बच रहता है) जिसमें चांदी काफी मात्रा में थी, चांदी साफ करने के कारखाने के सुरक्षित क्षेत्र से बाहर मिला। पहले मौके पर, परिस्थिति साक्ष्य (सर्कमस्टेंशियल एविडेंस) से यह पता चला कि किसी खास कर्मचारी ने चोरी करने का यत्न किया था, इसलिए जांच का काम पुलिस को सौंप दिया गया। दूसरे मौके पर, घटना का सम्बन्ध किसी खास आदमी से नहीं जोड़ा जा सका, इसलिए बचा-खुचा माल, चांदी साफ करने के कारखाने के हिसाब में दिखा दिया गया। अनुमान है कि वह माल, जो पहले मिला था, पुलिस की कार्रवाई चालू होने के बाद, चांदी साफ करने के कारखाने को लौटा दिया जायगा।

भारत में घुड़दौड़ें

*1497. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में घुड़दौड़ समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कम से कम विदेशी जाकियों (घुड़दौड़ के पेशेवर सवार) के बुलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) श्रीमान्, यह राज्य सरकार का विषय है ।

(ख) और (ग) : विदेशी जाकियों (घुड़दौड़ के पेशेवर सवारों) की नियुक्ति पर विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार नियंत्रण रखा जाता है । किसी भी विदेशी जाकी की प्रस्तावित नियुक्ति पर सरकार कड़ी नजर रखती है ।

अलाटियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों का किराये पर दिया जाना

*1498. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने, जिन्हें सरकारी क्वार्टर अलाट किये जा चुके हैं, सारे के सारे क्वार्टर को बहुत अधिक किराये पर दे रखा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे कर्मचारी प्रीमियम अथवा पगड़ी के रूप में बहुत अधिक राशि ले लेते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन अवैध कार्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी नहीं । पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किये गये कुल 39,000 सामान्य पूल निवास स्थानों के ऐवज में अनधिकृत उपकिरायेदारी तथा/अथवा अधिक किराया वसूल करने आदि की शिकायतों की संख्या औसतन 18 प्रति माह थी ।

(ग) शिकायतों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की गयी है तथा जहां भी आरोप सिद्ध हुए हैं, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की गयी है ।

ब्रिटेन से ऋण

*1499. **श्री पन्नालाल** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री फिरोडिया :
श्री राम हरख यादव :

वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ब्रिटेन और भारत के बीच एक ऋण करार किया गया ;

(ख) यदि हां, तो उस की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस करार के अधीन ब्रिटेन ने भारत को कुल कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : ब्रिटन और भारत की सरकारों के बीच 20 अप्रेल, 1966 को कुल 50 लाख पौंड (6.67 करोड़ रुपये) के ऋण के दो करारों पर हस्ताक्षर हुए थे। बड़ा ऋण 48.33 लाख पौंड (6.44 करोड़ रुपये) का है और इसका प्रयोजन, भोपाल हेवी इलेक्ट्रिकल प्रोजक्ट द्वारा ब्रिटेन से मशीनों के हिस्से और खास तरह के कच्चे माल का आयात किये जाने के लिए वित्त-व्यवस्था करना है। 1.67 लाख पौंड (0.23 करोड़ रुपये) का दूसरा ऋण, पाइराईटस एण्ड कैमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के लिए सिन्दरी में गंधक के तेजाब का एक कारखाना बनाने के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए है। ये ऋण, ब्रिटेन के सहायता संघ द्वारा भारत को 1965–66 के लिए दी जाने वाली सहायता के हिस्से के रूप में है और इन्हें 25 वर्ष की अवधि में लौटाया जाना है जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इन ऋणों पर ब्याज नहीं दिया जाना है।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि

*1500. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने घोषणा की है। 1 जून, 1966 से घरेलू तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिये बिजली देने की दरें 9 और 13 पैसे से बढ़ाकर क्रमश: 11 और 15 पैसे कर दी जायेंगी, और

(ख) क्या सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

राज्यों के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता

*1501. **श्री नाथ पाई :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते के समान महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इनमे से किन्हीं राज्य सरकारों ने केन्द्र से सहायता देने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय संसाधनों से राज्यों को कितनी धनराशि दी गयी है अथवा दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है ?

वित्त मंत्रालय म राज्य मंत्री(श्री ब० रा०भगत०) : (क) यद्यपि बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्त की दरों में वृद्धि करने की घोषणा की है, लेकिन उनमें से केवल मद्रास सरकार ने उन्हें मौजूदा केन्द्रीय दरों के बराबर कर देने का निश्चय किया है।

(ख) जी हां।

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा न कोई सहायता दी गयी है और न देने का प्रस्ताव किया गया है।

Bonus to L. I. C. Policy Holders

***1502. Shri Madhu Limaye :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Mohammad Elias:
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P. C. Borooah :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Life Insurance Corporation have decided to give increased bonus to their policy holders for the year 1965;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how it compares with the previous year?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) & (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Valuation	Bonus declared on Corporation's Policies		Bonus declared in respect of policies issued by erstwhile insurers
	Endowment Assurances	Whole Life Assurances	
	(Rs. per thousand sum assured per annum)		
As at 31-3-1963	14·00	17·50	Bonuses as shown in the Schedule attached to the Fourth and Fifth Valuation Reports which have already been laid on the Table of the House.
As at 31-3-1965	16·00	20·00	

मजूरी सम्बन्धी नीति

*1503. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये मजूरी सम्बन्धी नीति के अध्ययन दल ने वेतन पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : योजना आयोग के श्रम सम्बन्धी पेनल द्वारा गठित मजदूरी सम्बन्धी नीति अध्ययन दल के कई सदस्यों ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया । पेनल द्वारा गठित सात अध्ययन दलों के अध्यक्षों की बैठक में इस विषय पर आगे विचार होगा । इन अध्ययन दलों की अलग से अपनी बैठकें पहले ही हो चुकी हैं ।

राज्यों में अधिष्ठापित बिजली क्षमता

*1504. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री तिरुमल राव :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली की कुल स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी जिसके चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चालू होने की आशा है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न राज्यों में बिजली की अनुमानित मांग क्या होगी ;

(ग) किन राज्यों में भार सर्वेक्षण के अनुसार अभी पर्याप्त बिजली मंजूर की जानी है; और

(घ) इन कमियों को पहले पूरा करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : विवरण परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6226/66।]**

(ग) तथा (घ): तृतीय वार्षिक भार सर्वेक्षण के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में बिजली की काफी कमियां होने की सम्भावना है। इन राज्यों में बिजली की कमियों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त बिजली उत्पादन स्कीमों पर विचार किया जा रहा है।

अफीम की खेती

*1505. **श्री उ० मु० त्रिवेदी** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली वस्तु विभाग ने परीक्षण के तौर पर नीमच में अफीम की खेती की है;

(ख) प्रति हैक्टर कितनी पैदावार हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस पैदावार की तुलना अफीम की खेती के लिये लाइसेंस देने की प्रणाली के अधीन की गई खेती की निर्धारित पैदावार से की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अफीम की प्राप्त उपज की दोहरे तरीके से जांच करने, ऐसे बीज की तलाश जो अधिकतम उपज अथवा मारफिन की मात्रा दे, ऐसी खाद अथवा ऐसी किस्म की खाद तैयार करना जिससे बढ़िया फसल हो आदि कई कारणों से नीमच में अफीम की प्रयोगात्मक खेती की गई है।

(ख) सन् 1965–66 की फसल में अलग अलग खेतों में उपज 25 से लेकर 54 किलोग्राम प्रति हैक्टर हुई है।

(ग) लाइसेंस देने के लिए किसानों की योग्यता का विचार करने के लिए निर्धारित 'लाइसेंस देने के सिद्धान्तों' के अधीन योग्यता सिद्ध करने वाली न्यूनतम उपज निर्धारित करते समय जिन कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, उनमें से एक यह भी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगदी से भिन्न सहायता

*1506. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री गुलशन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाह-व्यय में हुई वृद्धि के प्रभाव को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नकदी से भिन्न सहायता देने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख): इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है। एक अन्तिम योजना बनायी गयी है और अब उसकी आगे जांच की जा रही है।

दिल्ली में भूमि तथा गृह-निर्माण सम्बन्धी नीति

*1507. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों की अत्यन्त कमी को, विशेषकर कम तथा मध्यम आय वाले वर्गों के लिये, देखते हुए दिल्ली में भूमि तथा गृह-निर्माण सम्बन्धी नीतियों में पुनरीक्षण करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : सरकार को समस्या का पता है । संबंधित अधिकारियों से चर्चा आरंभ कर दी गयी है। कोई ठोस परिणाम प्राप्त करने में कुछ महीनें लगेंगे ।

अनुसंधान शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) पर आय-कर

*1508. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनदान आयोग, विश्वविद्यालय विभागों तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली अनुसंधान शिक्षावृत्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(16) के अन्तर्गत कर नहीं लगाया जाता ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जिला कर सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड कोई समान नीति का अनुसरण कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। शिक्षा सम्बन्धी व्यय की पूर्ति के लिए दी जानेवाली सभी छात्रवृत्तियों को आय-कर से छूट मिली हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संतति निग्रह उपायों का जन्म दर पर प्रभाव

*1509. **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई अनुमान लगाया गया है कि 1960–70 दशाब्दि में कितनी जन्म दर होने की सम्भावना है; और

(ख) योजना अवधि में संतति निग्रह उपायों और प्रचार का इस समस्या पर क्या प्रभाव पड़ा है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हा ।

(ख) योजना अवधि में किये गये प्रचार का प्रभाव बहुत उत्साह-वर्द्धक रहा है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि जहां लगभग 1956 में जबकि देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरु किया गया था, लोग परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने में बहुत हिचकिचाते थे, वहां अब वस्तु-स्थिति एकदम भिन्न हो गई है । व्यापक प्रचार के परिणाम स्वरूप अब काफी लोग परिवार नियोजन के पक्ष में हो गये है । ग्रामीण क्षत्रों में भी अधिकाधिक महिलाएं लूप लगवा रही है और अधिकाधिक पुरुष नस-बन्दी करवाने के लिये आगे आ रहे है । तथापि इतनी जल्दी यह नहीं बतलाया जा सकता कि अब तक बरते गये सन्तति निग्रह उपायों का देश में सम्पूर्ण जन्म दर पर कोई विशेष उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है या नहीं । भले ही यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में, विशेषतया जहां परिवार नियोजन कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रभावकारी कार्य किया गया है, जन्म दर में कमी की एक निश्चित प्रवृत्ति पायी गई है। उदाहरण के लिए :—

(1) मदुर जिला के गांधीग्राम के अठूर खण्ड में रजिस्टर्ड जन्म दर 1961 में 44.14 से घट कर 1964 में 37.72 हो गई है (14.5 प्रतिशत कमी) ।

(2) कलकत्ता के समीप सिंगूर में किये गये एक ग्राम क्षेत्र अध्ययन से पता चला है कि वहां रजिस्टर्ड जन्म दर में 12.1 प्रतिशत की कमी हुई है, जो 1957 में 42.0 थी वह 1961 36.9 रह गई ।

(3) महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब राज्यों ने भी रजिस्टर्ड जन्म दरों में कमी हुई बतलाई है जो क्रमश: इस प्रकार है —1960 में 31.8 से घट कर 1964 में 28.8 (9.4 प्रतिशत कमी), 1956 में 27.79 से घट कर 1963 में 24.07(13.4 प्रतिशत कमी) और 1960 में 39.49 से घट कर 1964 में 32.42 (10.3 प्रतिशत कमी) ।

दिल्ली में मूल्यों में वृद्धि

*1510. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवचरण गुप्ता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस सप्ताहों में राजधानी में अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य 10 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक बढ़ गये है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वस्तओं के वर्तमान दाम फरवरी, 1966 के अन्त के मूल्यों की तुलना में कैसे है, और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

3—69 L. S./66

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा 25 उपभोक्ता वस्तुओं (कंज्युमर गुड्स) के साप्ताहिक खुदरा मूल्य के आंकड़े रखे जाते हैं। 25 अप्रैल, 1966 को समाप्त हुए दस सप्ताहों में 13 वस्तुओं के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ; छः वस्तुओं के मूल्य में 10 प्रतिशत से कम की वृद्धि हुई; 5 वस्तुओंके मूल्यों में 10 प्रतिशत और उससे अधिक की वृद्धि हुई; और इस अवधि में एक वस्तु का मूल्य सूचित नहीं किया गया।

दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

*1511. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम तकनीकी पर्यवेक्षक कर्मचारी संघ ने 22 अप्रैल, 1966 से हड़ताल करने का नोटिस दिया था;

(ख) क्या दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के अधिकारियों संघ के बीच बातचीत असफल हो गई है तथा मुख्य आयुक्त और श्रम आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप करने पर हड़ताल 5 मई, 1966 तक के लिये स्थगित कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, नहीं। देसू की टक्निकल सुपरवाइज़री स्टाफ ऐसोसिएशन ने नहीं अपितु दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्ज यूनियन ने 22-4-66 से हड़ताल करने का नोटिस दिया था। देसू की टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ ऐसोसिएशन ने भी, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, 4 अप्रैल, 1966 से हड़ताल करने का नोटिस दिया था। समझौता अधिकारी ने दोनों पक्षों से बातचीत की। दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने उन मांगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया है जिन पर समझौते की बातचीत के दौरान किसी भी फसले पर नहीं पहुंचा जा सकता था परन्तु देसू की टेक्निकल सुपरवाइज़री स्टाफ ऐसोसिएशन ने 30 अप्रैल 1966 की अर्ध रात्री से हड़ताल कर दी थी।

(ख) जी, नहीं। बातचीत असफल नहीं हुई थी। यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को 5 मई 1966 तक स्थगित किया था। बाद में 27 अप्रैल 1966 को यूनियन और दिल्ली बिजली संभरण समिति के अध्यक्ष के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप प्रस्तावित हड़ताल बन्द हो गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अध्ययन अवकाश पर सरकारी कर्मचारी

*1512. **श्री० स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश के दौरान उसके अवकाश वेतन के, जो कि आधार औसत वेतन के बराबर होता है, अतिरिक्त अध्ययन भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या छात्रवृत्ति अथवा वजीफा प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति को आम तौर पर अध्ययन भत्ता मंजूर नहीं किया जाता ; और

(ग) क्या मिलने वाले अध्ययन भत्ते अथवा अध्ययन भत्ते के बदले मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि पर आयकर अधिनियम के अधीन कर देना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

( ) जी हां। लेकिन यदि छात्रवृत्ति या वजीफे की वास्तविक रकम अध्ययन भत्ते की रकम से कम हो तो दोनों के अन्तर की रकम दी जा सकती है।

(ग) जी नहीं।

त्रिचूर अस्पताल

4809. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिचूर अस्पताल सलाहकार समिति ने त्रिचूर अस्पताल में अधिक डाक्टर नियुक्त करने की सिफारिश की है क्योंकि उस अस्पताल में रोगियों की तथा बहिरंग रोगियों की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) क्या समिति ने यह सिफारिश भी की है कि किराये वाले वार्डों का किराया कम किया जाये और एक सार्वजनिक टेलिफोन की व्यवस्था की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय दो कमरों का किराया आठ रुपये और एक कमरे का छः रुपये लिया जाता है। यह बिल्कुल मामूली प्रतीत होता है। आवश्यकता समझी जाने पर ही किराये की दरों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। एक सार्वजनिक टेलिफोन की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है।

(ग) राज्य सरकार सलाहाकर समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की जांच कर रही है।

कोचीन जल संभरण तथा मल निकास योजना

4810. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संघ के विशेषज्ञों ने दिसम्बर, 1965 में एर्नाकुलम का दौरा किया था और कोचीन जल संभरण तथा मल निकास योजना का उसी स्थान पर तकनीकी और वित्तीय अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या राज्य के इंजीनियर पहले ही प्रतिवेदन तयार कर चुके हैं, और

(घ) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इस योजना को पूरा करने के लिये और कितने धन की आवश्यकता होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6227/66।]**

(घ) 34.8 करोड़ रुपये।

आयुर्वेद बोर्ड

4811. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य आयुर्वेद सलाहकार बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक औषध-निर्माण कारखाना स्थापित करने के संबंध में सरकार से सिफारिश की है;

(ख) क्या उन्होंने नारियल जटा बोर्ड तथा रबड़ बोर्ड के नमूने पर एक आयुर्वेद बोर्ड बनाने की भी सिफारिश की है ताकि आयुर्वेदिक दवाइयां विदेशों में बेची जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख): जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में हैज़ा

4812. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नवम्बर-दिसम्बर, 1965 में कुछ यात्रियों द्वारा, जो "पझाम मन्दिर" गये थे, वहां से लाया गया प्रसाद खाने से केरल के कुछ भागों में हाल में हैज़ा फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बीमारी के फैलाने के कारणों की जांच करवाने का है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केरल सरकार ने बतलाया है कि नवम्बर और दिसम्बर 1965 में पझाम मन्दिर प्रसादम् खाने से हैजा की कोई घटना नहीं हुई है तथा इन महीनों में हैज़ा की जो घटनायें हुई है वे जनवरी 1965 में फैली महामारी के अनुसरण में ही हुई है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

शोलायार परियोजना

4813. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री दी० चं शर्मा** :
श्री वासुदेवन नायर : **डा० महादेव प्रसाद** :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलायार परियोजना के प्रथम तीन कारखाने बन कर तयार होने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कब तयार हो जायेंगे; और

(ग) चालू हो जाने पर इन तीनों कारखानों की क्षमता कितनी होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : शोलायार बिजली घर का प्रथम यूनिट (18 मैगावाट) का प्रचालन परीक्षण हो रहा है और इसके शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है । अन्य दो यूनिटों के क्रमश: जुलाई, 1966 और सितम्बर, 1966 में चालू होने की सम्भावना है ।

(ग) जब ये तीनों यूनिट च लू हो जायेंगे इनकी प्रतिष्ठापित क्षमता 54 मैगावाट होगी ।

केरल में क्षय रोग

4814. **श्री प० कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में क्षय रोग के रोगियों की बढ़ती हुई संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह रोग किन क्षेत्रों में अधिक फैला हुआ है ; और

(ग) क्या यह सच है कि बीड़ी कारखानों में बुरी दशा होने के कारण बीड़ी कर्मचारियों में तपेदिक का रोग फैल रहा है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

केरल में मेहतरों के लिये मकान

4815. **श्री प० कुन्हन** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल की नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों में मेहतरों के लिये अब तक कुल कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तीसरी पंच वर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई थी और कितनी खर्च की गई ?

समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) केरल राज्य की सभी नगरपालिकाओं और दो निगमों में 178 मेहतरों और भंगियों को लिये को मकानों के लिये जमीने तथा 168 को मकान बनवाने के लिये अनुदान दिये गय थ। य दोनों योजनायें पूर्ति के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) हां।

(ग) विनिधान . . . . . 3.12 लाख रुपय।

खर्च . . . . . 2.98 लाख रुपये।

केरल में बागान मजदूरों के लिये मकान

4816. **श्री प० कुन्हन** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बागान मजदूरों के लिये अब तक कुल कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) वायनाड और निल्लयमपति क्षेत्रों में कितने मकान बनाये गये ;

(ग) केरल में इस योजना के लिये तीसरी योजना में कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सभी सुविधायें प्रदान करने पर भी प्रबन्धक इस योजना में सहयोग देने के लिये सहमत नहीं हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि नियत की गई राशि प्रति वर्ष खर्च नहीं की जाती है?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 152.

(ख) जी नहीं।

(ग) 10 लाख रुपये।

(घ) और (ड़) : जी हां। योजना बागान मालिकों से आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दिला सकी। अतएव यह निर्णय किया गया है कि 1 अप्रल, 1966 से उसे उदार बना दिया जाये। अब बागान मालिकों को वित्तीय सहायता मकान की लागत के 75 प्रतिशत तक 50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में, दी जायेगी। इससे पूर्व संपूर्ण राशि ऋण के रूप में दी जाती थी

उड़ीसा में अल्प-आय-वर्ग गृह-निर्माण योजना

4817. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अल्प-आय-वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कितनी राशि दी गई ;

(ख) अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) उक्त अवधि में आदिम जातियों के कितने लोगों को ऋण दिया गया ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) 51.08 लाख।

(ग) मांगी गयी सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है, तथा जैसे ही वह प्राप्त होगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आय कर कार्यालय

4818. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने आय कर कार्यालय हैं ;

(ख) क्या उन सभी कार्यालयों का काम विभागीय इमारतों में होती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 21।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1962 से आपात्काल के कारण, असैनिक खर्च में बचत करने की सख्त जरूतर होने से निर्माण कार्य रोक देना पड़ा। आय कर दफ्तरों के लिये भवन बनाने के प्रश्न पर लगातार विचार किया जा रहा है।

कृन्तक नियंत्रण समिति

4819. **श्री राम हरख यादव :**

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 14 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1125 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृन्तक नियंत्रण समिति का प्रतिवेदन इस बीच अन्तिम रूप में तैयार हो गया है और सरकार को पश कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मुर्ती) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं । समिति का जो प्रतिवेदन अप्रैल, 1966 के अन्त तक पेश किया जाना था, अब उस के जून, 1966 के अन्त तक पेश किये जाने की आशा है ।

केरल में कुट्टनाड में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी सब-डिवीजन

4820. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कुट्टनाड में एक लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी सब-डिवीजन खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।
(ख) यह प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

4821. **श्री सिद्धय्या :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अक्त ने अपना 1964-65 का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मं ी (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) 24 नवम्बर, 1965 को ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को प्रतिवेदन

4822. **श्री सिद्धय्या :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा वर्ष 1962-63 तथा 1963-64 के अपने प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को दर्शाने-वाला एक विवरण संसद् के चालू सत्र में सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) : वर्ष 1963-64 की रिपोर्ट पर बहस शुरू होने से पूर्व सामान्यतया 1962-63 की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा। इसी प्रकार अगली रिपोर्ट अर्थात् 1964-65 की रिपोर्ट पर बहस प्रारम्भ होने से पूर्व 1963-64 की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा।

बन्धित श्रमिकों (बांडिड लेबर) की संख्या का सवक्षण

4823. श्री मनोहरन :

श्री अ० व० राघवन :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के बैनाड तालुक में पन्नियां लोगों में कितने लोग बन्धित श्रमिक (बांडिड लेबर) हैं, यह पता लगाने के लिये विशेष सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) केरल पन्नियां श्रम संविदा (वल्लु कुवु पणम) तथा उन्मूलन विधेयक तैयार करने में कितनी प्रगति हुई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) से (ग) : यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Delhi State Harijan Welfare Board

4824. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Delhi State Harijan Welfare Board has surrendered the unutilized amount of Rs. 9 lakhs which was granted by the Centre for its further disbursement to Harijans for the year 1964-65; and

(b) if so, the reasons for which the said amount was surrendered ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) Only an amount of Rs. 4.36 lakhs and not Rs. 9.00 lakhs was provided by the Centre in tne Budget for the welfare of Harijans and other Backward Classes in Delhi during 1964-65, out of which Rs. 3.11 lakhs were expended.

(b) The reasons for the shortfall of Rs. 1.25 lakhs are given below:—

(i) Rs. 1.00 lakhs provided for the scheme of 'Eliminating the practice of carrying night soil as head load' were not utilised by the Municipal Corporation of Delhi.

(ii) Rs. 0.20 lakh provided for the scheme of 'House-sites' could not be utilised due to non-finalisation of acquisition proceedings.

(iii) Rs. 0.05 lakh provided for the scheme of 'Susbidy for Small Scale and Cottage Industries' could not be utilised as the scheme was kept in abeyance due to Emergency.

उड़ीसा को विद्युत् परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा

4825. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा सरकार को अपने कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिलवाने तथा अपनी बड़ी विद्युत् परियोजनाओं के लिये विदेशी सहालकार बुलाने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण

4826. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समान दिल्ली में एक बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब इसके स्थापित हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए विधेयक यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दिया जायगा ।

दामोदर घाटी निगम

4827. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के लिये अधिग्रहण की गई भूमि बांध तथा जलाशय बनाने के लिये भूमि की उन की मांग से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम के पास अभी तक आवश्यकता से अधिक कितनी भूमि है ; और

(ग) यह भूमि किस की है और क्या यह भूमि किसानों को बांटने के लिये राज्य सरकार को लौटा दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Prices of Silver

4828. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the price of silver has shot up during the last two-three months; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The price of silver rose sharply during January 1966. The average price of silver in Bombay rose from Rs. 319.17 per kilogram in the last week of December 1965 to Rs. 351.00 or by 10 per cent in the week ended January 28, 1966. On February 2, 1966 an all-time peak of Rs. 405.00 per kilogram was reached. Since then, however, there has generally been a downtrend. On 26th April 1966, the closing price of silver was Rs. 361.00 per kilogram.

(b) The price of silver is highly sensitive to seasonal factors and speculative considerations. Recent variations in silver prices reflect mainly the expectation of traders.

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल

4829. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **योजना** तथा **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये कितने होस्टल खोले गये ;

(ख) 1966-67 में उस राज्य में कितने होस्टल खोलने का विचार है ; और

(ग) उक्त अवधि में उस राज्य में ऐसे होस्टल बनाने के लिये सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) शून्य।

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्राओं के लिये तीन होस्टल।

(ग) वर्ष 1966-67 के लिये इस योजना के अन्तर्गत 2.25 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

भारत सेवक समाज

4830. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965-66 में भारत सेवक सेवक समाज को कोई अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में अब तक कुल कितनी धनराशि दी और

(ग) उक्त अवधि में भारत सेवक समाज की उत्तर प्रदेश शाखा के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा

4831. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में विदेशों में अध्ययन करने के लिये कुल कितने विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ख) उक्त अवधि में उन को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1965 में जारी किये गये अनुमति-पत्रों की संख्या 2,897

1966 की पहली तिमाही में जारी किये गये नये अनुमति-पत्रों की संख्या 263

पहले से विदेशों में गये छात्रों के लिए 1965 में नये सिरे से जारी किये गय अनुमति-पत्रों की संख्या . . . 2,322

पहले से विदेशों में गये छात्रों के लिए 1966 की पहली तिमाही में नये सिरे से जारी किय गये अनुमति-पत्रों की संख्या . . 638

(ख) 1965 में जारी किये गये नये अनुमति-पत्रों में स्वीकृत विदेशी मुद्रा . . . . . 2,18,43,576 रुपये

1966 की पहली तिमाही में जारी किये गये अनुमति-पत्रों में स्वीकृत विदेशी मुद्रा . . . . . 17,60,097 रुपये

1965 में नय सिरे से जारी किये गये अनुमति-पत्रों में स्वीकृत विदेशी मुद्रा . . . . . 1,95,96,069 रुपये

1966 की पहली तिमाही में नये सिरे से जारी किये गये अनुमति-पत्रों में स्वीकृत विदेशी मुद्रा . . . 36,24,737 रुपये

ताप बीजली घर

4832. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला खान मुहानों पर अनेक ताप बिजली-घर निर्माण करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रों के नाम और उनकी क्षमताएं नीचे दी गई हैं।

केन्द्रों का नाम	वर्तमान क्षमता	निर्माणाधीन केन्द्रों की क्षमता	स्वीकृत/स्वीकृति के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता
	मैगावाट	मगावाट	मैगावाट
1. रामगुंडम .	37.5	62·5	..
2. को ।गुडम .	..	240	180

केन्द्रो का नाम	वर्तमान क्षमता	निर्माणाधीन केन्द्रो की क्षमता	स्वीकृत/स्वीकृति के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमत
	मैगावाट	मैगावाट	मैगावाट
3. चन्द्रपुरा . .	280	140	240
4. पथराटू . .	..	400	400
5. कोर्बा . . .	100	200	110
6. सत्पुरा . . .	..	312	..
7. नेवेली . . .	300	100	200
8. नागपुर . .	..	..	490
9. तालचर . .	..	250	..
10. सिंगरोली . .	..	250	300
11. संतालदीह . .	..	..	480
12. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) .	210	75	150
13. दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम)	150	140	..
कुल .	1077.5	2169.5	2550

उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना

4833. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री 2 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1723 के उत्तर के सम्बद्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा सरकार को राज्य के गांवों में बिजली लगाने के लिये वस्तुत: कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य के कितने गांवों में वास्तव में बिजली लगाई गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) 49.92 लाख रुपये।

(ख) 1965-66 के दौरान 119 ग्रामों में बिजली लगाई गई है।

उड़ीसा में गृह निर्माण योजनायें

4834. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वष 1965-66 में उड़ीसा में विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई ; और

(ख) अब तक कौन कौन सी योजना क्रियान्वित की गई है?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है।

योजना का नाम	योजना निधियां	जीवन बीमा निगम निधियां
	(रुपये लाखों में)	
1. सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	4.00	..
2. निम्न आय वर्ग आवास योजना	15.00	
3. ग्रामीण आवास योजना	7.60	..
4. गंदी बस्ती सफ़ाई योजना	3.75	..
5. मध्यम आय वर्ग आवास योजना		13.00
6. भूमि अर्जन तथा विकास योजना		15.00
7. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना	..	93.00
जोड़ .	30.35	121.00

उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना

4835. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाने पर कुल कितना खर्च हुआ है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : 1964-65 तक 301.3 लाख रुपये व्यय हुए थे और 1965-66 वर्ष के दौरान संभावित व्यय 63.67 लाख रुपये है। 1965-66 के वास्तविक व्यय के आंकड़े लगभग जुन, 1966 में उपलब्ध होंगे जब कि इस वर्ष के लेखों को अन्तिम रुप मिल जाएगा।

Beggary in States

4836. Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Yashpal Singh :**

Shri Bagri : **Shri Lakhmu Bhawani :**

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the States in which beggary has been banned;

(b) the States which have not yet banned it; and

(c) when the remaining States are likely to enact a law to ban beggary.

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) to (c). The prevention and control of beggary is primarily the responsibility of the State Governments. Specific anti-beggary laws have

come into existence and are enforced to an extent in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Kerala, Gujarat, Madras, Mysore and West Bengal and the Union Territory of Delhi. In the States of Assam, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Rajasthan and Nagaland and the Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Pondicherry, Tripura, Goa, Daman & Diu, Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Islands and Laccadive, Minicoy and Amindiv Islands there is no comprehensive legislation banning beggary. Some of these States are contemplating enactment of necessary legislation in the near future.

कोठागुडियम ताप बिजली घर

4837. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडियम ताप बिजली घर के तीसरे चरण के सम्बन्ध में एक परियोजना प्रतिवेदन तयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उसके बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) कोठागुडम (तृतीय चरण) विस्तार परियोजना में 60-60 मैगावाट के तीन उत्पादन यूनिटों का प्रतिष्ठापन शामिल है। इस विस्तार योजना की कोयले की आवश्यकताएं सिंगरेनी के कोयला क्षत्रों से पूरी की जाएंगी। ठन्डा करने का पानी किन्नरसेनी जलाशय से लिया जाएगा। इस स्थल पर और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य के ग्रिड को बिजली देने के लिये 13.8 के० वी० पर उत्पन्न की गई बिजली को 65 एम० वी० ए० 13.8 के० वी०। 220 के० वी० यूनिट ट्रांस्फार्मरों द्वारा 220 के० वी० तक बढ़ा दिया जाएगा। स्कीम की अनुमित लागत 1965.00 लाख रुपये है।

(ग) योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने इस स्कीम को स्वीकार्य समझा है। योजना आयोग की औपचारिक स्वीकृति के शीघ्र मिलने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्य बिजली सप्लाई

4838. **श्री दशरथ देव :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य बिजली सप्लाई के सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब विधान अथवा संकल्प प्रस्तुत किये जाने कि संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। अन्तराज्यीय बिजली वक्रय के लिये उपयुक्त बिजली दर निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्दोष सिद्धान्त तथा मार्ग दर्शिकाएं बनाने के लिये एक समिति स्थापित की गई है।

(ख) उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही यह निर्णय किया जाएगा कि कार्य किस उत्तम ढंग से शुरु किया जाए।

केरल के लिये मैडिकल कालेज

4839. **श्री प० कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में केरल में एक नया मैडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) नये मैडिकल कालेजों की मंजूरी देने के संबंध में सरकार ने क्या क्या कसौटियां स्वीकार प्रस्ताव कर रखी हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) नये मेडिकल कालेज खोलने के लिए साधनों, योग्यता प्राप्त शिक्षकों, उपकरणों तथा क्लीनिकी अभ्यास के लिए पलंगों की सुविधाओं की उपलब्धता आदि जैसे अन्य तथ्यों के साथ साथ पचास लाख जन संख्या के पीछे एक मैडिकल कालेज होने का मानदण्ड जैसा कि मुदालियार समिति ने सिफारिश की है, ध्यान में रखा जाता है।

स्वर्ण बांड

4840. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री रामसेवक यादव :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण-बांडों में अब तक राज्यवार, कितना सोना लगाया गया है; और

(ख) क्या उन बांडों में सोने का विनियोजन उत्साहवर्धक रहा है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 23 अप्रैल 1966 तक राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 में लगाये गये सोने का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	लगाया गया सोना—किलोग्राम में
आंध्र प्रदेश . . .	993
असम .	11
बिहार	51
गुजरात . .	1,108
जम्मू और कश्मीर . .	8

राज्य	लगाया गया सोना—किलोग्राम में
केरल	260
मध्य प्रदेश	207
मद्रास	1,860
महाराष्ट्र	5,948
मैसूर	118
उड़ीसा	73
पंजाब	246
राजस्थान	175
उत्तर प्रदेश	338
पश्चिम बंगाल	470
दिल्ली	264
गोआ	10
पांडीचेरी	11
जोड़	12,151

(ख) यद्यपि बिक्री आशानुसार नहीं हुई है, लेकिन यह असन्तोषजनक भी नहीं है।

दामोदर घाटी निगम बिजली दर

4841. **श्री मुहम्मद इलियास :**

श्री स० मो० बनर्जी :

डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा, जो दामोदर घाटी निगम की बिजली का उपयोग करते हैं, आपत्ति किये जाने पर दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की दर में की गई वृद्धि के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति गठित की है;

(ख) यह समिति इस प्रश्न की निष्पक्ष रूप से कैसे जांच कर सकती है जबकि इसमें उन राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं जिनका इस मामले से सीधा सम्बन्ध है, और

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम अपनी नीति बनाने के लिये सक्षम नहीं है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने यह समिति कानून के किन उपबन्धों के अन्तर्गत बनाई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दोनों राज्यों के विचारों को ठीक ठीक समझने के लिये उन के प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक समझा और कि निष्पक्ष तथा उचित निष्कर्ष नक पहुंचने के लिये इनके शामिल होने से कमेटी के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी।

(ग) सर्वमान्य समाधान करने के लिये समिति दामोदर घाटी निगम और भागी राज्य सरकारों की सहमति से बनाई गई थी। दामोदर घाटी के अधिनियम के उपबन्धों में इस मार्ग को अपनाना निषिद्ध नहीं है।

गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

4842. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 और 1966 में अब तक पंजाब में निम्न तथा मध्यम आय वर्ग की गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत गृह-निर्माण की योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम ने कितनी राशि का ऋण दिया ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकासमंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : 1964–65 में निम्न आय वर्ग आवास योजना के लिए 182.04 लाख रुपये तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना के लिए 13.40 लाख रुपये।

1965-66 में निम्न आय वर्ग आवास योजना के लिए 49.50 लाख रुपये तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना के लिए 14.50 लाख रुपये।

Water-Logged Areas in U. P.

4843. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the total area water-logged in Uttar Pradesh in 1965-66; and

(b) the amount of Central assistance given to reclaim the water-logged areas during the above period?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) The area water-logged due to rise in sub-soil level of water is reported as 4,016 acres. An area of 1,41,725 acres was, however, affected by drainage congestion due to accumulation of rain water.

(b) A sum of Rs. 147·50 lakhs was sanctioned to the State Government for financing flood control, Anti-water logging and drainage schemes as a whole in the State for the year 1965-66.

Irrigation Potential of U.P.

4844. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have suggested to the U. P. Government to prepare a Master Plan regarding the irrigation potential of the State in order to implement their irrigation schemes properly; and

(b) if so, the reaction of the U. P. Government thereto?

The Minister of Irrigation & Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) Yes. It has been suggested to all the State Governments to prepare outline of Master Plans for the development of irrigation.

(b) The matter is under consideration of the State Government.

Income-tax Officers Examination

4845. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the meaning of 'five years experience in responsible capacity in a Government Office' prescribed as an essential condition for being eligible to appear in the examination to be conducted by the U. P. S. C. at the instance of the Ministry of Finance for appointment to the posts of Income-Tax Officers;

(b) whether a permanent Government employee is not considered as such to be responsible;

(c) if not, the reasons for the Upper Division/Lower Division Clerks in the Central Government not being considered eligible to appear in the said examination; and

(d) whetner there is some relaxation in the conditions for the Scheduled Castes candidates?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) to (c). As the U. P. S. C. has to consider the eligibility of the candidates to appear in the examination, it is for the Commission to decide on the nature of the "responsible capacity".

(d) The advertisement itself specifies certain relaxation to Scheduled Caste candidates in the matter of age etc. In addition to these the general instructions on tne subject issued by Government from time to time will, no doubt, be borne in mind by the Commission.

पंजाब को ऋण

4846. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1965–66 में पंजाब सरकार को अपनी अर्थोपाय स्थिति को सुधारने के लिये कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार के लिए जून 1965 में 2 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम (वेज ऐण्ड मीन्स ऐडवांस) की मंजूरी दी गयी थी। इस अग्रिम पर 4 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज था और इसकी वसूली सितम्बर और अक्टूबर 1965 में, केन्द्रीय करों में से राज्य सरकार के हिस्से के समायोजन द्वारा कर ली गयी थी।

Water for Irrigation

4847. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great unrest amongst the farmers of eleven villages of Delhi (Mukandpur, Bhalsawa, Jharoda, Kamalapur, Sanjapur, etc.) on account of their crops having been damaged as a result of the non-supply of water for irrigation from the sewage tank at Coronation Pillar of the Delhi Municipal Corporation; and

(b) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) Yes. There was some unrest amongst the farmers on account of reduced supply of water, due to low supplies in the Najafgarh drain which feeds the sewage Treatment Plant at Coronation Pillar.

(b) To meet the irrigation demands of the farmers to the maximum possible extent, all the gates of the regulator at the pumping station were closed and practically the entire flow in the Najafgarh drain was pumped for treatment at the Coronation Pillar Plant and subsequent use for irrigation. However, the gates had to be opened on 19-4-66 to attend to work on the Nallah upstream of the regulator and these were again closed on 24-4-1966.

धूम्रपान से हानि

4848. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1966 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित "धूम्रपान और स्वास्थ्य" सम्बन्धी विचार गोष्ठी में सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, डा० आर० विश्वनाथन, द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमे उन्होंने कहा है कि सरकार को धूम्रपान से होने वाली हानि के प्रति जनता को सचेत करने के लिये तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मुर्ति) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस बात से सहमत है कि धूम्रपान के दुष्प्रभावों से सम्बन्धित प्रचार कार्य को केन्द्र तथा राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों की सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों के अन्तर्गत ही तीव्र किया जाना चाहिये ।

रक्तदान करने वाले लोगों को धन दिया जाना

4849. **श्री यशपाल सिंह :**
ी महेश्वर नायक :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कनाडा की रेड क्रास सोसाइटी के एक अधिकारी, श्री डगलस स्टीवार्ट, ने यह सुझाव दिया है कि रक्तदान का व्यवसाय करने वाले लोगों को धन देने के लिये अस्पतालों को धन न दिया जाये तथा रेड क्रास के माध्यम से रक्त इकट्ठा किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मुर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) व्यावसायिक रूपसे रक्त देने वाले लोगों को निरुत्साहित करना सरकार की नीति है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के प्रमुख नगरों तथा शहरों में स्वैच्छिक रक्तादान सेवायें गठित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रयास में भारतीय रेड क्रास सोसाइटी भी सहायता कर रही है।

दिल्ली में जिला पार्क

4850. **श्री महेश्वर नायक :**

श्री धर्मलिंगम :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की भू-दृश्य समिति ने दिल्ली विकास प्राधिकार की एक प्रमुख योजना को स्वीकृति दी है, जिसके अन्तर्गत दिल्ली में और उसके आस पास जिला पार्कों के लिये भूमि का विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को क्रियान्वित करने में कितना धन व्यय होगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : भू-दृश्य समिति ने दिल्ली तथा नई दिल्ली में हरे क्षेत्रों के प्रक्रमात्मक (फ़ेज्ड) विकास के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह निर्णय किया कि दिल्ली-विकास प्राधिकरण की मनोरंजन तथा पार्क एरियाओं की उप-समिति प्रस्तावों पर विचार करे तथा भू-दृश्य समिति के विचार के लिए एक प्रक्रमात्मक कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार करे।

(ग) बाग लगाने की अनुमानित लागत लगभग 20 करोड़ रुपये है।

गर्भ-निरोधक पदार्थों का निर्माण

4851. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गर्भ-निरोधक पदार्थ बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6228/66।]**

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की कर देयता

4852. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष जांच स्क्वाड ने, जिसने उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विजयानन्द पटनायक की कर देयता के बारे में जांच की थी, यदि अन्तिम नहीं तो अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) उसके जांच-निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं। श्री पटनायक की कर देयता के बारे में जांच अभी जारी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Homoeopathic Boards

4853. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kashi Ram Gupta :
Shri S. M. Banerjee : Shri Priya Gupta :
Shri Daji :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the States where Homoeopathic Boards have not been constituted so far ;

(b) the reasons therefor;

(c) when they are likely to be constituted;

(d) whether it is a fact that bogus homoeopathic degrees are being sold by undesirable institutions in those States where these Boards have not been set up; and

(e) if so, the steps Government contemplate to take in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) Madras, Rajasthan, Mysore and Punjab.

(b) and (c). The matter falls in the jurisdiction of the State Government.

(d) and (e). The attention of State Governments has been drawn to reports about the award of alleged bogus degrees.

Homoeopathic System of Medicine

4854. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kashi Ram Gupta :
Shri S. M. Banerjee : Shri Daji :
Shri Priya Gupta :

Will the Minister **of Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount spent on Homoeopathic system of Medicine by the Central Government during 1963-64, 1964-65 and 1965-66;

(b) the amount of financial assistance being provided by the Central Government to Homoeopathic Medical Colleges, with their names;

(c) the extent of reduction made by Government in the financial assistance given to such colleges during 1965-66, with their names; and

(d) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) The grants released by the Central Government during these years are as shown below :

	Rs.
1963-64	3,35,458
1964-65	2,26,879
1965-66	2,28,367

(b) A statement is attached. [**Placed in Library. See No. LT/62 29/66.**]

(c) There is no reduction in payment of grants to these Institutions as the grants were released on the basis of actual expenditure.

(d) Does not arise.

तुंगभद्रा उच्चतम नहर–चरण दो

4855. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रायल सीमा क्षेत्र में, जिसमें तुंगभद्रा उच्चतल नहर के दूसरे चरण से सिंचाई की जानी है, भयानक दुर्भिक्ष की स्थिति फैल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के लोगों के कष्टों को दूर करने के लिय तुंगभद्रा उच्चतल नहर योजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :(क) रायल सीमा क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है।

(ख) प्रथम चरण के सातत्य में तुंगभद्रा उच्च स्तर स्कीम के दूसरे चरण के कार्यान्वित को 1967–68 में हाथ में लेने की सम्भावना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फलैटों का आवंटन

4856. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को फ्लैटों के आवंटन के लिये कुछ आवेदन पत्र मिले थे ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास अधिकारियों ने टैगोर गार्डन्स तथा नौरोजी नगर बस्तियों में हाल मे जो फ्लैट बेचे उसमें बहुत कम फ्लैट बिके थे;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितने आवेदन पत्र मिले थे और कितने फ्लैट बेचने बाकी हैं और वास्तव में कितने फ्लैट बेचे गये हैं;

(घ) फ्लैटों के इतने कम बिकने के कारणों का पता लगाने के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं और इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ग) : सफदरजंग तथा नजफ़गढ़ रिहायशी योजनाओं में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी किये गये फ्लैटों की संख्या क्रमश : 60 और 100—कुल 160 थी। सफदरजंग योजना में 60 फ्लटों के लिए 175 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे सभी 60 फ्लैटों को निपटा दिया गया। नजफ़गढ़ योजना में फ्लैटों के मामले में 44 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल 38 फ्लैटों को ही निपटा सका।

(घ) और (ङ) : मामला विचाराधीन है।

Kishau Dam

4857. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kindar Lal :
Shri Bade : Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are constructing 730 ft. high Kishau Dam, nearly 10 miles away from the confluence of Jamuna and Tons for power supply purposes;

(b) whether the Dam is being constructed with the collaboration of the Central and State Governments;

(c) the proportion in which the Centre and the State will share the cost of construction; and

(d) when the work is likely to be completed?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakharuddin Ahmed) : (a) The Government of Uttar Pradesh are still carrying out necessary investigations for the construction of a Dam at Kishau.

(b) to (d). Do not arise at this stage.

कमला नदी

4858. श्री श्रीनारायण दास : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कमला नदी जिस पर हाल ही में बिहार में जैनागार के निकट एक बांध बनाया गया है, अपने वर्तमान नदी-तल को छोड़ती जा रही है और नेपाल के राज्य-क्षेत्र में ऊपर की दिशा में पूर्व की ओर बहना आरम्भ कर रही है जिसके परिणाम स्वरुप बांध बेकार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : नेपाल क्षेत्र में कमला नदी की कुछ उमड़ नालियों की प्रवृत्ति विकास की ओर है और कुछ समय के पश्चात् इनके नियम्मित नालियां हो जाने की सम्भावना है। इस स्थिति का सामना करने के लिये बिहार सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से नेपाल क्षेत्र में कुछ मीलों तक कमला नदी के दोनों ओर वर्तमान तटबन्धों के विस्तार के लिये एक स्कीम बनाई है। इस कार्य को शुरु करने के लिये नेपाल सरकार से अनुमति मांगी गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारी

4859. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा 1962 मे जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को पेंशन का हकदार बनाकर नियमित (वर्गीकृत) संस्थान में स्थानान्तरित करके उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त आदेशों के फलस्वरूप इस प्रकार नियमित संस्थान में स्थानान्तरित अनेक वर्क असिस्टेन्टों को 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर, स्थायी पदों के जिनमें उन्हें स्थायी किया जा सकता था अभाव के कारण बिना किसी पेंशनरी लाभों के सेवा-निवृत्त कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या, इन प्रभावित व्यक्तियों को पेंशन का हकदार बनाने तथा उनकी सेवा-निवृत्ति आयु को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। अ-औद्योगिक प्रकार की अनेक श्रेणियों को कार्यभारित स्थापना से नियमित वर्गीकृत स्थापना में स्थानान्तरित कर दिया गया था। कार्यभारित स्थापना में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्त आयु 60 वर्ष है तथा नियमित वर्गीकृत स्थापना में 58 वर्ष। पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को कार्यभारित स्थापना में बने रहने अथवा नियमित स्थापना में आने का विकल्प दिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) उन वर्क असिस्टेन्टों की सेवा-निवृत्त की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिन्होंने कि नियमित स्थापना में आना चुना। तथापि, वर्क असिस्टेन्टों की श्रेणी में 1 अप्रैल 1964 से अतिरिक्त स्थाई पद बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। सभी कर्मचारी जो कि इस तारीख को सेवा में होंगें, उन पदों पर अपनी वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर पुष्ट कर दिये जायेंगे।

Use of Staff Cars

4860. Shri Vishram Prasad :
Shri Gulshan :
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Staff Cars of Government are generally used by Ministers and high officials; and

(b) whether it is also a fact that staff cars are not made available even to those employees, who have to sit beyond midnight.

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Staff Cars are used for *bona-fide* official purposes by Ministers as well as by Government servants including senior officers?

(b) The Staff Cars can be used on official business at all hours. Journeys between office and residence are, however, ordinarily treated as non-duty journeys to be charged for at the prescribed rates. Non-gazetted employees required to work beyond normal working hours are compensated by payment of overtime allowance. Conveyance charges are also allowed in certain circumstances. Use of staff cars in such cases is dependent upon other demands on their availability and administrative considerations including that of the extra expenditure on overtime allowance for the driver. In certain Departments, where the nature of work demands it, Government transport is made available to the staff required for duty at night.

Shortage of Coins

4861. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great shortage of coins (from one to ten Paise) in the country; and

(b) whether a survey about the same has been conducted in any market outside Delhi?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. A survey is not considered necessary as the supply position, in relation to the estimated demand, is known to be quite satisfactory.

Expenditure on Hospitals

4862. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred on Allopathic Hospitals, Medical Research Centres and Laboratories under the control of Central Government in Delhi during the last two years;

(b) the amount incurred on Ayurvedic dispensaries during the above period; and

(c) the number of Ayurvedic Specialists (aids) and Allopathic Specialists in the Ministry of Health, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) The Central Government have under its control the Safdarjung and Willingdon Hospitals and the Central Government Health Scheme together with laboratories attached thereto. The budget for running these three Units during the last two years is given below :—

	1964-65 (Actuals)	1965-66 (Revised estimate)
	Rs.	Rs.
Safdarjung Hospital	80,82,909	91,50,000
Willingdon Hospital & Nursing Home . .	36,76,208	37,05,400
Central Government Health Scheme . .	1,33,40,884	1,39,28,300

(b) There was only 1 Ayurvedic Dispensary under the C. G. H. S. till recently. The expenditure incurred on this during the past two years is given below.—

	Rs.	
1964-65 . .	1,09,700	(actuals)
1965-66	1,82,200	(actuals)

A second Ayurvedic Dispensary has started functioning from 8-3-1966.

(c) The total number of Medical Officers (including specialists) is given below:—

Safdarjung Hospital	265	(including Registrars and House Surgeons)
Willingdon Hospital & Nursing Home .	96	(including Registrars and House Surgeons).
C.G.H.S.	382	
Ayurvedic Dispensary	5	

In the Ministry of Health and Family Planning including the Directorate General of Health Services there are 54 Alopathic medical officers and 8 Ayurvedic members of the staff.

Overtime Allowance

4863. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of overtime allowance paid to the stenographers and other personal staff attached to the Ministers and Officers of the Central Government durring 1964-65 and 1965-66?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it becomes available.

Ramagundam Project

4864. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that negotiations with Dr. Dharma Teja for further expansion of Ramagundam Project have collapsed;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Govern ıent have agreed to give financial assistance for the said project; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) &(b). An agreement between the Chairman State Electricity Board, Andhra Fradesh and Dr. J. Dharma Teja was signed on tne 7tn May, 1965 after negotiations for installation of 3×66 M.W. generating Station at Ramagundem on turn-key basis.

According to the agreement, Dr. Teja had to fulfil certain conditions within two months from the date of agreement, before it becomes effective. Dr. Teja has not been able to fulfil those conditions so far and has suggested to the State Electricity Board modifications in the terms earlier agreed to by him. In view of these developments and the consequent delay, the State Government have given up the scheme and in its place requested for the sanction of Kothagudem Stage III scheme. Accordingly, it has been decided to drop the Ramagundem (3×66 MW) scheme.

(c) & (d). No. Do not arise.

Eradication of Tuberculosis

4865. Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Dr. L. M. Singh :**
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to eradicate tuberculosis within the next 25 years;

(b) if so, the progress made this year in comparison to the last year;

(c) the amount of extra expenditure to be incurred this year as compared to tnat incurred during tne last year; and

(d) wnether Government propose to open any more new T. B. hospitals in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) It is too early to assess the progress made this year in comparison to the last year.

(c) Central Government's expenditure on the T. B. Schemes is not estimated to be more during this year as compared to the expenditure incurred during the last year.

(d) Government do not propose to establish any new T. B. Hospitals during this year. Domiciliary treat ment is as effective as institutional treatment and costs much less. The aim will be to treat as many of the active cases as possible through T. B. clinics and hence priority is being given to establishment of District T. B. clinics.

चिकित्सा शिक्षा पाने वाली छात्रायें

4866. **डा० श्रीनिवासन :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 और 1965–66 में विभिन्न राज्यों में विभिन्न चिकित्सा कालेजों में कितने प्रतिशत लड़कियों को दाखिल किया गया ;

(ख) क्या राज्यों को यह सलाह देने के संबंध में कोई प्रस्ताव है कि वे परिवार नियोजन विस्तार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा कालेजों में लड़कियों के लिये दाखिला बढ़ा कर 50 प्रतिशत तक कर दें; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य त था परिवार नि योजन मं त्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट म दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6230/66**।]

(ख) एसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

4867. **श्री कोला वेंकैया :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में, जिसकी कि 1964 में अखिल भारतीय कांग्रेस के गूंटूर मे हुए सम्मेलन में मांग की गई थी, अन्तिम निणय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अधिकतम सीमा क्या है ;

(ग) इसका क्या उद्देश्य है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न से कई जटिल मामले उठते हैं। ये विचाराधीन है।

गोदावरी नदी के पानी को मोड़ना

4868. **श्री फिरोडिया** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी पर बांध के लिये संभावित स्थानों की भूकम्पीय जांच करते समय यह मालूम हुआ कि गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा बेसिन की ओर मोड़ना सम्भव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पानी से कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) इस सम्बन्ध में कोई भूकम्पीय अध्ययन शुरु नहीं किए गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Supply of Drinking water

4869. **Shrimati Johraben Chavda** : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of villages in the country where there is no arrangement for the supply of pure drinking water; and

(b) the time by which arrangements for the same would be made in these villages?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha when received.

दिल्ली में चेचक की महामारी

4870. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रतन लाल :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चेचक का रोग हाल में बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (ी ब० सू० मुर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी 1965 से अप्रैल 1966 (29-4-1966) तक दिल्ली में रिकार्ड किये गये चेचक के रोगियों और इस रोग से होने वाली मौतों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6231/66।]**

(ग) इस रोग के फलाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. पीड़ित क्षेत्रों में टीका अभियान तेज कर दिया गया है।

2. टीका लगाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

3. पीड़ित क्षत्रों का संनिरीक्षेण किया जा रहा है।

4. स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार के उपाय बढ़ा दिये गये हैं।

Rural Housing Scheme in Maharashtra

4871. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount provided to Maharashtra Government under Rural Housing Scheme and the amount spent by the State Government thereon in 1965-66; and

(b) the amount proposed to be provided to Maharashtra during 1966-67?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) A sum of Rs. 70 lakhs was provided for the Village Housing Projects Scheme in Maharashtra during 1965-66. The actual amount spent in 1965-66 is not available, but the amount of central assistance actually released is Rs. 69·98 lakhs.

(b) Rs. 40 lakhs.

Vacant Posts in Government of India Presses

4872. Shri Nardeo Snatak : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of posts are lying vacant in each Department of all the Government of India Presses and fresh appointments are not being made against them resulting in adverse effect on out- put;

(b) if so, the number of vacancies in each Department of each press which have been laying vacant for the last two years; and

(c) the reasons for which they are not being filled up?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बम्बई मे सोना तथा मुद्रा का पकड़ा जाना

4873. श्री बसवन्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने अप्रैल, 1966 के दूसरे सप्ताह में बम्बई में एक बहुत बड़ा छापा मारा जिसमें उन्होंने 3,000 तोले सोना तथा 4 लाख 50 हजार रुपये मूल्य के नोट पकड़े; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां। 14 अप्रैल, 1966 को बम्बई सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 3,000 तोला सोना और 5,24,975 रुपये मूल्य की मुद्रा पकड़ी।

(ख) इस सम्बन्ध में सात व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं। मामले में आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाई

4874. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० ब्लैडीमिर पैट्रो द्वारा आविष्कृत ब्रिटेन की प्रथम खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाई की भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्तता की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में गर्भ-निरोध के लिये यह दवाई कहां तक लाभकारी सिद्ध हुई है ; और

(ग) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाई तैयार करने में अब तक कुल कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : डा० ब्लैडीमिर पैट्रो द्वारा आविष्कृत खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक पहली दवाई 4 मिलिग्राम मेगेस्ट्रोल एसेटेड और 0.05 मिलिग्राम इथिनाइल ओएस्ट्रेडिअल का एक मिश्रण थी। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् को 21 जनवरी 1964 को 50,000 गोलियां (वोलिडन ट्रेडमार्क) प्राप्त हुई थी और उनकी जांच चल रही है। संभवतया परिणाम 1966 के अन्त अथवा 1967 के प्रारम्भ तक प्राप्त हो जायेंगे।

(ग) खाई जाने वाली बहुत सी गर्भ-रोधक दवाइयों की नियंत्रक शक्ति जानने के बारे में देश के विभिन्न भागों में परीक्षण किये जा रहे हैं। अतः इतनी जल्दी उनके व्यापक उपयोग के बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। अब तक प्राप्त संकेत अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं हैं।

कोपिली परियोजना

4875. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री 2 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोपिली परियोजना को चौथी योजना में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): कोपिली परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसन्धान हो रहे हैं। चतुर्थ योजना में इसको शामिल करने का प्रश्न तभी उठेगा जब अनुसन्धान कार्य पूर्ण हो जाएगा और परियोजना की सम्भाव्यता निश्चित हो जाएगी।

उड़ीसा में अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों का कल्याण

4876. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ; और

(ख) यह राशि किन मदों पर खर्च की जायेगी ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्र शेखर) : (क) 185.73 लाख रुपये।

(172.73 लाख रुपये अनुसूचित आदिम जातियों के लिये तथा 13.00 लाख रुपये अनुसूचित जातियों के लिये।)

(ख) कृपया अनुबंध देखें। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6232/66।]**

दण्ड स्वरूप किराया

4877. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मनोहरन :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० मा० श्री अणे :
श्री कपूर सिंह :
श्री सेझियान :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्वार्टरों के किराये की बकाया राशि ने देने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लगाये गये कथित दंड-स्वरूप किराये की वसूली के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई कुछ अपीलें 20 महीनों से अधिक अवधि ने से उनके मंत्रालय में अनिर्णीत पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को ऐसी अपीलों के बारे में निर्णय करने में साधारणत: कितना समय लगता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार है कि इन अपीलों के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की जाये और सरकार द्वारा इन अनिर्णीत अपीलों पर निर्णय किये जाने तक उनसे वसूली न की जाये ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सरकारी कर्मचारियों के अभिवेदनों पर यथा संभव शीघ्रता से कार्यवाई की जाती है किन्तु कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। बढ़ा हुआ किराया केवल तभी वसूल किया जाता है जबकि नियमों के अन्तर्गत आवंटन रद्द होने के बाद कोई अधिकारी सरकारी वास अपने पास बनाये रखता है। सामान्यत: नियम शिथिल नहीं किये जाते तथा बकाया किराये को इकट्ठा होने से बचाने के लिए वसूली करनी पड़ती है। यदि अभिवेदन स्वीकार हो जाता है तो इस प्रकार वसूल की गयी राशि वापस दे दी जाती है।

जवानों के परिवारों को बेदखली नोटिस

4878. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन अलाटी सरकारी कर्मचारियों के, जिन्होंने स्थल सेना में सेवा अर्पित की और जो इमर्जेंसी कमीशन में चुने गये और जिन्हें दिल्ली से बाहर जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं, नियुक्त करके भेजा गया, आश्रितों को जिनके पास नई दिल्ली के जनरल पूल के अधीन सरकारी क्वार्टर हैं, बेदखली के नोटिस दिये गये हैं, जो इस घोषित सरकारी नीति के विरुद्ध हैं कि सैनिक कर्मचारियों के परिवारों को उनके स्थान से नहीं निकाला जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को ऐसे नोटिस दिये गये हैं ;

(ग) अलाटी कर्मचारियों द्वारा इमर्जेंसी कमीशन प्राप्त कर बाहर चले जाने के पश्चात् कितने परिवार बेदखल किये गये हैं;

(घ) नोटिस की अवधि कितनी दी गई थी; और

(ङ) क्या इस प्रकार की बेदखली के विरुद्ध प्राप्त कोई अभ्यावेदन अनिर्णीत पड़े हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, सरकारी कर्मचारी जो कि एमरजेन्सी कमीशन में चुन लिया जाता है उसे सामान्य पूल वास को, प्रशिक्षण के दौरान और फिर बाद में यदि उसकी तैनाती "गैर-रियायती क्षेत्र" (नान-कन्सेशनल एरिया) में हो जाती है तो दो महीने की और अवधि के लिए, अपने पास बनाये रखने की अनुमति दी जा सकती है। यदि उसकी तैनाती "रियायती क्षेत्र" (कन्सेशनल एरिया) में हो जाती है तो उसके परिवार को अपने पास सिविल वास बनाये रखने की अथवा उचित वैकल्पिक वास पर कब्जा रखने की अनुमति है जब तक कि वह फैमली स्टेशन पर पुन: तैनात न हो जाये या फिर अन्य स्थान पर अपनी पसंद के निवास स्थान में परिवार ले जाने की रक्षा मंत्रालय की रियायत का उपयोग नहीं करता, बशर्ते कि नियमित सेना अधिकारियों/सैनिकों पर सामान्य नियम लागू होते हों। इस नीति के विरुद्ध कोई मामला नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) : अभी तक कोई परिवार बेदखल नहीं किया गया है । लेकिन एक मामले में एक अधिकारी को जो कि एमरजैन्सी कमीशन के लिए चुन लिया गया था तथा "गैर-रियायती क्षेत्र" में तैनात था, एक नोटिस दिया गया है कि वह बताए कि उसे बेदखल क्यों न किया जाये क्योंकि अधिकारी ने इस मामले में अनुमेय (परमीसिबिल) रियायती अवधि समाप्त होने पर वास खाली नहीं किया ।

Demonstration by Employees of W. H. & U. D. Ministry

4879. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 14th April, 1966 more than 1,000 employees of his Ministry staged a demonstration;

(b) if so, the details of their demands; and

(c) the decision taken by Government on their demands?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes, but the number is not known.

(b) It was represented that the reversions of Assistants/Upper Division Clerks ordered by this Ministry with effect from the 1st April, 1966, contained in this Ministry's O. M. No. 24/15/65-Adm. I, dated the 5th April, 1966 was against the orders contained in the Ministry of Home Affairs O. M. No. F. 3(27)/65-CSII, dated the 25th February, 1966.

(c) Two of the reverted Assistants and three of the reverted Upper Division Clerks have since been promoted as Assistants and Upper Division Clerks respectively. The Ministry of Home Affairs have also been asked to find suitable vacancies of Assistants/Upper Division Clerks for the remaining reverted persons.

चेय्यर नदी पर जलाशय

4880. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुड्डापा जिले में चेय्यर नदी पर पुलीवेंडला जल मार्ग (चैनल) तथा जलाशय के परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन राज्य सरकार ने दे दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास 1961-62 में किया गया था और तब से इन परियोजनाओं पर कोई कार्य नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने में देरी के कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ये दोनों स्कीमें अतिरिक्त नई स्कीमों की उस सूची में शामिल की गई थीं जिस पर योजना आयोग ने उन को तीसरी योजना में शामिल करने के लिये अभी विचार करना है ।

सरकारी बस्तियों में सड़क की बत्तियां

4881. **श्री हिम्मत सिंहजी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुधांशु दास :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी बस्तियों में, जिनमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं, सड़क की बत्तियों की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन बस्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) उसके क्या कारण हैं;

(घ) इन बस्तियों में कितने समय से बत्तियों की व्यवस्था नहीं है; और

(ङ) सरकार का इन बस्तियों में कब बत्तियां लगाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : यह मान लिया जाता है कि सूचना दिल्ली में केवल सरकारी बस्तियों के सम्बन्ध में मांगी गयी है । यदि ऐसे है तो उत्तर निम्नांकित है :

(क) जी, हां ।

(ख) और (घ)

(i) शाहजहां रोड . . .	अक्टूबर, 1963 से
(ii) पंडारा रोडका भाग . . .	1954 से
(iii) पंचकुईया रोड (टाईप I क्वार्टर) . .	दिसम्बर, 1964 से
(iv) रामकृष्णपुरम में बहुमंजिले फ्लैट	सितंबर, 1965 से
(v) रामकृष्णपुरम में नेबरहुड II का भाग तथा IV, V, और VI के नेबरहुड	सितंबर, 1965 से

(ग) सड़कों की बत्तियों की व्यवस्था तथा अनुरक्षण का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का है। सिवाय पंडारा रोड के भाग के, अन्य बस्तियों में सड़क की रोशनी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गयी है, किन्तु अभी तक स्थानीय निकायों द्वारा इन पर अधिकार नहीं लिया गया है तथा रोशनी नहीं दी गयी है ।

इन बस्तियों में शाहजहांरोड, पंडारा रोड (भाग) तथा रामकृष्णपुरम के बहुमंजिले फ्लैट, नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में पड़ते हैं । नई दिल्ली नगर पालिका ने सड़क की बत्तियों को रोशनी देने तथा उनका अनुरक्षण करना अस्वीकार कर दिया है क्योंकि पंजाब म्यूनिसीपल एक्ट के अर्थ के अनुसार सड़कें "सार्वजनिक सड़कें" (पब्लिक स्ट्रीट्स) नहीं हैं ।

पंडारा रोड (भाग) पर सड़क की बत्तियों की व्यवस्था करने की मंजूरी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि नई दिल्ली नगर-पालिका उसके अनुरक्षण आदि क लिए सहमत नहीं है ।

अन्य दो बस्तियां दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में हैं । अनुरक्षण के लिए नगर निगम के द्वारा सड़कों का अधिकार ले लेने के बाद, सरकार के द्वारा लगाई गई सड़क की बत्तियों को रोशनी दी जायेगी ।

(ङ) दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में एक अथवा दो महीने के अन्दर सड़क की बत्तियों में रोशनी आने की संभावना है ।

नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र की सड़क की बत्तियों के अनुरक्षण के प्रश्न पर उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है तथा जैसे ही कोई समझौता होगा सड़क की बत्तियों को रोशनी दे दी जायेगी ।

जड़ीबूटियां

4882. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जड़ी-बूटियों की सही पहचान के लिये केन्द्र तथा राज्यों में एक उद्भिजालय (हर्बेरियम) स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): दो उद्भिजालय, एक हरिद्वार में और दूसरा रानीखेत में स्थापित किये गये हैं । कुछ और उद्भिजालय स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भुसावल गुड्स यार्ड में विस्फोट के बारे में
RE : EXPLOSION IN BHUSAVAL GOODS YARD

अध्यक्ष महोदय : भुसावल पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में कई सूचनाएं मेरे पास आयी हैं । मुझे मंत्री महोदय ने लिखा है कि वह एक बक्तव्य देंगे । वक्तव्य लम्बा है । इस लिये वह उसे सभा पटल पर रख सकते हैं और इस पर प्रश्न परसों पूछे जायेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : यदि वक्तव्य लम्बा न हो तो इसे पढ़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये एक और कठिनाई है । वित्त विधयक के लिय समय बहुत कम है। इसलिये इसे परसों लेंगे ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. POINT OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have a point of order regarding a privilege matter.

Mr. Speaker : I shall permit you tomarrow.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल राज्य के बारे में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, 1966 आदि

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(i) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1966 **[पुस्तकालय मे रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 6219/66 ।]**

(ii) विनियोग लेखे, 1964–65 **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–6220/66 ।]**

(iii) वित्तलेख, 1964–65 **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–6221/66 ।]**

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 526 की एक प्रति, जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6222/66]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 39वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 528 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6223/66 ।]**

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल बागान (अतिरिक्त कर) अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उप-धारा

[श्री ब० रा० भगत]

(3) के अन्तर्गत केरल बागान (अतिरिक्त कर) कर निर्धारिण का पुनरीक्षण नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 68/66 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालयमे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी–6224/66 ।]**

भारतीय बिजली (संशोधन) नियम, 1966

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं भारतीय बिजली अधिनियम 1910 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत भारतीय बिजली (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 523 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6225/66]**

सदस्यों की रिहाई
RELEASE OF MEMBERS

(सर्वश्री कोला वेंकय्या तथा नारायण स्वामी)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, हैदराबाद से 29 अप्रैल 1966 का लिखा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सर्वश्री कोला वेंकय्या और मदाला नारायण स्वामी, सदस्य, लोक सभा की 28 अप्रैल, 1966 को रिहाई के बारे में सूचित किया है ।

श्री नाथ पाई (राजापूर) : उन्हें छोड़ा तो 28 अप्रैल को गया था । फिर इतनी देर से क्यों सूचना मिली ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिती
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

अठासीवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अठासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक-लेखा समिती
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

बावन्नवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनु) : म सिविल, प्रतिरक्षा और वित्त लेख तथा राजस्व प्राप्तियों के विषय में लोक लेखा समिति के 27वें, 28वें, 29वें, 31वें, 33वें, 34वें, 35वें, 36वें, 38वें, 39वें, और 40वें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोकलेखा समिति का 52वां प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा प्रस्तुत करता हूं ।

भुसावल गुड्स यार्ड में विस्फोट के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : EXPLOSION BHUSAWAL GOODS YARD

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं मध्य रेलवे के भुसावल डाउन गुड्स यार्ड में 2-5-1966 को हुए विस्फोट के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-6218/66]**

नियम 219 का निलम्बन
SUSPENSION OF RULE 219

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 219 (2) को जहां तक इसका उस समय से सम्बन्ध है जबकि वित्त विधेयक, 1966 को निबटाने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रश्न रखा जाना है, इस विधेयक पर लागू होने से निलम्बित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार विवाद बन्द करने का प्रस्ताव पांच बजे रखा जाना है परन्तु मैं इसका समय एक घंटा और बढ़ा रहा हूं और अब यह 6 बजे रखा जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी निममों के नियम 219 (2) को हां तक इसका उस समय से सम्बन्ध है जबकि वित्त विधेयक, 1966 को निबटाने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रश्न रखा जाना है, इस विधेयक पर लागू होने से निलम्बित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और नियम निलम्बित हुआ।

वित्त विधेयक, 1966—जारी
FINANCE BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा 29 अप्रैल, 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार आरंभ करेंगी :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : मैं उस दिन आपको दास आयोग के सिद्धान्तों के बारे में कह रहा था।

इस समय के सरकार के वक्तव्यों से ऐसा दिखाई देता है कि वह अब भाषा के आधार पर राज्य बनने के हक में नहीं है। परन्तु 1949 से तो सरकार जे० वी० पी० समिति के प्रतिवेदन से सहमत है। कांग्रेस ने 1951 में जो अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी यही उल्लेख था और कहा कि राज्यों का निर्माण अन्त में जनता की राय पर निर्भर है।

[डा० मा० श्री० अणे]

उसी जे० वी० पी० समिति ने विदर्भ के बारे में कहा कि वहां के लोग चाहे तो विदर्भ बन सकता है । यह अधिकार उन्हें राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने भी दिया । विदर्भ का क्षेत्रफल 36,380 वर्ग मील है तथा 1961 के आधार पर जन संख्या एक करोड़ में कुछ ही कम है । अब तो यह जन संख्या अधिक हो गई होगी । मझ विश्वास है कि सरकार को वहां के लोगों का पता है कि यदि उनकी यह मांग पूरी नहीं की तो वह क्या कर गजरेंगे । आपने पंजाब और हरियाणा तो मान लिया परन्तु विदर्भ की मांग को ठुकरा रहे हैं ।

सरकार को चाहिये कि सारे देश में सरकार के विरुद्ध जो लहर उठ रही है उसे समझे । बड़े बड़े राज्यों में कुछ लोग वहां के अधिक संख्या वाले लोगों से तंग है । ऐसा आसाम में कबाईली क्षेत्र के लोगों के साथ हो रहा है । यही स्थिति मध्य प्रदेश में हुई और बस्तर की घटना पर भी गहराई से विचार करना चाहिये ।

कुछ बड़े बड़े राज्यों के रवैये से तंग आकर कुछ छोटे छोटे राज्य अपना संगठन कर रहे हैं । यह उत्तर तथा दक्षिण भारत दोनों में हो रहा है ।

गृह-कार्य मंत्री के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है परन्तु भारत के लोक तन्त्र की मांग यह है कि यह सत्ता किसी एसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिये जिसके कारण संसदीय राजतन्त्र अधिक सुरक्षित रह सके ।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : वित्त मंत्रीने वित्त विधेयक पेश करते हुए कहा था कि करों के बारे में वह छूट दे रहे ह । परन्तु उन्होंने भारत की जनता पर 100 करोड़ रुपए का अधिक कर लगा दिया । साथ ही यदि उनकी छूट को लिया जावे तो कर साधारण लोगों तक तो पहुंचेगी नहीं । जनता को करों से छुटी दी जानी चाहिये । जो अधिक निर्धन लोग है उन पर तो करों का बोझ अधिक पड़ेगा । इस विधेयक से बड़े बड़े कारोबार करने वालों तथा विदेशी एकाधिकारियों का शिकंजा सख्त होगा । वित्त मंत्री के नम्र शब्दों से इस कठिन बात को छुपाया नहीं जा सकता ।

यदि आप प्रत्यक्ष और परोक्ष करों को देखें तो विदित होगा कि 1950–51 से 1964–65 तक प्रत्यक्ष कर 36.8 प्रतिशत से घट कर 29.4 प्रतिशत पर आ गये हैं और परोक्ष कर उसी अवधि में 63.2 प्रतिशत से बढ़ कर 70.6 प्रतिशत हो गये हैं ।

भारत की विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है । पहली पंचवर्षीय योजना में विदेशों से ली गई सहायता 194 करोड़ रुपया थी । दूसरी योजना में 1,422 करोड़ रुपया थी और तीसरी योजना में यह 2,650 करोड़ रुपया हो गई । चौथी योजना भी विदेशी भीख के उपर अटकी हुई है । जब तक विश्व बैंक तथा वाशिंगटन नहीं कह देते, हम उस पर यहां विचार तक नहीं कर सकते । कोई भी देश जिसमें आत्मसम्मान है इस बात को कैसे सहन कर सकता है ।

विदेशों का ऋण सूद के साथ देना पड़ेगा । हमने जो 4,000 करोड़ रुपये चौथी योजना के लिये मांगे हैं उसका एक तिहाई तो विदेशों का ऋण तथा ब्याज देने के लिये है । विदेशों का ऋण प्रति व्यक्ति भारत में 85 रुपया हो गया है ।

सरकार पर विदेशों के जोर पड़ रहे हैं और मुझे इस पर अचम्भा हो रहा है । सरकार ने उर्वरकों के सम्बन्ध में समझौता कर लिया है जो कि बहुत बदनामी की बात है । सरकार ने जो विदेशों में भीख मांगने का अभियान किया हुआ है वह बिल्कुल अभूतपूर्व है ।

सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाने की बजाय विदेशों से अन्न आयात करना अच्छा समझा हुआ है । जो रुपया गांवों में जाता है वह भी वहां के धनी लोगों के पास ही पहुंचता है और ग़रीब जनता तो ग़रीब ही रहती है । यदि उत्पादन अधिक करना है तो किसान ही ठीक कर सकता है ।

केरल में खाद्य स्थिति खराब थी और अब उड़ीसा में 50 व्यक्ति अकाल के कारण मर गये। अब खाद्य मंत्री कहते हैं कि 1970 तक हम आत्म-निर्भर हो जावेंगे। मंत्री महोदय को खाद्य मंत्री कहने की अपेक्षा पी० एल० 480 का मंत्री कहें तो ठीक होगा। जितना अधिक अन्न बाहर से आता है उतनी ही उपज यहां कम हो रही है। यह कार्य कृषि में क्रान्ति लाये बिना ठीक नहीं हो सकता।

इस पी० एल० 480 के कारण ही भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित की है जिसकी आलोचना इस देश के शिक्षा शास्त्रियों ने की है। इसके द्वारा वह अमरीका के गुप्तचर विभाग को यहां ला रहे हैं।

'वायस आफ अमरीका' वाली घटना के बाद देश की आंखें खोलने के लिए यह काफी गम्भीर घटना है। हमारे देश की एकता को कैसे कैसे गम्भीर खतरे हैं। आज जो विदेशी विनिमय का गम्भीर संकट आ खड़ा हुआ है उसका कारण यही है कि हम बिना सोचे समझे साम्राज्यवादी शक्तियों से ऋण लेते रहे हैं। 20 प्रतिशत निर्यात की आय तो इसी कार्जे को निपटाने में ही समाप्त हो जाता है। इस से वे लोग परेशान है जो भारत को विदेशी शोषण का शिकार बनते नहीं देखना चाहते। इस संकट से निकलने के प्रयास में सरकार और ऋण ले रही है। विदेशी विनिमय कमाने की ललक में उसने 20 करोड़ रुपये की हानि केवल चीनी के निर्यात में उठाई है। और भारतीय उपभोक्ताओं को इस राशि के भुगतान के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह कितने खेद की बात है कि भारत की जो चीजें पुरातन काल से निर्यात हो रही है उनका भी अन्तर्राष्ट्रीय भाव प्रति वर्ष कम होता जा रहा है। जो वस्तुयें साम्राज्यवादी देशों से आ रही है; उनके दाम बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह क्या विडम्बना है। अनाज देने में भी अमरीका भारत की कठिनाइयों का पूरा पूरा लाभ उठा रहा है। सलफर इत्यादि का भाव भी बढ़ा दिया गया है।

इस प्रकार विदेशों पर आश्रित रहने से देश का बुरा हाल हो रहा है। अनाज की ढुलाई के प्रश्न को ही ले लें। भारत ने इस बारे में 50 प्रतिशत वस्तु भाड़े का भुगतान डालरों में करना है। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि भारत द्वारा जो वस्तु भाड़ा दिया जाता है वह बाजार भाव से कही अधिक है। गैर-विकास व्यय के संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि बेरोजगारी की समस्या कम करने की बजाए सरकार स्वचालित मशीनों द्वारा इसमें वृद्धि कर रही है। स्टेट बैंक, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, उनलय, रबड़, बाटा इत्यादि सब बिजली की मशीनों से काम ले रहे हैं। हालात खराब हो रहे ह और लोग विद्रोह करने की स्थिति में हो रहे हैं। देश में इस समय 30,000 लोग बेरोजगार है। मेरा कहना है कि यदि हमने अपनी आर्थिक विकास का हर फैसला वाशिंगटन में होना है तो देश का खुदा हाफिज़ है।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। और सामान्य बातों पर ही विचार करूंगा। जो भी आलोचना की गयी है वह बड़े जोरदार शब्दों में की गयी है। कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दी जाय। ऐसा करने से देश की अर्थ व्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी और स्वर्ण युग आ जायेगा। परन्तु यदि हम अन्य दृष्टि से विचार करे तो इस प्रकार के दृष्टिकोण का कोई आधार नहीं रहता। मेरा मत यह है कि इन दोनों के बीच का रास्ता ही श्रष्ठ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रहे उपक्रमों को जीवित रहने का पूरा अधिकार है। एक बात समझ लेनी चाहिए कि राज्य भी व्यक्तियों से ही बनता है। अतः गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में यह कहना कि उसकी उपेक्षा की जा रही है गलत बात है। गैर-सरकारी क्षेत्र जीवित है क्योंकि इसने हमारी अर्थ व्यवस्था की सहायता की है। इसलिए नहीं कि इस क्षेत्र द्वारा सरकार की आलोचना की है। मेरा कहना है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की वकालत करने वालों ने अपना पक्ष ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने अपना तर्क सिद्ध करने के लिए अपेक्षित आँकड़ें प्रस्तुत नहीं किये गये।

[श्री शचिन्द्र चौधरी]

इस संदर्भ में मेरा विवेदन यह है कि यद्यपि भारी करों के बोझ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु इस बारे में उपयुक्त बात नहीं कही गयी। वह यह कि इसके बदले में सामान्य लोगों को क्या मिला है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। जो भी अल्पाधिक सहायता दी गयी है, उससे गर-सरकारी क्षत्र को लाभ ही हुआ है। यह बात तो है ही कि इस तरह से पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा। पूंजी निर्माण के बारे में भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि पूंजी निर्माण का अर्थ केवल कुछ व्यक्तियों अथवा निगमों के पास ऐसा अधिक धन हो। यह भी एक तथ्यपूर्ण बात है कि सभी जगह भूमि के दाम बढ़े हैं और लोग इसमें धन लगा रहे हैं। इसका पारणाम यह हो रहा है कि उद्योगों में धन लगाने के स्थान पर भूमि खरीद करके रखने में अधिक लाभ है। अत: एक बात इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र का विस्तार इस कारण से नहीं रुका कि धन का अभाव है, यह तो उचित प्रबन्ध का अभाव है। यह खेद की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि जिससे उद्योगों में लगाने के लिए धन रवैयां जा सके। परिणाम यह होता है कि विभिन्न साधनों का निर्माण करके और ऋण प्राप्त करके गैर-सरकारी उपक्रमों की सहायता की जाती है। मेरा कहना है कि करो की कमी की बात तो निराधार है पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गैर-सरकारी हाथों में पूंजी को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और उसके लिए दक्ष प्रबन्ध तथा उपक्रमों को अपेक्षित उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

यह गलत है कि सरकार करों के रूप में काफी धन ले जाती है। कहा गया है कि हमारे देश में कर इतना अधिक देना पड़ता है कि 70000 और एक लाख की राशि के बीच की आय वालों पर 76 प्रतिशत कर लग जाता है। यह गलत बात है 70000 रुपये की आय वालों से 46 प्रतिशत कर लिया जाता है। एक लाख वालों से 55 प्रतिशत लिया जाता है। इस दिशा में गत चार मास में मेरे से जो हो पाया है मैंने किया है। यह आरोप भी गलत है कि आय कर का संशोधन करके प्रति वर्ष हम कराधान नीतियां बदल देते है। यह अधिकांशत: कराधान को सरल बनाने और करों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की रचना है। हमें इस लक्ष्य का पूरा आदर है। परन्तु हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत संविधान में यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया है कि वह सम्पत्ति खरीद सकता है और कारोबार कर सकता है। हमारा यह दायित्व है कि हम दोनों बातों का पूरा ध्यान रखे। देश की आज की स्थिति में हमें यहां निश्चित तथा नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था को स्थापित करना है। और इस दृष्टि से हम इसी ओर अग्रेसर हो रहे हैं। लाइसेन्स इत्यादि देना कुछ एसी बातें हैं जिनसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यह कह सकता हूं कि इस दिशा में काफी उदार नीति का अनुसरण किया जायेगा। परन्तु लाइसेन्स प्रणाली को छोड़ा नहीं जा रहा। इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि यदि देश के आम लोगों के लाभ के लिए कोई उद्योग विशेष कार्य कर रहा हो तो उसकी आयात सम्बन्धी नीति काफी उदार रहेगी। उसे विविध प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित सुविधायें दी जायेगी। इस बारे में कठिनाई यह है कि यदि किसी उद्योग का प्रभुत्व बहुत बढ़ जाता है तो उसका प्रोत्साहन बन्द करना पड़ता है। और लाइसेन्स देने की पीछे यही भावना है कि किसी का एकाधिकार स्थापित न हो जाय। यह भी तथ्य की बात है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में नियन्त्रण रखना ही पड़ता है।

एकाधिकार की स्थिति के बारे में सरकार विशेष रूप से चिन्तित है। एकाधिकारों की स्थिति जानने के लिए हमने दो विभिन्न आयोग अर्थात एकाधिकार आयोग और मैनेजिंग एजेन्सी जांच समिति की स्थापना की है। इस आयोग तथा समिति ने अपना अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इन दोनों की अध्यक्षता स्वतन्त्र व्यक्तियों ने की है। हम इस बात पर विचार करेंगे कि इन प्रतिवेदनों को कानूनी रूप किस प्रकार दिया जाय। यह कहना भी गलत है कि हमने विदेशों के हाथ देश को बेच दिया है। इतना जरूर है कि कुछ कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पी० एल० 480 की सहायता

अवश्य ले रहे हैं। यह बहुत ही आवश्यक है । यह आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं कि हमनें अपना शरीर और आत्मा अमरीका को बेच दिया है । हमने केवल अपने भूखों मर रहे लोगों के लिए उनसे अनाज हासिल किया है। हमारे केरल के मित्र चावल मांगते हैं आप बताइये कि हम चावल कहा से लाये। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के संसार में जहां हम राष्ट्रों का सौजन्य स्थापित करने की आशा करते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के मामले में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के पास जाना चाहिए। हमने यदि ऐसा किया है तो कोई गलत काम नहीं किया। यह कह कर हमें अपना अथवा देश का अपमान नहीं करना चाहिए कि हम भिक्षा मांग रहे हैं और दान प्राप्त कर रहे हैं।

जो कठिनाइयां देश में महसूस हो रही हैं, उसके लिए यह जरूरी था कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता ली जाय । परन्तु हम इसे अपनी प्रणाली में स्थायी स्थान नहीं दे रहे। इस बात का हमें पूरा अहसास है कि हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। अनाज में वृद्धि करने के लिए उर्वरक बहुत आवश्यक है । उर्वरकों के विषय हम खासा विवाद कर चुके हैं। उर्वरक करार उचित है अथवा नहीं और क्या इससे हमारी आजादी में अन्तर आता है ? ये प्रश्न विचारणीय है । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमने बातचीत द्वारा नियत किये गये मूल्य पर उनका उत्पादन अपनी इच्छानुसार, खरीदने के अधिकार को नहीं छोड़ा है । मेरे विचार में व्यापारिक दृष्टि से यह सौदा कोई बुरा नहीं है । उर्वरक हमारे लिए बड़ा जरूरी है । हम पहले ही उर्वरक के मामलें में एक अन्य देश की सहायता से दो अन्य उर्वरक कारखाने स्थापित करने आरम्भ कर दिये हैं। हम उर्वरक के लिए जो भी सहायता प्राप्त कर सकते है करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए यह कैसे कहा जा रहा है कि हम अपनी आत्मा बेच रहे हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उर्वरक के बाद विश्व बैंक के ऋण का सवाल आता है । हमारे एक सहयोगी देश से बाहर गये हुए हैं और इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। बैंक की ओर से शर्तों का प्रस्तुत किया जाना स्वाभाविक ही है । यह बात गलत है कि हम संसद की अनुमति के बिना ही इस बारे में दूसरे देशों से सहायता प्राप्त करने की बातचीत कर रहे हैं। हम संसद की अनुमति से ही इस बारे में बातचीत कर रहे है।

अब चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है । हमें अपने संसाधनों का कुछ ज्ञान होना चाहिये ताकि हम अपनी योजना में उसके अनुसार कटौती करके योजना तैयार कर सकें। हमारी योजनाओं का आधार यह नहीं है कि क्या प्राप्त होगा बल्कि हम योजनाओं को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बना रहे हैं । इस के लिये हमें अपने संसाधनों की ठीक ठीक जानकारी होना आवश्यक है। हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना चाहिये और यह भी देखना चाहिए कि आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे अथवा नहीं। विश्व बैंक 105 राष्ट्रो से व्यवहार रखता है । उसके लिये यह स्वाभाविक है कि वह पता लगाए कि स्थिति क्या है और कितनी सहायता उसे देनी है । प्रत्येक सौदे के साथ शर्तें तो होती ही हैं। हमने कोई सहायता अपना अपमान कराके अथवा प्रत्येक शर्त के सामने झुक कर नहीं स्वीकार की है। अतः जो सहायता ली जा रही है उसमें कोई बुराई नहीं है ।

मैं वित्त विधेयक सभा की सहमति के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1966–67 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 106; विपक्ष में 24/Ayes 106; Noes 24.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2
Clause 2

श्री नारायण दांडेकर (गौंडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 10 में, औद्योगिक कम्पनी की व्याख्या की गई है और मेरा सुझाव है कि स्पष्टीकरण में छोटा सा सुधार किया जाना चाहिये ताकि लाभों में उतार-चढ़ाव के कारण असाधारण परिणाम न निकलें । केवल इस बात से ही परख नहीं होनी चाहिये कि पिछले वर्षों में किसी निर्धारित आद्योगिक गतिविधि से 51 प्रतिशत आय हुई है बल्कि यह देखा जाना चाहिये कि उन विशेष औद्योगिक गतिविधियों से पिछले वर्षों में अथवा पिछले दो वर्षों में आय 51 प्रतिशत है। तब ही लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत अर्नजित आय के बारे में भेद भाव किया जाता है क्योंकि उस पर अधिक अधिभार लगाया जाता है । लाभांश आय को अनर्जित आय माना जाता है। अतः अधिक अधिभार लग जाता है ।

पूंजी बाजार कुछ दिनों से शान्त अवस्था में है । यदि उसे नई शक्ति देनी है तो लाभांश आय पर अधिक अधिभार नहीं लगाया जाना चाहिये । इस प्रकार लोगों को कम्पनियों के अंशों में रुपया लगाने के लिय उत्प्रेरणा मिलेगी। सरकारी प्रतिभूतियों को पहले से ही अर्जित आय माना जा रहा है । लाभांश आय को अर्जित आय न माना जाना और उस पर अधिक अधिभार लगाना उचित नहीं है । अतः इस संशोधन की आवश्यकता है । कम्पनी अंशों में लगाई गई पूंजी को भी अर्जित आय माना जाय । यही मेरा संशोधन है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ऐसे कुछ मामले हैं जिन में आय कर बकाया पड़ा हुआ है और अभी तक वसूल नहीं किया जा सका है । ऐसे दो मामले हैं। एक तो श्री राम रतन गुप्त का है जिसमें 31 लाख रुपये का आय कर अपलिखित कर दिया गया है और दूसरे मामले में 51 लाख रुपये के आयकर के बकाया को अपलिखित किया गया है। माननीय वित्त मंत्री कृपा करके इस बारे में कुछ बतायें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have tabled my amendment in connection with the exemption limit on income tax. The exemption limit on income tax should be Rs. 4,500 instead of Rs. 3,500 so that some relief is given to the common man.

On 21st April I had asked unstarred question No. 4172 regarding a Bombay firm, Messrs Kilachand Devchand which had shown rupees 56·5 lakhs loss on account of speculation in the cotton forward business. No action was taken against the income tax officer who had a hand in this matter and who was found guilty. Instead he is now Chairman of the Board of Direct Taxes. The honorable Minister should see the connected papers himself. Is it a fact that in a circular issued by the Finance Ministry on January 6, directions were sent that further raids in connection with evasion of income tax be stopped? Quite a long time has lapsed since then. Has any effective action since been taken?

In three of the cases of income-tax evasion, the lawyer happens to be the son of the Chairman of the Board of Direct Taxes. This clearly shows that there is a collusion between the Government, the bureaucracy and the business people and all corruption is rampant on account of this. The honorable Minister should do something to improve the situation.

Shri Raghunath Shingh (Varanasi) : I move amendments numbers 107 and 108.

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । इनको प्रस्तुत हुआ मान लिया जाए ।

Shri Raghunath Singh : The definition of the industrial company includes a company engaged in the building of ships. The minimum price of a ship is Rs. 1 crore and 40 lakhs. But the main part of the ship is the disel engine and the parts manufactured at the ancillary industries cost half the total price of a ship. Unless, therefore, these two are included in it, there can be no relief whatever to the ship building company. 50 *per cent.* of the components of a ship specially diesel engines are being imported at presen. If any relief is given, the Indian manufacturers can be encouraged to build tnem nere. Only in that manner could our own shipping industry can get a fillip.

India buys 3 per cent of the ships built in Japanese ship yards, 10 per cent of the ships made in German shipyards, 6 per cent of the ships manufactured in Polish shipyards and 13 per cent of the ships manufctured in shipyards in Yugoslavia. India, therefore does not manufacture more than 3% ships. We are, therefore, feeding foreign ship-building industry. We are the biggest purchaser of ships from foreign market. Hence, these amendments should be accepted for the sake of the Indian ship-building industry.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । उनके अनुसार किसी कम्पनी का पिछला वर्ष ही बल्कि पिछले दो वर्षों को लिया जाए । इस संशोधन को दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है । प्रथम, कर केवल एक पिछले वर्ष से ही सम्बन्धित है न कि उस से पिछले वर्षों से । दूसरे, सम्बद्ध पिछले वर्ष से पहले दो वर्षों में औद्योगिक कारबार के होने की संभावना हो सकती है और ऐसा हो सकता है कि सम्बद्ध पिछले वर्ष में कुछ भी न हो । परन्तु ऐसा विचार नहीं है कि उन लोगों को इस व्याख्या से लाभ होगा । अत: मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

जहां तक श्री बरुआ के संशोधन का प्रश्न है, यदि मैं उसे स्वीकार करूं तो प्रत्येक आय विशेषकर भू-सम्पत्ति से होने वाली आय अर्जित आय हो जायगी । उस दशा में सारी व्याख्या ही समाप्त हो जाएगी । अत: मैं इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता ।

जहां तक श्री रघुनाथ सिंह के संशोधनों का प्रश्न है, उनके संशोधन को स्वीकार करने से धारा में उलझन उत्पन्न हो जायगी । इस व्याख्या के अन्तर्गत डीजल इन्जिन इत्यादि सभी आ जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई संशोधन वापस लिये जा रहे हैं ?

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस लिया गया/*The amendment was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री दांडेकर अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री नारायण दांडेकर : जी नहीं ।

संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।/*The amendment was put to the vote of the house and was negatived.*

श्री रघुनाथ सिंह : मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।/*The amendments were by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted:*

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 2 was added to the bill.*

खण्ड 3—वार्षिकी निक्षेप

Clause 3—(Annuity Deposit)

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि पृष्ठ 5, पंक्ति 31 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

13. (1) आयकर अधिनियम के अध्याय 22क में दिये गये उपबन्धों को छोड़ कर 1 अप्रैल 1966 को आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के वार्षिकी निक्षेप तथा 1 अप्रैल 1966 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के वार्षिकी निक्षेप उस प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जिस पर उक्त अध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, दूसरी अनुसूची में उल्लिखित दरों पर जमा करेंगे ।

(2) इस धारा तथा दूसरी अनुसूची के लिये, "समायोजित कुल आय", "वार्षिकी निक्षेप" तथा "निक्षेप" शब्दों के अर्थ आय-कर अधिनियम की धारा 280ख के खण्ड (1), (5) और (6) में क्रमश: दिये गये-अर्थों के अनुसार होंगे । [87]

Page 5, *for* lines 31 to 35, *substitute* —

13. (1) Save as otherwise provided in Chapter XXIIA of the Income tax Act, annuity deposit for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1966 and annuity deposit to be made during the financial year commencing on the 1st day of April, 1966, shall be made by every person to whom provisions of that Chapter apply, at the rate or rates specified in the Second Schedule.

(2) "For the purposes of this section and the Second Schedule, the expressions adjusted total income", "annuity deposit" and "depositor" have the meanings respectively assigned to them under clauses (1), (5) and (6) of section 280B of the Income tax Act.)" [87]

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): वित्त मंत्री ने अपने संशोधन द्वारा किसी सीमा तक वार्षिकी निक्षेप योजना के शरारती तत्व को सीमित करने की कोशिश की है । परन्तु यह तथ्य है कि उन लोगों में से अधिकांश को जिन्हें इस योजना से बड़ी कठिनाई हो रही थी, कोई लाभ नहीं होगा । बहुत से ऐसे लोग जो अभी 70 वर्ष के नहीं हुए हैं और जिनकी वार्षिक आय 25,000 रुपये से अधिक है अभी इसी योजना के अन्तर्गत आयेंगे । जितना समय तथा जितनी शक्ति, रिज़र्व बैंक में रुपया जमा कराने तथा इसके पश्चात उसे निकालने में व्यय होगा उसको देखते हुए यह कहना उचित होगा कि इस प्रकार का कर पहले कभी शायद ही लगाया गया हो ।

इसके विपक्ष में एक और बात है और वह यह है कि इस योजना द्वारा रुपया ऐसे लोगों से छिन जाता है जो उसका सदुपयोग करना जानते हैं और सरकार के पास चला जाता है जो इसका ठीक ढंग से विनियोजन नहीं कर सकती ।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकारी उपक्रमों से 0.3 प्रतिशत का लाभ होता था और अगले वर्ष 0.5 प्रतिशत होने लगेगा । मैं नहीं कह सकता कि अब कितना लाभ हो रहा है । इतने कम लाभ को देखते हुए कोई भी व्यक्ति किसी के रुपये को अथवा अपने ही रुपये को संभालने के योग्य नहीं समझा जा सकता ।

मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं । हम इस योजना को चलाये जाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह एक तंग करने वाली, अलाभप्रद तथा राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध योजना है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं श्री मसानी से सहमत नहीं हूं । मैं अपने संशोधन का आग्रह करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'कि पृष्ठ 5, पंक्ति 31 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

13. (1) आयकर अधिनियम के अध्याय 22क में दिये गये उपबन्धों को छोड़ कर 1 अप्रैल 1966 को आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के वार्षिकी निक्षेप तथा 1 अप्रैल 1966 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के वार्षिकी निक्षेप उस प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जिस पर उक्त अध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, दूसरी अनुसूची में उल्लिखित दरों पर जमा करेंगे ।

(2) इस धारा तथा दूसरी अनुसूची के लिये, "समायोजित कुल आय", "वार्षिकी निक्षेप" तथा "निक्षेप" शब्दों के अर्थ आय-कर अधिनियम की धारा 280 ख के खण्ड (1), (5) और (6) में क्रमश: दिये गये अर्थों के अनुसार होंगे ।

Page 5, *for* lines 31 to 35, *substitute*—

13. (1) Save as otherwise provided in Chapter XXIIA of the Income tax Act, annuity deposit for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1966 and annuity deposit to be mabe during the financial year commencing on the 1st day of April, 1966, shall be made by every person to whom provisions of that Chapter apply, at the rate or rates specified in the Second Schedule.

(2) "For the purposes of this section and the Second Schedule, the expressions adjusted total income", "annuity deposit" and depositor" have the meanings respectively assigned to them under clauses (1), (5) and (6) of section 280 B of the Income tax Act." [87]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4—(धारा 2 का संशोधन)

Clause 4—(Amendment of Section 2)

श्री नारायण दांडेकर : सरकारी संशोधन संख्या 88 को देखते हुए, मैं अपने संशोधन संख्या 3 को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

संशोधन किया गया/*Amendment made.*

पृष्ठ 5, पंक्तियां 40 से 42, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

'(एक) उप-खण्ड (ख) में, "यदि यह एक गैर-सरकारी कम्पनी नहीं है" के स्थान पर "यदि यह कम्पनी एक गैर-सरकारी कम्पनी नहीं है" रखा जाए ;'

(श्री शचीन्द्र चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : [88]

"कि खण्ड 4, संशोधन रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The motion was adopted.*

खण्ड ४, संशोधन रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause 4 as amended was added to the Bill.*

खण्ड 5—(धारा 13 का संशोधन)

Clause 5—(Amendment of Section 13)

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं संशोधन संख्या 89 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : सरकारी संशोधन को देखते हुए, मैं अपने संशोधन संख्या 4, 6, 109 और 110 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे चार संशोधन संख्या 59, 60, 61 और 62 हैं । मैं इनमें से संशोधन संख्या 60 और 62 को प्रस्तुत नही कर रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्री ने संशोधन संख्या 89 प्रस्तुत किया है । मैं केवल संशोधन संख्या 59 और 61 प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 6, पंक्ति 36, के पश्चात, यह रखा जाए :

'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामले में, जहां यह धारा केवल इस कारण प्रयुक्त होती हो कि न्यास के नियमों अथवा संस्था के संचालन नियमों के अधीन ऐसी आय का कोई अंश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा न्यास अथवा संस्था की आय का कोई अंग अथवा सम्पत्ति पहले वर्ष में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी संस्थापक व्यक्ति सदस्य के सम्बन्धी अथवा सम्बन्धियों के प्रयोग में आई हो तथा आय की यह राशि जो ऐसे किसी सम्बन्धी अथवा सम्बन्धियों के लाभ के लिये व्यय की गई हो, तथा पहले वर्ष में इस सम्पत्ति के उपभोक्ता अथवा प्रयोग से उसके अथवा उनके द्वारा उठाये गये लाभ की राशि न्यास अथवा संस्था से हुई पहले वर्ष की कुल आय के 25 प्रतिशत से अधिक न हो, तो इस धारा के उपबंध न्यास अथवा संस्था की आय के केवल उस अंश तक लागू होंगे जो उक्त लाभ की राशि तथा इस प्रकार प्रयुक्त होने वाली राशि से अधिक नहीं होगी ।' [89]

Page 6, *after* line 36, *insert*--

'Provided that in a case where this section applies by reasons only that under the terms of the trust or the rules governing the institution any part of such income ensures directly or indirectly or that any part of the income or any property of the trust or institution is, during the previous year, used or applied directly or indirec tly, for the benefit of any relative or relatives of such author, founder, person or member, and the amount of income so ensuring or used or applied for the benefit of such relative or relatives, together with the value of the benefit derived by him or them from the user or application of such property, if any, during the previous year, does not exceed a sum calculated at the rate of twentyfive per cent of the income of the trust or institution of the previous year, the provisions of this section shall have effect only in respect of that part of the income of the trust or institution which does not exceed the amount so ensuring or used or applied together with the value of the benefit aforesaid.' [89]

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 59 और 61 पर बोलना चाहता हूं तथा वित्त मंत्री के संशोधन संख्या 89 का स्पष्टीकरण भी चाहता हूं । संशोधन द्वारा इस खण्ड को सुधारने का विचार है । यदि 25 प्रतिशत अथवा उससे कम के ऊपर लागू होगा तो न्यास की उतनी आय को ही विमुक्ति मिलेगी और बाक़ी जितने को इस समय विमुक्ति मिल सकती है, उसको विमुक्ति मिलती रहेगी । मुझे परन्तुक के मध्य के भाग पर आपत्ति है । मैं उसे पढ़ देता हूं :

"तथा आय की यह राशि जो ऐसे किसी सम्बन्धी अथवा सम्बन्धियों के लाभ के लिये व्यय की गई हो," यहां तक तो ठीक है । इससे आगे यह दिया हुआ है :

"तथा ऐसी सम्पत्ति के उपभोक्ता अथवा प्रयोग से उसके अथवा उनके द्वारा प्राप्त लाभ के मूल्य के साथ" यदि यह मान लिया जाए कि एक शिक्षा न्यास किसी ऐसे व्यक्ति को क्षात्रवृत्ति देता है जो न्यास के संस्थापक का सम्बन्धी होता है तो इस खण्ड द्वारा कर-अधिकारी न्यास को केवल क्षात्रवृत्ति की राशि पर ही विमुक्ति नहीं देंगे परन्तु उससे होने वाले अनुमानित लाभों पर भी छूट देंगे ।" मैं नहीं कह सकता कि इसका यही मतलब है परन्तु स्पष्ट ऐसा ही होता है । माननीय वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें तो ठीक है ।

अब मैं अपने संशोधन संख्या 59 और 61 के बारे में कुछ कहूंगा। न्यास विभिन्न प्रकार के हैं। इनमें से कुछ 50 वर्ष पुराने भी हो सकते हैं। न्यासों के प्रबन्धक किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति उनसे लाभ उठा रहा है वह उनके न्यास के संस्थापक का अथवा दान देने वाले का अथवा मूख्य अभिदाता अथवा हिन्दु परिवार का सम्बन्धी है जिनके वह सदस्य हैं। यह जानना असम्भव है।

इस संशोधन द्वारा मैं यह चाहता हूं कि "जानते हुए और जान बूझ कर" शब्द पंक्तियों 26 और 33 में जोड़ दिये जायें। इससे मेरा आशय यह है कि प्रबन्धक न्यासी जानते हुए और जानबूझ कर संस्थापक के किसी रिश्तेदार को लाभ नहीं पहुचायेंगें। इन शब्दों को जोड़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि आयकर अधिकारी निर्धारिती को यह सिद्ध करने के लिये कहते हैं कि जिन विद्यार्थियों को उन्होंने सहायता दी है वे प्रवर्तक के सम्बन्धी नहीं थे, जो कि बहुत असम्भव है।

श्री मुरारका (झुंझनू) : आयकर अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) में एक परन्तुक जोड़ा गया है। इस परन्तुक में 'ऐसा रिश्तेदार अथवा रिश्तेदारों' शब्दप्रयोग किये गये हैं, जबकि उप-खण्ड (दो) में केवल "रिश्तेदार" प्रयोग किया गया है। इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह परन्तुक में भी वही शब्दप्रयोग करें जो उन्हों ने उप-खण्ड (दो) में प्रयोग किये हैं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मेरे विचार में इस खण्ड की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आयकर अधिनियम की इस धारा में पहले ही एक ऐसा उपबंध है कि यदि किसी धर्मार्थ संस्था का प्रयोग उस संस्था के प्रवर्तक अथवा सदस्यों के लाभ के लिये किया जायेगा तो उसको आयकर से विमुक्ति नहीं मिलेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रवर्तक का कोई रिश्तेदार 50 वर्ष पश्चात बहुत गरीब हो जाये और धर्मार्थ अस्पताल से इलाज करवाने का हकदार भी हो तो क्या यह उसका कसूर है कि 50 वर्ष पहले वह इस धर्मार्थ संस्था के प्रवर्तक का रिश्तेदार था। यह बहुत ही गलत और अन्यायपूर्ण बात है कि किसी ऐसे गरीब व्यक्ति की एक धर्मार्थ संस्था मे इसलिये इलाज न करवाने दिया जाये क्योंकि वह एक ऐसे आदमी का रिश्तेदार है जिसे न तो उसने देखा है और न ही उसकी सम्पत्ति से कोई भाग लिया है। क्या यह उचित और न्यायपूर्ण है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं श्री दांडेकर के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता चूंकि हमें इस संशोधन द्वारा उस लाभ को नहीं देखना जोकि किसी व्यक्ति को अन्ततः प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि यह विशेष खण्ड उन धर्मार्थ संस्थाओं पर लाग होगा जो 31 मार्च 1962 के पश्चात, स्थापित हुई हैं। अतः 50 अथवा 100 वर्ष पहले की संस्थाओं का प्रश्न ही नहीं उठता। आय-कर विभाग को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह कार्य जानबूझ कर किया गया है।

श्री नारायण दांडेकर : मैं यह कैसे सिद्ध कर सकता हूं कि फलां व्यक्ति मेरा रिश्तेदार नहीं है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इसके लिये कोई कागजात पेश करने की आवश्यकता नहीं। आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि हमारे माता-पिता एक नहीं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस खण्ड को निकट सम्बन्धियों तक ही सीमित क्यों नहीं किया जाता?

श्री शचीन्द्र चौधरी : आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धी से मतलब है, भाई बहन अथवा पुत्र, पौत्र किसी भी धर्मार्थ संस्था की आय का 25% भाग उसके प्रवर्तक के रिश्तेदारों में बांटा जा सकता है

श्री नारायण दांडेकर : "रिश्तेदार" की परिभाषा इस प्रकार है :

"धारा 13 के प्रयोजनों के लिये 'रिश्तेदार में भाई अथवा बहन के पुत्र-पौत्र भी शामिल होंगे" अन्य शब्दों में इसकी कोई सीमा नहीं है।

श्री मुरारका : शब्द "रिश्तेदार" पहले भी था। अब तो वित्त मंत्री ने एक रियायत कर दी है कि किसी धर्मार्थ संस्था की आय का 25 प्रतिशत भाग प्रवर्तक अथवा उसके रिश्तेदार उपयोग कर सकते हैं

श्री शचीन्द्र चौधरी : "रिश्तेदार" की परिभाषा धारा 2 के खण्ड (41) में दी हुई है। यह पहले भी थी अतः मैं यह छट और अधिक विस्तृत रूप से लागू नहीं कर सकता। मैं श्री मुरारका से सहमत हूं कि परन्तुक में से शब्द "अथवा रिश्तेदारों" हटा दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 59 और 61 सभा के मतदान के लिये रखूगां।

संशोधन संख्या 59 और 61 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*The amendments Nos. 59 and 61 were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 89 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

श्री मुरारका : मेरा एक मौखिक संशोधन है कि शब्द "अथवा रिश्तेदार" हटा दिये जायें।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं इससे सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब म सरकारी संशोधन संख्या 89, संशोधित रूप में, सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 36 के पश्चात् यह जोड़ा जाये :—

'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामले में, जहा यह धारा केवल इस कारण प्रयुक्त होती हो कि न्यास के नियमों अथवा संस्था के संचालन नियमों के अधीन ऐसी आय का कोई अंश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा न्यास अथवा संस्था की आय का कोई अंग अथवा सम्पत्ति पहले वर्ष में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी संस्थापक, व्यक्ति अथवा सदस्य के सम्बन्धी अथवा सम्बन्धियों के प्रयोग में आई हो तथा आपकी यह राशि जो ऐसे किसी सम्बन्धी अथवा सम्बन्धियों के लाभ के लिये व्यय की गई हो, तथा पहले वर्ष में इस सम्पत्ति के उपभोक्ता अथवा प्रयोग से उसके अथवा उनके द्वारा उठाये गये लाभ की राशि न्यास अथवा संस्था से हुई पहले वर्ष की कुल आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं तो इस धारा के उपबन्ध न्यास अथवा संस्था की आय के केवल उस अंश तक लागू होंगे जो उक्त लाभ की राशि तथा इस प्रकार प्रयुक्त होने वाली राशि से अधिक नहीं होगा।' [89]

Page 6, *after* line 36, *insert*:—

'Provided that in a case where this section applies by reasons only that under the terms of the trust or the rules governing the institution any part of such income ensures, directly or indirectly or that any part of the income or any property of the trust or institution is, during the previous year, used or applied directly or indirectly for the benefit of any relative of such author, founder, person or member, and the amount of income so ensuring or used or applied for the benefit of such relative together with the value of the benefit derived by nim from tne user or application of such property, if any, during tne previous year, does not exceed a sum calculated at the rate of twenty five *per cent.* of the income of the trust or institution of the previous year. the provisions of this section shall have effect only in respect of that sart of the income of the trust or institution which does not exceed the amount so ensuring or used or applied together with the value of the benefit aforesaid.'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted*

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया।/*Clause* 5, *as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 6—(धारा 32 का संशोधन)
Clause 6—(Amendment of Section 32)

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 2 के स्थान पर यह रखा जाये :

"निर्धारिती द्वारा अपने व्यवसाय अथवा रोजगार के लिये पहले प्रयोग किया गया;" [90]

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 8 और 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 8 और 10 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 8 और 10 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*The amendments No 8 and 10 were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 90 सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं

प्रश्न यह है कि :

'पृष्ठ 7, पंक्ति 2 के स्थान पर यह रखिये :

"निर्धारिती द्वारा अपने व्यवसाय अथवा रोजगार के लिये पहले प्रयोग किया गया " [90]

Page 7, *for* line 2, *substitute*—

"First put to use by the assessee for the purposes of his businese or profession"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted*

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया/*Clause 6, as amended, was added to the Billa.*

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7 और 8 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 और 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

खण्ड 7 और 8 विधेयक में जोड दिये गये /*Clauses 7 and 8 were added to the Bill.*

खण्ड 9—(धारा 34 का संशोधन)
Clause 9.—(Amendment of Section 34)

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 35 के स्थान पर यह रखा जाये :

"9. आयकर अधिनियम की धारा 34 में, उप-धारा (3) के खण्ड (क) में—

(एक) परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् : [91]

पृष्ठ 8, पंक्ति 39 के पश्चात यह जोड़ा जाये :

(दो) निम्नलिखित स्पष्टीकरण सदैव जोड़ा हुआ समझा जायेगा, अर्थात :

'**स्पष्टीकरण** : सन्देह को दूर करने के लिए, यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि धारा 33 में उल्लिखित कटौतियां केवल इसी आधार पर नहीं की जायेंगी कि सम्बद्ध पिछले वर्ष के हानि और लाभ लेखे के खाते में लादी गई राशि और रखित लेखे से निकाली गई लाभ और हानी लेखे के अनुसार ऐसे पिछले वर्ष के लाभ से अधिक है (बिना उपर्युक्त राशि निकाले हुए हिसाब लगाया गया)' [92]

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं। मैं संशोधन संख्या 63 वापस लेता हूं। इस विकास अवहार के सम्बन्ध में दो विवाद हैं। पहला सन्देह तो वित्त मंत्री के संशोधन द्वारा दूर हो गया है। दूसरा सन्देह लाभ और हानि लेखे से तनिक कम और तनीक अधिक के सम्बन्ध में है। वित्त मंत्री के संशोधन द्वारा इस सन्देह का समाधान नहीं हुआ है। अतः मैं अपना संशोधन संख्या 64 अवश्य पेश करूंगा। उनका कहना यह था कि लाभ हानि के उस लेखे खाते से रुपया निकाला जा सकता है जो तनिक अधिक हो न कि उससे जो तनिक कम हो।

श्री मुरारका : उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार उनको विकास छूट देती है तथा उन आस्तियों को खरीदने के लिये सहायता भी देती है। कम्पनियों ने विकास छूट का दुरुपयोग करना आरम्भ कर दिया था अतः इस दुरुपयोग को रोकने सरकार ने यह शर्त लगा दी कि विकास छूट तभी दी जायेगी यदि उसका 75 प्रतिशत लाभ हानि लेखे के नामखाते डाला जायेगा। क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत गलत धारणा फैली हुई थी और विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न विचार थे, अतः इस दूर करने के लिये यह संशोधन लाना आवश्यक था। मेरे विचार में सारे उद्योग व्यवसाय को वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि भविष्य में किसी भी उद्योग को विकास छूट से इसलिये वंचित नहीं रखा जायेगा कि इसे पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे प्रसन्नता है कि श्री मेहता और श्री मुरारका ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है। मैं श्री दांडकर से भी सहमत हूं। यदि मैं उनकी बात मान लूं तो कम्पनी अधिनियम में और गड़बड़ी भी हो सकती है।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 64 वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।/*The amendment was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 35 के स्थान पर यह रखिये :

"9. आयकर अधिनियम की धारा 34 में, उप-धारा (3) के खण्ड (क) में—

(ए) परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् : [91]

Page 8, *for* lines 33 to 35, *substitute*—

"9. In section 34 of the Income Tax Act, in clause,

(a) of sub-section (3)—

(i) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely":— [91]

पृष्ठ 8, पंक्ति 39 के पश्चात यह जोड़ा जाये :

(दो) निम्नलिखित स्पष्टीकरण सदैव जोड़ा हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :

"**स्पष्टीकरण**—सन्देह को दूर करने के लिये, यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि धारा 33 मे उल्लिखित कटौतियां केवल इसी आधार पर नहीं की जायेंगी कि सम्बद्ध पिछले वर्ष के हानि लाभ लेखे के खाते में डाली गई राशि और रक्षित लेखे से निकाली गई राशि, लाभ और हानि लेखे के अनुसार ऐसे पिछले वर्ष के लाभ से अधिक है (बिना उपर्युक्त राशि निकाले हुए हिसाब लगाया गया)" [92]

Page 8, *after* line 39, *insert*—

(ii) the following Explanation shall be, and shall be deemed always to have been, inserted, namely :—

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that the deduction referred to in section 33 shall not be denied by reason only that the amount debited to the profit and loss account of the relevant previous year and credited to the reserve account aforesaid exceeds the amount of the profit of such previous year (as arrived at without making the debit aforesaid) in accordance with the profit and loss account",

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause* 9, *as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 10—(नई धारा 35 क का रखा जाना)
Clause 10—(Insertion of New Section 35A)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

इस नई धारा के अनुसार 28 फरवरी, 1966 के पश्चात, एकस्व अधिकार अथवा प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त करने के लिये जो खर्च किया जायेगा उसके लिये 14 वर्ष तक की अवधि तक छूट दी जायेगी। मेरा सुझाव यह है कि यह रियायत पट्टेदारी के अथवा खनन अधिकार अर्जित करने के लिये भी दिये जाने चाहिए ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने यथार्थवादी रवैया अपनाया है और देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा है। 'मैं इस संशोधन द्वारा इसी ओर कुछ और करना चाहता हूं । आजकल एकस्व और प्रतिलिप्याधिकार पर खर्चे के अतिरिक्त तकनीकी जानकारी, ड्राईंग, प्लाट डिसाईन और निर्माण डिसाईन पर भी खर्च होता है । कुछ परिस्थितियों में यह राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है । परन्तु कभी कभी इस पूंजी के रूप में समझा जाता है ।

दूसरे जब कभी वे बाहर से मंगाये जाते है तो बिना सरकार की मंजूरी के नहीं मंगाये जाते ।

तीसरे, जहां तक उन्हें राजस्व समझा जाता है वह तो ठीक है । जिस खर्चे का मैंने अपने संशोधन में जिक्र किया है उसमें तथा एकस्व अधिकार और प्रतिलिप्याधिकार में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्री बरुआ का संशोधन करारोपण के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है । जहां तक श्री दांडेकर के संशोधन का सम्बन्ध है, जानकारी की न तो कोई निश्चित अवधि है और न ही कोई परिभाषा है । अतः मैं इसे शामिल नहीं कर सकता । जहां तक ड्राईंग का सम्बन्ध है, इसे मशीनों की लागत में ही शामिल किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दांडेकर के संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ/*The amendment No.* 12 *was put and negatived.*

संशोधन संख्या 11 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।/*Amendment No.* 11 *was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause* 10 *was added to the Bill.*

खण्ड 11 से 14 भी विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses* 11 *to* 14 *were also added to the Bill.*

खण्ड 15

Clause (15)

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 11, पंक्ति 11 के स्थान पर यह रखा जाये :

"(ख) धारा 80 क में, उपधारा (2) में—

(एक) के उप-खण्ड (दो) में

Page 11, *for* line 11, *substitute*—

"(b) in section 80A, in sub-section (2)—

(i) in sub-clause (ii) of [93]"

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 11, पंक्ति 16 के पश्चात यह रखा जाये :—

"(दो) खण्ड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित **स्पष्टीकरण** जोडा जाये, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण** :—खण्ड (क) के उप-खण्ड (एक) तथा इस उप-धारा के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये, उनमें उल्लिखित व्यक्तियों के जीवन के बीमों में ये शामिल होंगे :—

(एक) ऐसे व्यक्ति के बीमे की पालिसी, जिसे पालिसी की अवधि पूरी हो जाने पर एक निर्धारित तिथि को एक निश्चित राशि मिलेगी यदि वह व्यक्ति उस तारीख को जीवित हो, बावजूद इसके कि बीमा पालिसी में यह उपबन्धित है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर केवल दत्त प्रिमियम की राशि ही वापस की जायेगी (व्याज सहित अथवा बिना व्याज के)।

(दो) एक ऐसी बीमा पालिसी जो किसी व्यक्ति ने किसी अवयस्क (निर्धारिती होने के नाते अथवा हिन्दू अविभक्त परिवार का पुरुष-सदस्य होने के नाते जहां ऐसा परिवार निर्धारिती हो) के लाभ के लिये लेता है, इस उद्देश्य कि जब वह अवयस्क वयस्क हो जायेगा तो पालिसी में इस सम्बन्ध में उल्लिखित तारीख को यदि वह जीवित होगा तो उस पालिसी द्वारा अपने जीवन का बीमा करा सकता है" [94]

94. Page 11, *after* line 16, *insert*—

"(ii) after clause (b), the following *explanation* shall be inserted, namely:—

"*Explanation.*—For the purposes of sub-clause (i) of clause (a) and of clause (b) of this sub-section, an insurance on the life of any person referred to therein include—

(i) a policy of insurance on the life of such person securing the payment of a specified sum on the stipulated date of maturity of the policy, if such

person is alive on such date, notwithstanding that the policy of insurance provides only for the return of premiums paid (with or without any interest thereon) in the event of such person dying before the said stipulated date.

(ii) a policy of insurance effected by a person for the benefit of a minor (being the assessee, or a male member of a Hindu undivided family where such family is the assessee) with the object of enabling the minor, after he has attained majority, to secure an insurance on his own life by adoping the policy and on his being alive on a date (after such adoption) specified in the policy in this behalf." , [94]

श्री हिम्मत सिंहका (गोडा): मैं संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मत सिंहका : खण्ड 15 में विभिन्न कम्पनियों के बारे में कुछ विशेष उद्योगों से लाभ के लिये 8 प्रतिशत कटौती का उपबन्ध है। अब सभी कम्पनियों पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अतः 8 प्रतिशत के बजाये 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये जिससे वे कम्पनियां, जो विद्युत उत्पादन तथा वितरण के कार्य में अथवा किसी अन्य प्रकार के कार्य में लगी हुई है या एक अथवा अधिक वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन में लगा हुई है, वही लाभ मिल सके जो उन्हें मिल रहे हैं और अन्तर उसी आधार पर रखा जाये।

श्री नारायण दास (दरभंगा) : मेरा संशोधन छोटा सा है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा रखे गये आयकर अधिनियम की धारा 88 के संशोधन में इस प्रकार और आगे संशोधन किया जाय ताकि सरकार द्वारा स्वीकार किये गये जीवन बीमा निगम के सुझाव को पूर्ववर्ती बनाया जा सके। आशा है मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : पांचवीं अनुसूची में दर्ज उद्योग देश के लिये अति आवश्यक हैं और यह अच्छी बात है कि सारे देश में बिखरे इन उद्योगों को इस सूची में एकट्ठा कर दिया गया है। परन्तु मेरा सुझाव है कि इन उद्योगों की आय से होने वाली कटौती 18 प्रतिशत से अधिक कदापि नहीं होनी चाहिये क्योंकि अधिक कटौती करने पर भी आय तो उतनी ही होगी जैसा कि वर्ष 1965-66 के लिये कटौती के अनुमानों से स्पष्ट है। इसलिये वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि पांचवीं अनुसूची में दर्ज उद्योगों पर लगाया गया कर अन्य उद्योगों पर लगे कर से कदापि अधिक नहीं होना चाहिये।

श्री मुरारका : श्रीमान, श्री हिम्मतसिंहका द्वारा उठाये गये मामलों पर प्रथम सूची के उपबन्धों के साथ ही विचार होना चाहिये। विभिन्न समवायों द्वारा देय कुल कर का अनुमान लगा कर ही उन पर पड़ने वाले कर-भार का निश्चय किया जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 50,000 रुपये की अक्षय निधि पालीसी लेने वाले के लिये राशि कर-मुक्त कैसे कर दी गई है। यदि यह रियायत जीवन बीमे पर दी जाती तो कुछ उचित भी था परन्तु यह रियायत तो केवल अक्षम निधि बीमों पर ही दी जायेगी।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक बीमों पर दी जाने वाली कर की छूट को भूतलक्षी बनने का संबंध है, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि बीमों का लाभ भविष्य में होता है न कि बीते हुये समय में। दूसरे अक्षय निधि बीमें वही लोग कराते हैं जो जीवन बीमा नहीं करा पाते इसलिये उन्हें कर से राहत देने के लिये यह उपबन्ध किया गया है। यह उच्चतम सीमा है न कि न्यूनतम सीमा। जहां तक दूसरे संशोधन का संबंध है मैं उसे भी स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे विचार में 8 प्रतिशत कम से कम है।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपना संशोधन (संख्या 15) वापिस लेने के लिये सभा की आज्ञा चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया ।/*The Amendment was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*The amendment was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 93 और 94 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 11, पंक्ति 11 के स्थान पर यह रखिये:—

"(ख) धारा 80क में, उपधारा (2) में—

(एक) के उप-खण्ड (दो) में—" [93]

पृष्ठ 11, पंक्ति 16 के पश्चात यह रखिये :—

'(दो) खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण :**—खण्ड (क) के उप-खण्ड (एक) तथा इस उप-धारा के खण्ड (ख) के प्रयोजनों लिये, उनमें उल्लिखत व्यक्तियों के जीवन के बीमों में यह शामिल होंगे :—

(एक) ऐसे व्यक्ति के बीमे की पालिसी, जिसे पालिसी की अवधि पूरी हो जाने पर एक निर्धारित निधि को एक निश्चित राशि मिलेगी, यदि वह व्यक्ति उस तारीख को जीवित हो, बावजूद इसके कि बीमा पालिसी में यह उपबन्धित है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर केवल दत्त प्रिमियम की राशि ही वापस की जायेगी (ब्याज सहित अथवा बिना ब्याज के) ।

(दो) एक ऐसा बीमा पालिसी जो किसी व्यक्ति ने किसी अवयस्क (निर्धारिती होने के नाते अथवा हिन्दु अविभक्त परिवार का पुरुष सदस्य होने के नाते जहां ऐसा परिवार निर्धारिती हो) के लाभ के लिये लेता है, इस उद्देश्य से कि जब वह अवयस्क वयस्क हो जायेगा तो पालिसी में इस संबंध में उल्लिखित तारीख को यदि यह जीवित होगा तो उस पालिसी द्वारा अपने जीवन का बीमा करा सकता है" [94]

Page 11, *for* line 11, *substitute*—

"(b) in section 80A, in sub-section (2)—

(i) in sub-clause (ii) of" [93]

Page 11, *after* line 16, *insert*—

'(ii) after clause (b), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"*Explanation.*—For the purposes of sub-clause (i) of clause (a) and of clause (b) of the sub-section an insurance on the life of any person referred to therein shall include—

(i) a policy of insurance on the life of such person securing the payment of a specified sum on the stipulated date of maturity of the policy, if such person is alive on such date, not withstanding that the policy of insurance provides only for the return of premiums paid (with or without any interest thereon) in the event of such person dying before the said stipulated date.

(ii) a policy of insurance effected by a person for the benefit of a minor (being the assessee, or a male member of a Hindu undivided family wnere such family is the assessee) with the object of enabling the minor, after he has attained majority, to secure an insurance on his own life by adopting the policy and on his being alive on a date (after such adoption) specified in the policy in this behalf."' [94]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 15, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 15, *as amended, wos added to the Bill.*

खण्ड 16—(धारा 85क का संशोधन)

Clause 16—(Amendment of Section 35A)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 65 और 66 प्रस्तुत करता हूं । पहले संशोधन में समवायों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लाभांश पर कर की दर को 15 प्रतिशत तक सीमित करने की व्यवस्था और मेरे विचार में ऐसे समवायों जिनमें केवल एक परिवार का नियंत्रण नहीं है उनकी तुलना में एक ही परिवार द्वारा नियंत्रित समवायों पर कर की विभिन्न दर लागू करने का कोई औचित्य नहीं है । दोनों प्रकार के समवायों के लाभांशों पर कर की एक ही दर होनी चाहिये ।

मेरा दूसरा संशोधन (संख्या 66) बिलकुल औपचारिक है और इस संबंध में मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 65 और 66 अब सभा के समक्ष है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि करोरोपण में परिस्थितियों की आवश्यकता देखी जाती है न कि उनका औचित्य । इसलिये जब समवायों की संख्या बढ़ती है तो उनका एक ध्येय होता है और इसके लिये उन्हें एक मूल्य चुकाना होता है जो कर के रूप में वसूल किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह संशोधन (संख्या 65 और 66) सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।/*The amendments were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 16 *was added to the Bill.*

खण्ड 17—(नई धाराओं 85-ख और 85-ग का जोड़ा जाना)

Clause 17—(Insertion of new Sections 85-B and 85-C)

श्री मी० रु० मसानी : मैं संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० च० बरुआ : मैं संशोधन संख्या 67 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मी० ह० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 16 को थोड़ा स्पष्ट करूंगा। भारतीय व्यवसायिक सेवाओं द्वारा विदेशों में, अथवा भारत में विदेशियों के लिये जो व्यावसायिक सेवायें की जा रही हैं यह भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात ही है क्योंकि इसमें बिना कुछ दिये देश को धन लाभ होता है। ऐसे मामलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये जिसका एक तरीका यह है कि कर की दर को जैसे कि खण्ड 17 के अन्य उपबन्धों में व्यवस्था है, औसत 15 प्रतिशत तक सीमित रखा जाये। अन्य तरीकों से, जैसे निर्यात प्रोत्साहन, कर-ऋण तथा आयात करने की हकदारी आदि, भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। प्रतिरक्षा धन प्रेषण योजना को विदेशों में भारतीय व्यवसायी व्यक्तियों अथवा फर्मों की आय पर भी लागू किया जाना चाहिये और इसके लिये स्वयं वित्त मंत्री जी को प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरा संशोधन एक नये खण्ड के रूप में है जिसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरा सुझाव है कि उन करदाताओं से जिनकी आय 10,000 रुपये है उन से कर वसूल करने के बजाये उन्हें यह राशि सरकारी सिक्योरिटियों में लगाये का विकल्प दिया जाना चाहिये। इससे थोड़ी आयवाले वर्ग का उत्साह बढ़ेगा और सरकार को भी कोई विशेष आर्थिक हानि न होगी। मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार को कर लगाने के स्थानपर अधिकाधिक उधार लेना चाहिये। इस प्रकार एक तो सरकारी राजस्व को घाटा न होगा और दूसरे मुद्रास्फीति उत्पन्न करने वाली मूल्य-वृद्धि न होगी। तीसरे इससे बचत करने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति आयेगी। क्योंकि उन पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों का जिन्हें आयकर की छूट दी जाती रही है, अब विकास हो गया है, इसलिये इस छूट को वापस ले लिया जाना चाहिये। इस प्रकार राजस्व को अतिरिक्त लाभ भी होगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरे विचार में श्री मसानी का प्रस्ताव काफी न्यायोचित है। लगता है कि एक ओर तो हम विदेशी विशेषज्ञों आदि मंगाने पर अनावश्यक तौर पर उत्सुक हैं और दूसरी ओर हम देश के अन्दर ही उपलब्ध ऐसे जानकारों और कौशल को प्रगतिशील ढंग से प्रयोग करने को तैयार नहीं हैं। आशा है सरकार इसपर गंभीरतापूर्वक ध्यान देगी।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि हमारे देश के जो लोक विदेशों में जा कर धन कमाते हैं वे इस देश के लाभ तथा व्यक्तिगत संतुष्टि के लिये करते हैं। इस दृष्टि से इस देश के सम्मान के रूप में प्रोत्साहन उन्हें प्राप्त है। दूसरे बहुत से देशों में दोहरे कराधन से राहत का उपबन्ध है, इसलिये हम यहां करमुक्ति नहीं दे सकते क्योंकि इससे विदेशों को लाभ होगा।

राष्ट्रीय धन प्रेषण योजना स्वयं कुछ दिनों की मेहमान है इसलिये इसे विदेशों में भारतीय व्यवसायी सेवा अथवा फर्मों पर लागू करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मुझे श्री बरुआ का संशोधन भी स्वीकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 16 मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*The amendment was put and negatived.*

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं अपना संशोधन संख्या 67 वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।/*The amendment was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 17 *was added to the Bill.*

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 17 नियमानुकूल नहीं है ।

खण्ड 18 और 19 विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses* 18 *and* 19 *were added to the Bill.*

खण्ड 20

Clause 20

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

पृष्ठ 14, पंक्ति 1—

'होगा' के पश्चात् "सदा हुआ माना जायेगा" जोडिये ।

Page 14, line 1—

After "shall be" *insert* "and shall be deemed always to have been"

इसका आशय यह है कि यह स्पष्ट हो जाय कि समवाय सदा ही धारा 104 के अन्तर्गत रहे हैं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे यह संशोधन स्वीकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 14, पंक्ति 1—

'होगा' के पश्चात् 'सदा हुआ माना जायेगा' जोड़िये ।

Page 14, line 1—

After "shall be" *insert* "and shall be deemed always to have been"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 20, *as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 21

Clause 21

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15, पंक्ति 2 और 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये :—

"(घ) खण्ड (तीन) में—

(एक) उपखण्ड (1) में "एक विनियोजक समवाय" शब्दों के पश्चात् "इस खण्ड के 34 खण्ड (3) के अन्तर्गत आने वाले विनियोजक समवायों को छोड़कर" शब्द जोडे जायें;

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

(दो) उप-खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाये, अर्थात् :— [95]

Page 15, *for* lines 2 and 3, *substitute*—

"(d) in clause (iii)

(i) in sub-clause (1) after the words "an investment company", the words "other than an investment company which falls under sub-clause (3) of this clause" shall be inserted;

(ii) for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

पृष्ठ 15, पंक्तियां 15 से 17 के स्थान पर यह रखा जाये —

"(1) यदि यह एक विनियोजन समवाय हो अथवा एक ऐसा समवाय हो जो इस खण्ड के उप-खण्ड (4) (क) की 90 प्रतिशत शर्तों को पूरा करती है।" [96]

Page 15, *for* lines 15 to 17, *substitute*—

"(1) if it is an investment company or a company which satifies the conditions specified in sub-clause (4) (a) of this clause 90," [96]

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 68 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि एक सुगठित समवाय में लगाई गई पूंजी में से लाभांश का वितरण अनिवार्य तभी बनाया जाना चाहये जब वे समवाय एक विनियोजक बन जाये अन्यथा नहीं।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैंने अपने संशोधन में एक निर्माणकर्ता समवाय और एक विनियोजक समवाय में भेद करने के लिये उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिये पांच वर्ष की अवधि रखे जाने का सुझाव दिया है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : खेद है कि मुझे दोनों में से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं है क्योंकि यह मामला बहुत पेचीदा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 68 मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ। /*The amendment was put and negatived.*

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं अपना संशोधन संख्या 19 वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।/*The amendment was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 95 और 96 सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 15, पंक्ति 2 और 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये—

"(घ) खण्ड तीन में,—

(एक) उप-खण्ड (1) में 'एक विनियोजक समवाय' शब्दों के पश्चात "इस खण्ड के उपखण्ड (3) के अन्तर्गत आने वाले विनियोजक समवायों को छोड़ कर" शब्द जोड़े जाये;

(दो) उप-खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाये, अर्थात् :— [95]

Page 15, *for* lines 2 and 3, *substitute*—

"(d) in clause (iii)

(i) in sub-clause (1) after the words "an investment company", the words "other than an investment company which falls under sub-clause (3) of this clause" shall be inserted;

(ii) for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

पृष्ठ 15, पंक्तियां 15 से 17 के स्थान पर यह रखा जाये :—

"(1) यदि यह एक विनियोजक समवाय हो अथवा एक ऐसा समवाय हो जो इस खण्ड के उप-खण्ड (4) (क) की 90 प्रतिशत शर्तों को पूरा करती हो।"

Page 15, *for* lines 15 to 17, *substitute*—

"(1) if it is an investment company or a company which satisfies the conditions specified in sub-clause (4) (a) of this clause 90%," [96]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 21, *as amended, was added to the Bill.*

खंड 22 से 24 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses* 22 *to* 24 *were added to the Bill.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 25 लिया जायेगा।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं। खंड 25 का सम्बन्ध प्रत्याभूतियों पर ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया में है। प्रत्याभूतियों से ब्याज पाने वाले या निर्धारित करने वाले से कर नहीं लिया जाना चाहिये जिसे बाद में उनको वापिस करना पड़े। इस विशेष चीज़ को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की सुरक्षा तक सीमित नहीं करना चाहिये, यदि "केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार" शब्द हटा दिये जायें तो उपबन्ध खण्डों के उद्देश्यों के अनुसार होगा।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। इससे राजस्व में कमी होने की सम्भावना है।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।/*The amendment was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 25 *was added to the Bill.*

खण्ड 26 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 26 to 28 were added to the Bill.*

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 29 तथा 30 इकट्ठे लिये जायेंगे :

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

97. पृष्ठ 17, पंक्ति 21 से 38 के स्थान पर यह रखिये :

धारा 280 (ग) का संशोधन

29. आयकर अधिनियम की धारा 280 (क) में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाये अर्थात् :—

"(2) समंजित कुल जमा के सम्बन्ध में जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अन्तर्गत वार्षिकी जमा की जायेगी, ऐसी

(एक) पहली अप्रैल, 1966 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष अथवा किसी बात के कर निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष अथवा पिछले वर्षों की समंजित कुल आय के सम्बन्ध में राशि धारा 280 (छ) से 280 (ट) के उपबन्धों के अनुसार अग्रिम रूप में जमा करायी जायेगी;

(दो) पहली अप्रल, 1967 से आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष अथवा बाद के किसी निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष अथवा पिछले वर्षों की समंजित कुल आय के सम्बन्ध में राशि ऐसे कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय (एक राशि में अथवा अपनी इच्छा के अनुसार किस्तों द्वारा) वार्षिक वित्त विधेयक में उल्लिखित दर अथवा दरों से जमा करायी जायेगी :

परन्तु आय-कर अधिकारी ऐसे मामलों में, ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा ऐसी शर्तों के अनुसार जो धारा 280 (ल) के अन्तर्गत बनाई गई योजना में उल्लिखत हों, किसी जमाकर्ता को खंड (2) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किसी समय राशि तथा अधिक राशि जमा कराने की अनुमति दे सकेगा तथा इस प्रकार जमा कराई गई राशि अथवा अधिक राशि इस अध्याय के प्रयोजन के लिए संगत कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिकी जमा समझी जायेगी।"

धारा 280 ण तथा धारा 280 त के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना

30. आयकर अधिनियम की धारा 280 ण तथा 280 त के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रखी जाये अर्थात्,

"280 ण. (एक) इस अधिनियम के उपबन्धों में आय के किसी शीर्षक के अन्तर्गत देय आय के निर्धारण सम्बन्धी किसी प्रतिकूल उपबन्ध को ध्यान में न रखते हुये, इस अध्याय के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिकी जमा की, उपधारा (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुये, उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये जिसके सम्बन्ध में वार्षिकी जमा अपेक्षित है, कुल आय की गणना करते समय, छूट दी जायेगी :

परन्तु जहां पहली अप्रैल 1967 को आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष अथवा बाद के किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में उस कर निर्धारण वर्ष से (अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि से जैसी आय-कर अधिकारी धारा 280(ग) के उप-धारा (22) के खण्ड (दो) के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुमति दे) तुरन्त पहले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई वार्षिकी जमा न कराई गई हो अथवा वित्तीय वर्ष या उपरोक्त अग्रेतर अवधि के दौरान जमा कराई

गई वार्षिकी जमा की राशि इस अध्याय के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि से कम हो तो इस अध्याय के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौती की राशि शून्य होगी अथवा यथास्थिति इस प्रकार जमा कराई गई राशि तक सीमित होगी और इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों उसमें अपेक्षित वार्षिकी जमा के प्रति किये गये उल्लेख इस प्रकार वास्तव में की गई वार्षिकी जमा की राशि के प्रति उल्लेख हो ।

(2) यदि जमाकर्ता की समंजित कुल आय में "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य कोई आय शामिल हो तो उस शीर्षक के अन्तर्गत आय का निर्धारण करने में उप-धारा (1) के अन्तर्गत छूट दी जायेगी और यदि उस शीर्षक के अन्तर्गत कोई आय प्राप्य न हो अथवा अपेक्षित वार्षिकी जमा ऐसी आय से अधिक हो तो किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य अर्जित आय का निर्धारिती करने के लिए अपेक्षित वार्षिकी जमा की कुल अथवा शेष राशि की छूट दी जायेगी, तथा यदि किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य कोई अर्जित आय न हो अथवा समूची अथवा शेष वार्षिकी जमा ऐसी अर्जित आय से अधिक हो, तो किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत किसी अन्य आय में निर्धारण में कुल अथवा शेष वार्षिकी जमा की छूट दी जायेगी ।

स्पष्टीकरण :—इस उपखंड में "अर्जित आय" पद के अर्थ संगत वर्ष के वित्त अधिनियम में दिये गये अर्थ के अनुसार होंगे ।

280त. **धारा 192 के प्रयोजन के लिए "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिए कटौती की जान वाली वार्षिकी जमा** : किसी निकासी को "वेतन" शीर्षक केअन्तर्गत प्राप्य किसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति भुगतान के समय धारा 192 के अन्तर्गत आय-कर काट सकता है मानो उस धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत उल्लिखित अनुमानित आय ऐसी आय के सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा अपेक्षित वार्षिकी जमा जमा की राशि से, यदि कोई हो तो, घटाई गई हो चाहे ऐसी वार्षिकी जमा कराई गई हो अथवा नहीं;

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ठ कोई उपबन्ध ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसकी उपर्युक्त अनुमानित आय पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने वित्तीय वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख तक "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के समक्ष इस अध्याय के उपबन्धों के अन्तर्गत वार्षिकी जमा कराने के अपने इरादे की लिखित रूप में घोषणा न की हो और इसमें वह राशि बताई गई हो जो कि जमा कराने का उसका इरादा है; तथा जहां ऐसी घोषणा की गई हो वहां इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि के प्रति उल्लेख ऐसी घोषणा में उल्लिखित राशि के प्रति उल्लेख हो ।"

Amendment of section 280G.

[97. Page 17 *for* lines 21 to 38, *substitute*—

29. In section 280C of the Income-tax Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) In respect of the adjusted total income in relation to which an annuity deposit is to be made under sub-section (1), such deposit shall—

(i) in respect of the adjusted total income of the previous year or previous years relavant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1966, or any earlier assessment year, be made in advance in accordance with the provisions of sections 280E to 280I.

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

(ii) in respect of the adjusted total income of the previous year or previous years relevant to assessment year commencing on the lst day of April, 1967, or any subsequent assessment year, be made by such person at any time (in one sum or in instalments of his choice) during the financial year immediately preceding such assessment year at the rate or rates specified in this behalf in the annual Finance Act :

Provided that the Income-tax Officer may, in such cases, under such circumstances and subject to such conditions as may be specified in a scheme framed under section 280W, allow a depositor to make a deposit or a further deposit at any time after the expiry of the financial year referred to in clause (ii), and any deposit or further deposit so made shall be deemed to be an annuity deposit for the relevant assessment year for the purposes of this Chapter."

Substitution of new sections for sections 280 O and 280 P.

30. For sections 280 O and 280 P of the Income-tax Act, the following sections shall be substituted, namely:—

"280O. *Annuity deposit allowed as deduction in computing total income.*— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the provisions of this Act relating to the computation of income chargeable under any head of income, the annuity deposit required to be made under this Chapter shall, subject to the provisions of sub-section (2), be allowed as a deduction in computing the total income assessable for the assessment year in respect of which the annuity deposit is required to be made :

Provided that where in relation to the a sessment year commencing on the Ist day of April, 1967, or any subsequent assessment year, no annuity deposit has been made during the financial year immediately preceding such assessment year (or such further period as may be allowed by the Income-tax Officer under the proviso to clause (ii) of sub-section (2) of section 280C) or the amount of annuity deposit made during the financial year or further period aforesaid falls short of the annuity deposit required to be made under this Chapter, the amount to be allowed as a deduction under this sub-section shall be nil or, as the case may be, limited to the amount of the deposit so made, and the provisions of this section shall have effect as if references therein to the annuity deposit required to be made were references to the amount of annuity deposit actually so made.

(2) If the adjusted total income of the depositor includes any income chargeable under the head "Salaries", the allowance under sub-section (1) shall be made in computing the income under that head, and if there is no income chargeable under that head or the annuity deposit required to be made exceeds such income, the whole or the balance of the annuity deposit required to be made shall be allowed as a deduction in computing earned income chargeable under any other head and if there is no earned income chargeable under any other head or the whole or the balance of the annuity depsoit required to be made exceeds such earned income, the whole or the balance of the annuity deposit required to be made shall be allowed as a deduction in computing any other income under any head.

Explanation.—In this sub-section, the expression "earned income" has the meaning assigned to it in the Finance Act of the relevant year.

280P. *Annuity deposit deductible in computing income under the head "Salaries" for purposes of section* 192.—Any person responsible for paying any income chargeable under the head "Salaries" to a resident may, at the time of payment, deduct income tax under section 192 as if the estimated income referred to in sub-section (1) of that section had been reduced by the amount of annuity deposit, if any, required to be made by the assessee in respect of such income, whether such annuity deosit has or has not been made :

Provided that nothing contained in this section shall apply in the case of a person whose estimated income aforesaid does not exceed twenty-five thousand rupees unless such person has, not later than the 31st day of December of the financial year, made a declaration, in writing, before the person responsible for paying the income chargeable under the head "Salaries", of his intention to make the annuity deposit under the provisions of this Chapter and specifying the amount which he so intends to deposit; and where such declaration has been made, the provisions of this section shall apply as if the reference therein to the amount of annuity deposit required to be made were a reference to the amount specified in such declaration.]

श्री नारायण दांडेकर : मैं खण्ड 29 तथा 30 पर अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता क्योंकि मंत्री महोदय द्वारा संशोधित रूप में खण्डों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं
SHRIMATI RENU CHKRAVARTY *in the Chair.*]

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 97 मतदान के लिए रखती हूं। प्रश्न यह है :

97. पृष्ठ 17, पंक्ति 21 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये :

धारा 280 (ग) का संशोधन

29. आयकर अधिनियम की धारा 280 (ग) में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाये अर्थात् :—

"(2) समंजित कुल जमा के सम्बन्ध में जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अन्तर्गत वार्षिकी जमा की जायेगी, ऐसी राशी—

(एक) पहली अप्रैल, 1966 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष अथवा किसी बाद के कर निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष अथवा पिछले वर्षों की कुल समंजित कुल आय रूप मेंसम्बन्ध में धारा 280 (छ) से 280 (ट) के उपबन्धों के अनुसार अग्रिम रूप जमा करायी जायेंगी।

(दो) पहली अप्रैल, 1967 से आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष अथवा बाद के किसी निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष अथवा पिछल वर्षों की समंजित कुल आय के सम्बन्ध में राशि ऐसे कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय (एक राशि में अथवा अपनी इच्छा के अनुसार किस्तों द्वारा) वार्षिक वित्त विधेयक में उल्लिखित दर अथवा दरों से जमा करायी जायेगी।

परन्तु आय-कर अधिकारी ऐसे मामलों में, ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा ऐसी शर्तों के अनुसार जो धारा 280 (ल) के अन्तर्गत बनाई गई योजना में उल्लिखित हों, किसी जमाकर्ता को खंड (2) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किसी समय राशि तथा अधिक राशि जमा कराने की अनुमति दे सकेगा तथा इस प्रकार जमा कराई गई राशि अथवा अधिक राशि इस अध्याय के प्रयोजन के लिए संगत कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिकी जमा समझी जायेगी।"

धारा 280 ण तथा धारा 280 त के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना

30. आय कर अधिनियम की धारा 280 ण तथा 280 त के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रखी जायें, अर्थात्

"280 ण. (एक) इस अधिनियम के उपबन्धों में आय के किसी शीर्षक के अन्तर्गत देय आय के निर्धारण सम्बन्धी किसी प्रतिकूल उपबन्ध को ध्यान में न रखते हुए, इस अध्याय के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिकी जमा की, उपधारा (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुये, उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये जिसके सम्बन्ध में वार्षिकी जमा अपेक्षित है, कुल आय की गणना करते समय, छूट दी जायगी :—

परन्तु जहां पहली अप्रैल, 1967 को आरम्भ होने वाले कर निर्धारित वर्ष अथवा बाद के किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में उस कर निर्धारण वर्ष से (अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि से जैसी आय-कर अधिकारी धारा 280 (ग) के उप-धारा (22) के खण्ड (दो) के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुमति मे तुरन्त पहले वित्तीय वर्ष में दौरान गई कोई वार्षिकी जमा न कोरा गई हो अथवा वित्तीय वर्ष या उपरोक्त अग्रेतर अवधि के दौरान जमा कराई गई वार्षिकी जमा की राशि इस अध्याय के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि से कम हो तो इस अध्याय के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौती की राशि शून्य होगी अथवा यथास्थिति इस प्रकार जमा कराई गई राशि तक सीमित होगी और इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों उसमें अपेक्षित वार्षिकी जमा के प्रति किये गये उल्लेख इस प्रकार वास्तव में की गई वार्षिकी जमा की राशि के प्रति उल्लेख हो।

(2) यदि जमाकर्ता की समंजित कुल आय में "वतन" शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य कोई आय शामिल हो तो उस शीर्षक के अन्तर्गत आय का निर्धारण करने में उप-धारा (1) के अन्तर्गत छूट दी जायगी और यदि उस शीर्षक के अन्तर्गत कोई आय प्राप्य न हो अथवा अपेक्षित वार्षिकी जमा ऐसी आय से अधिक हो तो किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य अर्जित आय का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित वार्षिकी जमा की कुल अथवा शेष राशि की छूट दी जायेगी, तथा यदि किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य कोई अर्जित आय न हो अथवा समूची अथवा शेष वार्षिकी जमा ऐसी अर्जित आय से अधिक हो, तो किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत किसी अन्य आय के निर्धारण में कुल अथवा शेष वार्षिकी जमा की छूट दी जायेगी।

स्पष्टीकरण :—इस उपखंड में "अर्जित आय" पद के अर्थ संगत वर्ष के वित्त अधिनियम में दिये गये अर्थके अनुसार होंगे।

280 त. **धारा 192 के प्रयोजन के लिए "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिए कटौती की जाने वाली वार्षिकी जमा** : किसी निकासी की "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य किसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति भुगतान के समय धारा 192 के अन्तर्गत आय-कर काट सकता है मानो उस धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत उल्लिखित अनुमानित आय ऐसी आय के सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि से, यदि कोई हो तो, घटाई गई हो चाहे ऐसी वार्षिकी जमा कराई गई हो अथवा नहीं ;

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसकी उपर्युक्त अनुमानित आय पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो जबतक कि ऐसे व्यक्ति के विशेष वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख तक "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्य आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के समक्ष उस अध्याय के उपबन्धों के अन्तर्गत वार्षिकी जमा कराने के अपने इरादे की लिखित रूप में घोषणा न की हो और इसमें वह राशि बताई गई हो जो कि जमा कराने का उसका इरादा है; तथा जहां ऐसी घोषणा की गई हो वहां इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि के प्रति उल्लेख ऐसी घोषणा में उल्लिखित राशि के प्रति उल्लेख हो।'

Amendment of section 280C

[97. Page 17 *for* lines 21 to 38, *substitute*—

29. In section 280C of the Income-tax Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) In respect of the adjusted total income in relation to which an annuity deposit is to be made under sub-section (1), such deposit shall—

(i) in respect of the adjusted total income of the previous year or previous years relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1966, or any earlier assessment year, be made in advance in accordance with the provisions of sections 280E to 280I;

(ii) in respect of the adjusted total income of the previous year or previous years relevant to assessment year commencing on the 1st day of April, 1967, or any subsequent assessment year, be made by such person at any time (in one sum or in instalments of his choice) during the financial year immediately preceding such assessment year at the rate or rates specified in this behalf in the annual Finance Act :

Provided that the Income-tax Officer may, in such cases, under such circumstances and subject to such conditions as may be specified in a scheme framed under section 280W, allow a depositor to make a deposit or a further deposit at any time after the expiry of the financial year referred to in clause (ii), and any deposit or further deposit to made shall be deemed to be an annuity deposit for the relevant assessment year for the purposes of this Chapter".

Substitution of new sections for sections 280 O and 280P

30. For sections 280O and 280P of the Income-tax Act, the following sections shall be substituted, namely:—

"280O. *Annuity deposit allowed as deduction in computing total income.*—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the provisions of this Act relating to the computation of income chargeable under any head of income, the annuity deposit required to be made under this Chapter shall, subject to the provisions of sub-section (2), be allowed as a deduction in computing the total income assessable for the assessment year in respect of which the annuity deposit is required to be made :

Provided that where in relation to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1967 or any subsequent assessment year, no annuity deposit has been made during the financial year immediately preceding such assessment year (or such further period as may be allowed by the

7—69 L.S./66

Income-tax Officer under the proviso to clause (ii) of sub-section (2) of section 280C), or the amount of annuity deposit made during the financial year or further period aforesaid falls short of the annuity deposit required to be made under this Chapter, the amount to be allowed as a deduction under this sub-section shall be *nil* or, as the case may be, limited to the amount of the deposit so made, and the provisions of this section shall have effect as if references therein to the annuity deposit required to be made were references to the amount of annuity deposit actually so made.

(2) If the adjusted total income of the depositor includes any income chargeable under the head "Salaries", the allowance under sub-section (1) shall be made in computing the income under that head, and if there is no income chargeable under that head or the annuity deposit required to be made exceeds such income, the whole or the balance of the annuity deposit required to be made shall be allowed as a deduction in computing earned income chargeable under any other head, and if there is no earned income chargeable under any other head or the whole or the balance of the annuity deposit required to be made exceeds such earned income, the whole or the balance of the annuity deposit required to be made shall be allowed as a deduction in computing any other income under any head.

Explanation.—In this sub-section, the expression "earned income" has the meaning assigned to it in the Finance Act of the relevant year.

280P. *Annuity deposit deductible in computig income under the head "Salaries" for purposes of section* 192.—Any person responsible for paying any income chargeable under the head "Salaries" to a resident may, at the time of payment, deduct income-tax under section 192 as if the estimated income referred to in subsection (1) of that section had been reduced by the amount of annuity deposit, if any, required to be made by the assessee in respect of such income, whether such annuity deposit has or has not been made:

Provided that nothing contained in this section shall apply in the case of a person whose estimated income aforesaid does not exceed twentyfive thousand rupees unless such person has, not later than the 31st day of December of the financial year, made a declaration, in writing, before the person responsible for paying the income chargeable under the head "Salaries", of his intention to make the annuity deposit under the provisions of this Chapter and specifying the amount which he so intends to deposit; and where such declaration has been made, the provisions of this section shall apply as if the reference therein to the amount of annuity deposit required to be made were a reference to the amount specified in such declaration.]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/ *The motion was adopted.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 तथा 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion was adopted.*

खण्ड 29 तथा 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये। *Clauses* 29 *and* 30, *as amended, were added to the Bill.*

खंड 31 तथा 32 (धारा 280 थ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना और धारा 280 ब का संशोधन)

Clause 31 and 32 (Substitution of New Section for Section 280 Q and Amendment of Section 280 X)

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

98. पृष्ठ 18, पंक्ति 1 से 38 के स्थान पर यह रखा जाये:—

धारा 280 (व) के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

31. आय-कर अधिनियम की धारा 280 व के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी जो 1 अप्रैल, 167 से प्रभावी होगी, अर्थात् :—

"280 व. (1) जब कोई जमाकर्ता 1 अप्रैल, 1967 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष अथवा बाद के किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कोई वार्षिकी जमा ऐसे कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व के वित्तीय वर्ष अथवा ऐसी अग्रेसर अवधि के दौरान, जिसकी अनुमति आय-कर अधिकारी द्वारा धारा 280 (ग) की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) के प्रस्तुत के अन्तर्गत दी जाये, जमा नहीं कराता अथवा वित्तीय वर्ष या उपरोक्त अग्रेतर अवधि के दौरान उस द्वारा जमा कराई गई वार्षिकी जमा की राशि अपेक्षित वार्षिकी जमा से कम होती है (इस धारा में उस कमी को "न्यूनता" उल्लिखित किया गया है) तो उसे उस कर निर्धारण वर्ष के लिए उस द्वारा देय कर निर्धारण वर्ष के अतिरिक्त उप धारा (2) में बताये गये तरीके से गणना की गई आय-कर की अग्रेसर राशि देनी होगी :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जिसमें—

(क) ऐसे जमाकर्ता की आयु कर निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष के अन्तिम दिन को 75 वर्ष से अधिक हो; अथवा

(ख) ऐसे जमाकर्ता की कर निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष [की कुल आय (इस प्रयोजन के लिए कुल आय; की गणना धारा 280 ण के अन्तर्गत कोई छूट दिये बिना की जायेगी) पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो।

(2) उप-खण्ड (1) में उल्लिखित आय-कर की अग्रेसर राशि—

(एक) ऐसे मामले में, जिस में जमाकर्ता कोई वार्षिकी जमा नहीं कराता, उस राशि का पच्चास प्रतिशत होगी जिससे उस कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि—

(क) उस द्वारा अपनी कुल जमा पर देय कर, तथा

(ख) यदि उसकी कुल आय अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि से घटाई जाती तो जो कर देय होता,

के बीच अन्तर से अधिक हो;

(दो) ऐसे मामले में, जिस में जमा कराई गई वार्षिकी जमा की राशि अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि से कम हो, उस राशि का पच्चास प्रतिशत जिससे न्यूनता की राशि—

(क) उस द्वारा अपनी कुल आय पर देय कर, तथा

[श्री सचिन्द्र चौधरी]

(ख) यदि उस की कुल आय न्यूनता की राशि से घटाई जाती तो जो कर देय होता, के बीच अन्तर से अधिक हो ।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय में, "अपेक्षित वार्षिकी जमा" पद का अर्थ

(एक) संगत वर्ष के वित्त अधिनियम में उल्लिखित दर अथवा दरों पर जमाकर्ता की संमजित कुल आय पर निर्धारित वार्षिकी जमा की राशि; अथवा

(दो) वह राशि जिस से संगत कर-निर्धारित वष के लिए जमाकर्ता को कुल आय (ऐसी कुल आय की धारा 280 ण के अन्तर्गत कोई छूट दिये बिना गणना की जायेगी) पच्चीस हज़ार रुपये से अधिक हो,

जो भी कम हो, होगा

आय-कर अधिनियम में वार्षीकी जमा सम्बन्धी अनुषांगीक अथवा मामुली संशोधन

32. तृतीय अनसूची में दिये गये संशोधन आय-कर अधिनियम में किये जायेंगे ।"

Substitution of new section for section 280X.

[98. Page 18, *for* lines 1 to 38, *substitute*—

31. For section 280X of the Income-tax Act, the following section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1967, namely:—

Liability to pay additional income-tax in certain cases

"280X. (1) Where in relation to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1967 or any subsequent assessment year, a depositor does not make any annuity deposit during the financial year immediately preceding such assessment year or such further period as may be allowed by the Income-tax Officer under the proviso to clause (ii) of sub-section (2) of section 280C, or the amount of annuity deposit made by him during the financial year or further period aforesaid falls short of the annuity deposit required to be made (which short-fall is hereafter, in this section, referred to as deficiency), he shall, in addition to the income tax payable by him for that assessment year, be liable to a further amount of income-tax calculated in the manner specified in sub-section (2) :

Provided that nothing contained in this section shall apply in a case where—

(a) such depositor is more than seventy years of age on the last day of the previous year relevant to the assessment year; or

(b) the total income of such depositor of the previous year relevant to the assessment year (the total income for this purpose being computed without making any allowance under section 280 (O) does not exceed twenty-five thousand rupees.

(2) The further amount of income-tax referred to in sub-section (1) shall be—

(i) in a case where the depositor does not make any annuity deposit, a sum equal to fifty per cent of the amount by which the amount of annuity deposit required to be made in respect of that assessment year exceeds the difference between—

(a) the tax payable by him on his total income, and

(b) the tax that would have been payable had his total income been reduced by the amount of annuity deposit required to be made;

(ii) in a case where the amount of annuity deposit made by him falls short of the annuity deposit required to be made, a sum equal to fifty per cent of the amount by which the amount of the deficiency exceeds the difference between—

(a) the tax payable by him on his total income, and

(b) the tax that would have been payable had his total income been reduced by the amount of the deficienncy.

Explanation.—In this section, the expression "annuity deposit required to be made" shall mean—

(i) the amount of annuity deposit calculated on the adjusted total income of the depositor at the rate or rates specified in the Finance Act of the relevant year, or

(ii) the amount by which the total income of the depositor for the relevant assessment year (such total income being computed without making any allowance under section 280O) exceeds twenty-five thousand rupees,

whichever is less.".

Consequential or minor amendments relating to annuity deposits in the income-tax Act.

32. The amendments directed in the Third Schedule shall be made in the Income-tax Act.]

श्री नारायण दांडेकर : मैं वार्षिकी जमा की परिवर्तित योजना का स्वागत करता हूं। आय-कर अधिनियम की धारा 280 व में आयुसीमा 70 वर्ष से कम कर के 60 वर्ष की जानी चाहिये। इसी प्रकार विकल्प की सीमा 25,000 की बजाय 50,000 होनी चाहिये। पूरी योजना आकर्षित बनाई जानी चाहिये। इस मामले के व्यावहारिक पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

98. पृष्ठ 18, पंक्ति 1 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये

धारा (280व) के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

31. आय कर अधिनियम की धारा 280 व के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी जो 1 अप्रैल, 1967 से प्रभावी होगी, अर्थात :—

"280व. (1) जब कोई जमाकर्ता 1 अप्रैल, 1967 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष अथवा बाद के किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कोई वार्षिकी जमा ऐसे कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व के वित्तीय वर्ष अथवा एसी अग्रेतर अवधि के दौरान, जिसकी अनुमति आय-कर अधिकारी द्वारा धारा 280 (ग) की उपधारा (2) के खण्ड (दो) के प्रस्तुत के अन्तर्गत की जाये, जमा नहीं करता अथवा वित्तीय वर्ष या उपरोक्त अग्रेतर अवधि के दौरान उस द्वारा जमा कराई गई वार्षिकी जमा की राशि अपेक्षित वार्षिकी जमा से कम होती है, (इस धारा में इस कमी को "न्यूनता" उल्लिखित किया गया है।) तो उसे उस कर निर्धारण वर्ष के लिये उस द्वारा देय कर निर्धारण वर्ष के अतिरिक्त उपधारा (2) में बताये गये तरीके से गणना की गई आय-कर की अग्रेतर राशि देनी होगी :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जिसमें :—

(क) ऐसे जमाकर्ता की आयु कर निर्धारण वर्षों से संगत पिछले वर्ष के अन्तिम दिन को 75 वर्ष से अधिक हो; अथवा

(ख) ऐसे जमाकर्ता की कर निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष की कुल आय (इस प्रयोजन के लिये कुल आय की गणना धारा 280 ण के अन्तर्गत कोई छूट दिये बिना की जायेगी) पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो।

(2) उप-खण्ड (1) में उल्लिखित आय-कर की अग्रेतर राशि –

(एक) ऐसे मामले में जिसमें जमाकर्ता कोई वार्षिकी जमा नहीं कराता, उस राशि का पच्चास प्रतिशत होगी जिससे उस कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि —

(क) उस द्वारा अपनी कुल जमा पर देय कर, तथा

(ख) यदि उसकी कुल आय अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि से घटाई जाती तो जो कर देय होता ;

के बीच अन्तर से अधिक हो ;

(दो) ऐसे मामले में, जिस में जमा कराई गई वार्षिक जमा की राशि अपेक्षित वार्षिकी जमा की राशि से कम हो, उस राशि का पच्चास प्रतिशत जिससे न्यूनता की राशि —

(क) उस द्वारा अपनी कुल आय पर देय कर, तथा

(ख) यदि उस की कुल आय न्यूनता की राशि से घटाई जाती तो जो कर देय होता, के बीच अन्तर से अधिक हो।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय में, "अपेक्षित वार्षिकी जमा" पद का अर्थ

(एक) संगत वर्ष के वित्त अधिनियम में उल्लिखित दर अथवा दरों पर जमा कर्ता की संमजित कुल आय पर निर्धारित वार्षिकी जमा की राशि; अथवा

(दो) वह राशि जिस से संगत कर-निर्धारित वर्ष के लिये जमाकर्ता की कुल आय (ऐसी कुल आय की धारा 280ण के अन्तर्गत कोई छूट दिये बिना गणना को जायेगी) पच्चीस हजार रुपये से अधिक हो,

जो भी कम हो, होगा

आय-कर अधिनियम में वार्षिकी जमा सम्बन्धी अनुषंगिक अथवा मामुली संशोधन

32. तृतीय अनुसूची में दिये गये संशोधन आय-कर अधिनियम में किये जायेंगे।"

Substitution of new section for section 280X

[98. Page 18, *for* lines 1 to 38 *substitute*—

31. For section 280X of the Income-tax Act the following section shall be substituted with effect from the lst day of April, 1967, namely:—

Liability to pay additional income-tax in certain cases

"280X. (1) Where in relation to the assessment year commencing on the lst day of April, 1967 or any subsequent assessment year, a depositor does not make any annuity deposit during the financial year immediately preceding such assessment year or such further period as may be allowed by the Income-tax Officer under the proviso to clause (ii) of sub-section (2) of section 280C, or the amount o annuity deposit made by him during the financial year or further period aforesaid falls short of the annuity deposit required to be made (which short-fall is hereafter, in this section, referred to as deficiency), he shall, in addition to the income-tax payable by him for that assessment year, be liable to a further amount of income-tax calculated in the manner specified in sub-section (2):

Provided that nothing contained in this section shall apply in a case where—

(a) such depositor is more than seventy years of age on the last day of the drevious year relevant to the assessment year; or

(b) the total income of such depositor of the previous year relevant to the assessment year (the total income for this purpose being computed without making any allowance under section 280 (O) does not exceed twentyfive thousand rupees.

(2) The further amount of income-tax referred to in sub-section (1) shall be—

(i) in a case where the depositor does not make any annuity deposit, a sum equal to fifty per cent of the amount by which the amount of annuity deposit required to be made in respect of that assessment year exceeds the difference between—

(a) the tax payable by him on his total income, and

(b) the tax that would have been pavable had his total income been reduced by the amount of annuity deposit required to be made;

(ii) in a case where the amount of annuity deposit made by him falls short of the annuity deposit required to be made, a sum equal to fifty per cent. of the amount by which the amount of the deficiency exceeds the difference between—

(a) the tax payable by him on his total income, and

(b) the tax that would have been payable had his total income been reduced by the amount of the deficiency.

Explanation.—In this section, the expression "annuity deposit required to be made" shall mean—

(i) the amount of annuity deposit calculated on the adjusted total income of the depositor at tne rate or rates specified in the Finance Act of the relevant year, or

(ii) the amount by which the total income of the depositor for the relevant assessment year (such total income being computed without making any allowance under section 280 (O) exceeds twenty-five thousand rupees,

whichever is less".

Consequential or minor amendments relating to annuity deposits in the Income-tax Act.

32. The admendments directed in the Third Schedule shall be made in the Income-tax Act.]

प्रस्ताव स्वीकृत हुवा ।/*The motion was adopted*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 तथा 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 31 तथा 32, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिये गये । /*Clauses* 31 *and* 32, *as amended were added to the bill*

खण्ड 33 से 36 विधेयक में जोड दिये गये ।/*Clauses* 33 *to* 36 *were added to the bill.*

खंड 37—(पांचवी अनुसूची का संशोधक)

Clause 37—(Amendment of Fifth Schedule)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 70 प्रस्तुत करता हूं । मेरे संशोधन का उद्देश्य 5 वीं अनुसूची में पांच और मदें जोड़ना है । मैं 28 वीं मद कोयला तथा लिग्नाइट जोड़ना चाहता हूं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : कोयला और लिग्नाईट वित्त संख्या (2) अधिनियम, 1965 की धारा 18 में शामिल है ।

श्री नारायण दांडेकर : औद्योगिक गैसों, गैस कटींग और वेलडींग उपकरण आदि उद्योगों को भी सूची में शामिल किया जाना चाहिये । इन्जीनियरींग उद्योगों के लिये इन का बहुत महत्व है । आशा है कि वित्त मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि इनको सूची में शामिल किया जाना आवश्यक है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यदि इन सब को सूची में शामिल कर लिए जाये तो वह एक सामान्य सूची ही बन जायगी । सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार की गई है ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 70 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*The amendment was put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/ *The motion was adopted.*

खण्ड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 37 was added to the Bill.*

खण्ड 38—(1953 के अधिनियम 34 का संशोधन)
Clause 38—(Amendment of Act 34 of 1953)

श्री मि० रु० मसानी (राजकोट) : मैं संशोधन संख्या 72 से 76 तक प्रस्तुत करता हूं।

पिछले वर्ष एक कानून बनाया गया था जिस के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि यदि कोई व्यक्ति उपहार देने के एक वर्ष के भीतर भीतर मर जाता है तो उपहार पर सम्पदा शुल्क लिया जायेगा। इससे पूर्व यह अवधि दो वर्ष की थी। स्वयं सरकारने ही यह महसूस किया था कि एक वर्ष का समय ठीक है परन्तु पता नहीं सरकार अब फिर क्यों इस अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष करना चाहती है। मेरे विचार में एक वर्ष की अवधि पर्याप्त है और मैं दो वर्ष की अवधि का विरोध करता हूं।

अभी दो वर्ष पूर्व ही सरकार ने सम्पदा शुल्क की दरों में वृद्धि की थी। अब पुनः सरकार इन दरों को बढ़ाना चाहती है। यह एक प्रकार की लूट है। रुस जैसे समाजवादी देश में भी उपहार कर अथवा सम्पदा शुल्क नहीं है। अिसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किये है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 38 में पहले भी संशोधन किया गया था और अवधि को कम करके एक वर्ष कर दिया गया था। इसलिये इससे अब पुनः संशोधन करना उचित नहीं है।

मुद्रा की घटी हुई दर को देखते हुए एक लाख रुपये की सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये। इस सुझाव पर वित्त मंत्री को ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे विचार में एक वर्ष की अवधि बहुत ही कम है। यदि इस अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष किया जाता है तभी कुछ संपदा शुल्क एकत्र किया जा सकता है। एक बात यह है कि संपदा शुल्क द्वारा एकत्र किये गये धन का कुछ भाग ही केन्द्र को मिलता है।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 72 से 76 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 72 से 76 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/ *The amendments No. 72 to 76 were put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 38 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 38 विधेयक में जोड़ा गया ।/*Clause 38 was added to Bill.*

खण्ड 39 से 42 विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 39 to 42 were added to Bill.*

खण्ड 43—(1964 के अधिनियम 7 का संशोधन)

Clause 43—(Amendment of Act 7 of 1964)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 27 तथा 77 प्रस्तुत करता हूं ।

यदि खंड 43 के उप-खण्ड (क) को अधिनियमित कर दिया जाता है तो इसका असाधारण परिणाम यह होगा कि कम्पनियों द्वारा दिया गया अतिरिक्त लाभांश कर उस कर योग्य आय में से घटाया नहीं जायेगा जो आय कम्पनी अतिरिक्त कर के लिये निर्धारित की जायेगी । यह एक अजीब प्रस्ताव है जिस में कम्पनियों से यह आशा की जाती है कि वे कर पर भी कर दें । उप-खंड (क) का संशोधन करके उसमे यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि "उपखंड (ख)" को हटा दिया जाये" ।

संशोधन 77 का सम्बन्ध खंड 43 के उप-खंड (क) से है । में चाहता हूं कि खंड 43 के 54 खंड (क) (दो) से "और सदा ऐसा समझा जायेगा" शब्दों को हटा दिया जाये ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : कम्पनियों के लाभांश कर में इसलिये कमी की गई है जिसे वे अधिक से अधिक लाभ दिखा सके तथा अपने व्यापार को बढ़ा सके । इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 27 तथा 77 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*The amendments were put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 43 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 43 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause 43 was added to the Bill.*

खण्ड 44—(विशेष सिमा-शुल्क)

Clause 44—(Special Duties of Customs)

श्री मि० रु० मसानी : खंड 44 का उद्देश्य एक और वर्ष के लिये वे विशेष सीमा शुल्क जारी रखना है जो कुछ समय पहले लागू किये गये थे । हम न केवल अतिरिक्त कर लगाये जाने के विरुद्ध हैं बल्कि इसमें करों का जो स्तर है हम उसके भी विरुद्ध हैं । लोगों को कुछ राहत देने तथा देश की आर्थिक शक्ति पुन: स्थापित करने के लिये भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों को कम किया जाना चाहिये ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : खंड 44 तथा 45 को प्रस्तुत करते समय मैं यही कहूंगा कि उनको जारी रखा जाना चाहिये और कि इनको स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । श्री मसानी ने जो सुझाव दिया है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 44 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 44 was added to the Bill.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 45 विधेयक का अंग बने ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं इस का विरोध करता हूं कि क्योंकि नियामक शुल्कों की पद्धति 17 फरवरी 1965 के तथाकथित छोटे आयव्ययक द्वारा पिछले वर्ष लागू की गई थी । ये शुल्क एक झूठी दलील के आधार पर लगाये गये थे और खंड 45 में इस दलील की पुनरावृत्ति की गई है । आयात की मनाही के लिये विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत सरकार के पास व्यापक शक्तियां हैं । इस प्रस्थापना के पक्ष में, कि नियामक सीमा-शुल्क आवश्यक हैं, वित्त मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है उसके कोई उचित कारण नहीं हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : खण्ड 45 में वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिये व्यापक शक्तियों की मांग की जाती है । इसलिये एक मूलभूत मामला उत्पन्न हो गया है । वित्तीय शक्तियों का इस प्रकार प्रत्यायोजन संसदीय संस्थाओं के स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है । सरकार के पास आयात कम करने के लिये बहुत व्यापक शक्तियां हैं । गत बजट के दौरान यह भी कहा गया था कि इस सब का उद्देश्य अतिरिक्त धन एकत्र करना भी है । परन्तु धन एकत्र करने का यह ढंग बहुत आपत्ति जनक है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : खंड 45 में शक्ति ग्रहण करने का वास्तविक कारण आयात स्थानापन्न वस्तुओं को प्रोत्साहन देना है । जब स्थानापन्न पूर्ण हो जायेगा तब नियामक शुल्कों की आवश्यकता नहीं रहेगी । परन्तु जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक कुछ विशेष वस्तुओं पर तथा कुछ विशेष मामलों में कुछ शुल्क लगाना ही पड़ेगा । नियामक शुल्क का एक लाभ यह है कि आवश्यकता न रहने पर इसको हटाया जा सकता है ।

सरकार यह शक्ति किसी कार्यपालिका आदेश या कार्यवाही द्वारा नहीं ले रही है । इस शक्ती के लिये सरकार संसद के समक्ष आई है । इसलिये डा० सिंघवी द्वारा की गई आपत्ति मेरी समझ में नहीं आ सकी है । वर्तमान परिस्थितियों में आयात का काम किया जाना आवश्यक है इसी लिये ये नियामक शुल्क लगाये गये हैं । उवर्रक तथा खाद्यान्न जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं पर यह शुल्क नहीं लगाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 46 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 46 was added to the Bill.*

खंड 47
Clause 47

श्री ही० ना० मूकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुब्बारायन (मदूरै) : मैं संशोधन संख्या 111 प्रस्तुत करता हूं ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

श्री मी० रु० मसानी : खंड 47 द्वारा चीनी, तम्बाकू, सिगरेट, डीजल तेल, रेयन तथा कृत्रिम रेशों, विरंजकों, गत्तों आदि जैसी वस्तुओं पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है । इस शुल्क से उन लोगों पर सीधा बोझ पड़ेगा जोकि इसे सहन नहीं कर सकते । ग्रे बोर्ड पर शुल्क के परिणामस्वरुप गजरात तथा महाराष्ट्र में लघु उद्योग के कई कारखानों के बन्द हो जाने का खतरा है । यदि शीघ्र

[श्री मी० रु० मसानी]

ही इस बारे में कुछ कार्यवाही न की गई तो बहुत से कारखाने बन्द हो जायेंगे और बहुत से लोग बेरोजगार हो जायेंगे इस प्रकार के कानून से आर्थिक प्रगति में बाधा पड़ेगी तथा अबतक हमने जो आर्थिक प्रगति की है वह नष्ट हो जायेगी। इसलिये इस खंड को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : जहां तक कर प्रस्तावों का सम्बन्ध है मुझे आशा नहीं है कि सरकार अधिक परिवर्तन करेगी। इससे धोने के और साफ करने के पाउडर तथा सामग्री बनाने वाले उन छोटे-छोटे कारखानों को उत्पादन शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिये। जिन छोटे एककों में छः से अधिक कर्मचारी नही है उनपर उत्पादन-शुल्क नही लगाया जाना चाहिये। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एकक देश के लगभग सभी भागों में हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : खंड 47 के अन्तर्गत बहुतसी उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि की जा रही है और इस से जन साधारण की कठिनाइयों में वृद्धि होगी। मूल्यों में पहले ही बहुत वृद्धि हो चूकी है इससे और अधिक वृद्धि होगी। इसके विरुद्ध समूचे देश में पहले ही आन्दोलन चल रहा है। **(अन्तर्बाधा)** वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस मामले पर पुनः विचार करें तथा देखें कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में नये कर लगाये जाना उचित है।

श्री सुब्बारायन (मदुरै) : मदुरै में टर्की रेड मामला एक कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में काम करने वाले लगभग सभी एक परिवार के लोग ही होते हैं। इस उद्योग के सामने पहले ही बहुत सी कठिनाइयां है। यदि यह शुल्क न हटाया गया अथवा इस उद्योग को मुक्त न किया गया तो इस उद्योग के लिये बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेगीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया जाये।

यदि आप इस तेल पर इतना कर लगाते रहे तो यह कारोबार इसे सहन नहीं कर सकेगा। फिर तो केवल 20 से 25 व्यक्ति इस कार्य को करने वाले रह जायेंगे। अब तक तो इसमें काफी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस लिये लोगों के रोजगार को ध्यान में ही रखते हुए, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे कर से मुक्त रखा जाये।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यदि खंड 47 को अपना लिया गया तो करों के कारण वह लोग बड़ी कठिनाई में होगें जो स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं। छोटा व्यक्ति तो इस से समाप्त हो जायेगा। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

श्री मल्लाइछामी (पेरियाकुलम): इस खंड के कारण टर्की लाल तेल के उत्पादकों को बड़ा घाटा होगा। इस कार्य को अधिक तर निर्धन लोग करते हैं और यह उद्योग पहले ही समाप्ति पर है। इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस उद्योग को कर से मुक्त किया जावे।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): मेरे मित्रों ने कहा है कि मैंने "ग्रे-बोर्ड" के बारे में जो प्रतिनिधि मंडल आये थे उसके बारे में कुछ नहीं किया। परन्तु मुझे याद है कि मै ने कुछ किया है। वैसे इसे वास्तव में "मिल बोर्ड" कहते हैं। उन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद कर की हद एक-तिहाई कम कर दी है अर्थात 42 से पैसे घटा कर 28 पैसे कर दी है। यह कार्यवाही अप्रैल के प्रारंभ में की थी।

जहां तक सफाई के सामान का सम्बन्ध है इसके बारे में भी मैंने निर्णय कर लिया है कि यदि इस कार्य को 8 व्यक्ति तक करते है और अपने हाथ से कार्य करते हैं, उन पर कोई कर नहीं लगेगा।

टुर्की लाल तेल के बारे में भी मने निर्णय दे दिया है कि उस पर भी कोइ कर नहीं लगाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 28 और 111 मत दान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए । *Amendments were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 47 विधेयक का अंग बने" ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ *The Lok Sabha divided.* **पक्ष में** 102 **विपक्ष में** 23
Ayes 102, *Noes* 23.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 47 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause* 47 *was added to the Bill.*

खंड 48 से 52 तक विधेयक में जोड दिये गये ।/*Clauses* 48 *to* 52 *were added to the Bill.*

खंड 53—(1963 के विधेयक 52 का संशोधन)
Clause 53—(Amendment of Act 52 of 1963)

संशोधन किये गये । /*Amendments made.*

पृष्ठ 31 पंक्ति 1 से 3 तक के स्थान पर यह रखा जाये—

53. भारतीय एकक न्यास अधिनियम, 1963 धारा 32 में—

(क) उप-धारा (1) में, खंड (ख) तथा स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात : "1 (99)"

53. In section 32 of the Unit Trust of India Act, 1963 —

(a) In subsection (1) for clause (b) and the (*Explanation* the following clause and *Explanation* should be substituted namely : "(99)"

पृष्ठ 31, पंक्ति 12 के बाद यह रखा जाये :

'(ख) उप-धारा (2) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात :

(ग) जब कोई एकक धारी जो कि अकेला है तथा भारत में निवास नहीं करता है, उसको किसी वित्तीय वर्ष में इन एककों से जो आय हुई है.....

(i) एक हजार रुपये से अधिक नहीं होता है, जो आय उसे मिलेगी उस में से न्यास आयकर नहीं काटा जायगा ;

(ii) एक हजार रुपये से अधिक होता है, न्यास सारी आय जो उसे मिलेगी उस पर 15 प्रतिशत के हिसाब से आय कर काटेगा" ।'

[श्री शचीन्द्र चौधरी]
[100]

'(b) in sub-section (2), *for* clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"(c) when in the case of a unit holder, being an individual who is not resident in India, the income in respect of units receivable by him from the trust during the financial year. . . . .

(i) does not exceed one thousand rupees, no deduction of Income-Tax shall be made by the Trust from the income distributed to him;

(ii) exceeds one thousand rupees, deduction of income-tax shall be made by the Trust from the whole of the income distributed to him at the rate of fifteen per cent of such income".

[Shri Sachindra Chaudhari]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : [100]

"कि खण्ड 53, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

खण्ड 53, संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया । / *Clause 53, as amended, was added to the Bill.*

प्रथम अनुसूचि

The First Schedule

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 36, "6,500 रुपये" के स्थान पर "7,000 रुपये" रखे जायें ।
पृष्ठ 33, पंक्ति 5, "3500 रुपये" के स्थान पर "4000 रुपये" रखे जायें ।
पृष्ठ 35, पंक्ति 34, "3500 रुपये" के स्थान पर "4000 रुपये" रखे जायें ।
पृष्ठ 35, पंक्ति 37, "3500 रुपये" के स्थान पर "4000 रुपये" रखे जायें ।
पृष्ठ 38, पंक्ति 14, "(65 प्रतिशत) 65 per cent" के स्थान पर (60 प्रतिशत) "60 per cent" रखा जाये ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं अपने संशोधन संख्या 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 84, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपना संशोधन संख्या 83 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ (कुचबिहार) : मैं अपने संशोधन संख्या 46, 47, 81, 82 और 85 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों तथा "यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया" के यूनिटों से होने वाली अनर्जित आय पर पहले ही जो छूट दी गई है वह छूट लाभांश से होने वाली अनर्जित आय पर भी दी जानी चाहिये ।

मुझे अचम्भा है कि व्यक्तियों, परिवारों तथा कारखानों पर विशेष अधिभार डाला जा रहा है । हम इसका इसी प्रकार विरोध कर रहे हैं जैसे प्रत्यक्ष करों के लगाने पर किया था ।

छोटे समवायों से सम्बन्धित "स्टैप" प्रणाली को खंड प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिये और छोटे दरों के खंड बनाये जाने चाहिये । 25,000 रुपये की बजाय 100,000 रुपये का खंड होना चाहिये ।

अतिरिक्त लाभांश कर लाभांश के साम्य पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर नहीं बल्कि लाभांश कुल प्रदत्त पूंजी, स्वतन्त्र रक्षित राशि और शेयर प्रीमियम खाते सहित पूंजी रिजर्व के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर देय होना चाहिये । अतिरिक्त लाभांश कर के सिद्धांत का स्वतन्त्र आधार होना चाहिये और उस आधार का सम्बध भारिल पूंजी से होना चाहिये न कि केवल प्रदत्त साम्य पूंजी से ।

इस देश के हित के लिये, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद स्वामित्व करारों तथा तकनीकी सहायता शुल्क करारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिये । उन पर कर की भिन्न और कम कर लागू होनी चाहिये । करों की कम दर इस बात को ध्यान में रखे बिना लागू होनी चाहिये की क्या स्वामित्व के सम्बन्ध में करार 31 मार्च 1961 से पहले और तकनीकी सहायता शुल्क के 29 फरवरी 1964 से पहले के हैं । यह विभेद समाप्त कर दिये जाने चाहिये ।

विदेशी कम्पनियों पर कर के बारे में राष्ट्र के लोलुपता की गई सीमा होनी चाहिये । हमें भारतीय कम्पनियों की तुलना में विदेशी कम्पनियों पर ही हमेशा कर की दर नहीं बढ़ाते रहना चाहिये । कुछ अधिक दर तो उचित हैं परन्तु जब प्रस्तावित दर 70 प्रतिशत हो, तो यह बहुत अधिक है ।

विभिन्न आय पर उद्गम पर लिये जाने वाले कर में सभी स्तरों कमी होनी चाहिये ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मेरे संशोधन का सम्बन्ध जीवन बीमा निगम पर लगाये गये कर से है । म चाहता हूं कि यह कर अधिक नहीं किया जाय । यह दर वहा ही होनी चाहिये जहां अब है अथवा 47.5 प्रतिशत होनी चाहिये । जीवन बीमा निगम पर लगने वाला कर बीमा कराने वाले छोटे लोगों पर पड़ेगा और इस प्रकार बीमा कराने वालों को मिलने वाला लाभ कम होगा । दूसरे इस प्रकार निगम के लिये रिज़र्व बनाना और किस्त की दर कम करना सम्भव हो जायेगा । जीवन बीमा निगम के बारे में प्रस्तावित परिवर्तन करना बीमा कराने वालों के लिये हानिकारक होगा । इस लिये इसे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ताकि बीमा कराने वालों को हानिकारक न हो ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : रजिस्टर्ड फर्म पर, दोगुना कर लगा दिया गया है । यह बहुत ही सख्त बात है हमारे करों की व्यवस्था की । मेरी समझ में नहीं आता मंत्री महोदय इसे क्यों लागू किये हुये है ।

मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्टर्ड फर्मों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है । हमारी कराधान पद्धति मे कई त्रुटिया हैं और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि रजिस्टर्ड फर्मों पर भेदभाव पूर्ण दोहरा कर न लगाया जाय ।

श्री मुरारका (झुंझनु) : एक ही परिवार की कम्पनियों और सरकारी कम्पनियों में कराधान की मल दरों में भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है । यदि यह भय हो कि एक ही परिवार की कम्पनियां अधिकर बचायगी तो उनसे सभी लाभ आवश्यक रूप से लाभांश के रूप में वितरित करने को कहा जा सकता है और इस प्रकार अंशधारियों पर उस लाभांश पर का लगाया जा सकता है । यदि कम्पनी लाभांश नहीं देगीं तो उन पर दंड-शुल्क लगाया जा सकता है । धारा 104 कम्पनियों की तीन श्रणियां हैं और तीनों में करों की दर भिन्न है जो कम से कम 50.6 प्रतिशत है और अधिक से अधिक 65 प्रतिशत । एक ही धारा के अन्तर्गत इन तीनों प्रकार की कम्पनियों के बारे में करों में भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है । यदि कुल आय एक लाख रुपये होती है और उसमें पांच भागीदार होते हैं तो

[श्री मुरारका]

सहकारी समिति को कुल कर 34,500, गैर-रजिस्टर्ड फर्म को 47,500,रजिस्टर्ड फर्म को 18,000, सरकारी कम्पनी को 60,000 और एक परिवार की कम्पनी को लगभग 70,000 रुपये देने पड़ते हैं। इस प्रकार एक परिवार की कम्पनी को सबसे अधिक कर देना पड़ता है । यह बात उचित नहीं है । इस अन्याय को सरकारी संशोधन द्वारा केवल अंशिक रूप से कम किया गया है ।

अब समय आ गया है जब कि निगमित क्षेत्र में सरकार काराधान पद्धति की बारीकी से जांच करे । करों में सामान्यत: वृद्धि हुई है । यदि सरकार की यही नीति है कि नयी कम्पनियां बनाई जाय तो वह इन निगमित कम्पनियों के प्रति बड़ा कड़ा रूख अपना रही है । वित्त मंत्री महोदय ने इस वर्ष रजिस्टर्ड फर्मों को छोड़ कर अन्य सभी कम्पनियों पर कर बढ़ाया है । रजिस्टर्ड फर्मों पर भी कर बढ़ाने को क्यों उचित नहीं समझा गया। करों में बड़ा अन्तर है। इस बारे में अन्तर को दूर किया जाना चाहिये ।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : मेरे संशोधन सहकारी समितियों पर कराधान प्रस्तावों के बारे में हैं। सहकारी समितियों की आय पर कर लगाने के विरूद्ध कई बार आवाज उठाई गई है । सहकारी समितियों द्वारा लाभांश का वितरण भी सीमित है । यदि सभी सहकारी समितियों को एक ही 'स्वीप' में रख दिया गया तो इससे वे बचत करने में निरुत्साहित होंगी और मितव्ययता भी नहीं कर सकेंगी और प्रशासन में कुशलता भी नहीं बढ़ पायेगी। इस प्रश्न की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये ।

संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों को कुछ प्रत्याभूतियां दी गई है। उनको कुछ संरक्षण दिया गया है । लेकिन इन कर नियमों में अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की वन श्रमिक सहकारी समितियों और दूसरी सहकारी समितियों में कोई अन्तर नहीं रखा गया है । इसलिये ये सहकारी समितियां बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम कर रही है । उनको लाभ कमाने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है ।

सरकार को इन पहलुओं पर विचार करना चाहिये। सभी सहकारी समितियों को एक ही 'स्वीप' में न रखा जाय। विशेषत: रूपसे वन सहकारी समितियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मुझ आशा है कि मेरे संशोधनों का, जिनका उद्देश कम आय-वाले और मध्य आय वाले वर्गों को छूट देना है, सभी ओर से स्वागत किया जायगा। मैं चाहता हूं कि छूट की सीमा 4000 से बढ़ा कर 6000 कर दी जाय और अविभक्त हिन्दू परिवार की आयकी छूट की सीमा 6000 से बढ़ाकर 9000 कर दी जाय। पिछले कुछ वर्षों में निर्वाह व्यय में काफी वृद्धि हुई है और रुपये का मूल्य भी काफी कम हो गया है।

पिछड़े क्षत्र और पवतीय क्षत्र इस कर-परिधि में नहीं आते। हम इस क्षत्रों के विकास पर करोड़ों रुपये खर्च करते है। फलस्वरुप इन क्षत्रों में बहुत से लोग धनी हो गये है। इन धनी व्यक्तियों पर आय-कर लगाया जाय।

यह बात समझ में नहीं आती कि कम्पनी द्वारा बनाये गये रिजर्व पर अधिक लाभांश कर क्यों नहीं लिया जाता। रिजव धनको हमेशा कम्पनी के पूंजी आधार का ही एक अंग माना जाता है। अत: कम्पनी के स्वत: रिजव धन के साथ प्रदत्त साम्य अंश पूंजी पर लगाये गये 10 प्रतिशत के अतिरिक्त वितरण पर भी लाभांश कर लगाया जाना चाहिय।

व्याख्या 1 (ख) में "पहले वर्ष के प्रथम दिन के' स्थानपर "लाभांश के वितरण का दिन" शब्द रखे जाये ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोंडा) : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सिक्योरिटियों पर प्राप्त ब्याज को अर्जित आय माना जाता है। इसी प्रकार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के युनिटों से प्राप्त आय को अर्जित आय माना जाता है। किसी भी शेयर पर प्राप्त लाभांश से होने वाली आय को भी अर्जित आय माना जाय।

पिछले वर्ष और इस वर्ष लगाये गये करों के कारण कोई नयी कम्पनियां स्थापित नहीं हो रही हैं। यदि शेयर पर लाभांश से होने वाली आय को अर्जित आय माना लिया जाय तो इससे लोगों को शयरों में धन लगाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं इनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन (संख्या 101, 102, 103, 104 और 105) सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

101 पृष्ठ 32, पंक्ति 36 "Rs. 6,500" ["6,500 रुपये"] के स्थान पर "Rs. 7,000" ["7,000 रुपये"] रखे जायें।

102 पृष्ठ 33, पंक्ति 5, "Rs. 3,500" ["3,500 रुपये"] के स्थान पर "Rs. 4,000" ["4,000 रुपये"] रखे जायें।

103 पृष्ठ 35, पंक्ति 34, "Rs. 3,500" ["3,500 रुपये"] के स्थान पर "Rs. 4,000" ["4,000 रुपये"] रखे जायें।

104 पृष्ठ 35, पंक्ति 37, "Rs. 3,500" ["3,500 रुपये"] के स्थान पर "Rs. 4,000" ["4,000 रुपये"] रखे जायें।

105 पृष्ठ 38, पंक्ति 14, "65 प्रतिशत" के स्थान पर "60 प्रतिशत" रख जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

अन्य सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची संशोधत रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

प्रथम अनुसूची, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।/*The first schedule as amended, was added to the Bill.*

दूसरी अनसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।/*The second schedule was added to the Bill.*

तृतीय अनुसूची (नयी)

संशोधन किया गया :

तृतीय अनुसूची (नयी) : 106 पृष्ठ 43, पंक्ति 9 के बाद यह जोडिये—

तृतीय अनुसूची

(धारा 32 देखिये)

आय-कर अधिनियम में अग्रेतर संशोधन

धारा 156—1 अप्रैल, 1967 से "(अध्याय 22-क में निर्दिष्ट वार्षिकी जमा सहित)" निकाल दीजिये ।

धारा 246-खंड (ण) में—

1 अप्रैल 1967 से

(क) उप-खंड (5) में "अथवा" निकाल दीजिये;

(ख) उप-खंड (6) निकाल दीजिये,—

धारा 280 ङ—वर्तमान **स्पष्टीकरण** को **स्पष्टीकरण** ।

संख्या दीजिये और उसके बाद यह जोडिये—

"**स्पष्टीकरण 2** : इस धारा और धारा 280 चे से 280 झ तक के उपबन्ध 1 अप्रैल 1966 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा उसके बाद के किसी वित्तीय वर्ष के लिये लागू नहीं होंग ।"

1 अप्रैल, 1966 से धारा 280 अ, 280 ट, 280 द और 280 न निकाल दीजिये ।

धारा 280 –ड— 1 अप्रैल, 1967 से उपधारा (2) के स्थान पर यह रखा जा ए—

"(2) जब किसी खातेदार ने किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये कोई धनराशि जमा की हों जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन उसे जमा न करना हो अथवा उस वर्ष के लिये उक्त उपबन्धो के अधीन जमा की जाने वाली रकम से अधिक हो तो वह पूरी रकम अथवा ज्यादा रकम धारा 280 ब के अधीन बनाई गई योजना में उल्लिखित रूप में लौटा दी जा सकती है या अन्य किसी प्रकार से उसका तालमेल बैठाया जा सकता है ।"

धारा 280 थ के स्थान पर यह रखा जाये—

रकम का पूरा पूरा करना—"280. थ । इस अध्याय के अन्तर्गत जमा की जाने वाली कोई रकम 10 रुपये के निकट तम गुणित तक पूरी पूरी की जायगी और इस प्रयोजन के लिये पैसे के रुप में रुपये के किसी भी भाग को छोड़ दिया जायगा और इसके बाद उस रकम में यदि अन्तिम आंकडा पांच या उससे अधिक हो तो वह रकम दस के अगले-गुणित तक बढ़ा दी जायगी और यदि अन्तिम आंकडा 5 से कम हो तो वह रकम दस की अगली निम्न रकम के गुणित तक घटा दी जायगी ।"

धारा 280 ब—उप-धारा (2) के खंड (क) के बाद यह रखा जाये—

"(कक) एसे मामलों जिनमें, वे परिस्थितियां जिनके अधीन और जिन शर्तों के अधीन आयकर अधिकारी धारा 280 ग की उपधारा (2) के खंड (ii) के परन्तुक के अधीन खातेदार कर-निर्धारण वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद और अधिक जमा करने की अनुमति दे सकता है ।"

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

The Third Schedule (New)

Amendment made :

Third Schedule (New).—[106. Page 43, *after* line 9, *insert*—

THE THIRD SCHEDULE

(See section 32)

Further amendments in the Income-tax Act

Section 156.—Omit "(including annuity deposit referred to in Chapter XXII-A)" with effect from the 1st day of April, 1967.

Section 246.—In clause (o).—

(a) in sub-clause (v), omit "or";

(b) omit sub-clause (vi).—

With effect from the 1st day of April, 1967.

Section 280*E*.—Renumber the existing *Explanation* as *Explanation* 1, and after *Explanation* 1 as so renumbered, *insert*—

"*Explanation* 2.—The provisions of this section and of sections 280-F to 280-I shall not apply in respect of the financial year commencing on the 1st day of April, 1966 or any subsequent financial year.".

Omit sections 280J, 280K, 280R and 280T with effect from the 1st day of April, 1967.

Section 280M.—For sub-section (2), substitute with effect from the 1st day of April, 1967.—

"(2) Where any depositor has deposited any amount for any assessment year which he is not liable to deposit under the provisions of this Chapter or which is in excess of the amount required to be deposited under the said provisions for that year, then, the entire amount or excess amount, as the case may be, may be refunded, adjusted or otherwise dealt with in such manner and having regard to such factors as may be specified in a scheme framed under section 280W."

For section 280Q, *substitute*.—

"280Q. *Rounding off*.— The amount of any deposit to be made under this Chapter shall be rounded off to the nearest multiple of ten rupees and for this purpose any part of a rupee consisting of *paise* shall be ignored and thereafter if such amount is not a multiple of ten, then, if the last figure in that amount is five or more, the amount shall be increased to the next higher amount which is a multiple of ten and if the last figure is less than five, the amount shall be reduced to the next lower amount which is a multiple of ten.".

Section 280*W*.—After clause (a) of sub-section (2), *insert*.—

"(aa) the cases in which, the circumstances under which and the subject to which the Income-tax Officer may, under th clause (ii) of sub-section (2) of section 280C allow a make a deposit or a further deposit after the expiry of the fin immediately preceding the assessment year;."]

[Shri Sachindra

अनुसूची विधेयक में जोड दी गयी ।/*The Third schedule was added to the*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

खंड 1, अधिनियमन सुत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोडे गये ।

Clause 1, *the Enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रंगा (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय सरकार ने सब पर आयकर लगा दि वह दे सकता हो या नहीं । यह इसलिये किया गया है कि सरकार को धन की आ यह अनुचित बात है । वित्त मंत्री देश की जनता से 87 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसू प्रयत्न कर रहे हैं । जीवन बीमा निगम और हथकरघा बुनकरों को भी आयकर से दी गयी है ।

क्या इस बात की कोई गारंटी है कि यह वृद्धि अंतिम है । तीन वर्ष पूर्व मैने य वाणी की थी कि सरकार के लिये करों का बोझ घटना संभव नहीं होगा और व हो रही है । क्या अगले वर्ष अतिरिक्त कर नहीं लगाये जायेंगे ? अगले वर्ष यह ह हो सकता है ।

सरकार जिन सरकारी उपक्रमों की सहायता करती है, लोग उनकी गलत और उनमें होने वाली हानि से तंग आ चुकी है । पूंजीपतियों की सहायता करने के रण गरीब व्यक्तियों को, जिनके लिये रुपये का बड़ा महत्व है, न लूटा जाय । सरकार से कहे कि वे "शेयर मार्केट" में जाएं और अपनी सफलताएं बताकर स्वयं धन एकत्र क लोगों से धन लेकर उद्योगपतियों को इस लिये देना चाहती है कि इसमें वृद्धि हो । ले में होता यह है कि यह धन उन व्यक्तियों को दिया जाता है जहां इसका मूल्य केवल है । ऐसे लोगों को धन देने की बजाय सरकार को चाहिये कि वह वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और देश भर में सहकारी समितियों को धन दे ताकि वे किसानों को ब्याज दरों पर ऋण देकर उनकी सहायता कर सकें । धन वहां दिया जाये जहां इसकी है । दूसरी ओर धन बोकारो जैसे खेत हाथियों को पालने के लिये दिया जा रहा यह 100 करोड़ रुपये से आरम्भ किया गया था । बाद में समझा गया कि इस पर

रुपये खर्च होंगे और अब इस पर 900 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। लेकिन उन्होंने रूसियों को यह बताने की भी हिम्मत नहीं की कि उनका अनुमान गलत निकला क्यों कि वे समझते थे कि इस बात से रूसी लोग नाराज हो जायेंगे।

धन को ठीक ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारें धन का दुरुपयोग कर रही हैं और बहुत सा धन अपव्यय कर रही हैं। इस बारे में रिजर्व बैंक ने भी भारत सरकार को चेतावनी दी है। अब समय आ गया है जब कि वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल से अधिक अधिकार प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें अपव्यय न कर सकें।

वित्त मंत्री मुद्रास्फीती कम करना चाहते है। लेकिन पी० एल० 480 के रहते हुए इसको किस प्रकार कम किया जा सकता है।

हमारी सीमाओं पर गड़बड़र है। चीन ओर से भी लगतार गड़बड़ी का भय है। हमे प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी के लिये अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है। वित्त मंत्री आश्वासन दें कि वह अनुपूरक बजट प्रस्तुत नहीं करेंगे। वह यह आश्वासन दें कि कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाये जायेंगे। अतिरिक्त कर से बचने का उपाय खर्च में कमी करना है। खर्च में तब तक कमी नहीं की जा सकती है जब तक केन्द्रीय मत्रिमण्डल और राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री खर्च कम करने के लिये दृढ़ संकल्प नहीं होते। सरकार को चाहिये कि जनता से लिया गया हर रुपया दस रुपये के बराबर समझे। अब तक सरकार इसको दस पैसे के बराबर समझती रही है। यदि सरकार वास्तव में एक सभ्य लोकतंत्रीय सरकार बनाना चाहती है तो इसको गलत नीति और जनता विरोधी नीतियों को छोड़ना होगा।

श्री दाजी (इंदौर) : इस वित्त विधेयक से मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी और मूल्यों में वृद्धि होगी।

प्रशासन में व्यय बहुत अधिक हो रहा है और काम बहुत कम हो रहा है। वित्त मंत्री कभी कभी कर्मचारियों को मिली कुछ सुविधाओं में कमी करके प्रशासनिक व्यय में कमी करना चाहते हैं जैसा उन्होंने हाल ही में सरकारी कर्मचारीयों के समयोपरि कार्य के लिये भत्ते में कमी की है। मूल्यों में वृद्धि को रोके बिना समयपरी कार्य के लिये भत्ते में कमी करना संकट का आव्हान करना है। इससे हड़तालें होंगी और प्रदर्शन होंगे।

देश में विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। लोक-सभा के अध्यक्ष को इलाज के लिये केवल दस पौंड मंजूर किये गये जब कि 'न्यूयार्क टाइम्स' के एक विशेष संस्करण के प्रकाशन के लिये जिसमें केवल कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने अपनी ही प्रशंसा की थी, 80,000 डालर मंजूर किये गये। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार ने स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

बनाये जाने वाले सब विधानों में कई त्रुटियां होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेसर्स बेरीयम केमिकल्स लिमिटेड के मामलो में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करना चाहती है। सरकार को ऐसा विधान बनाना चाहिये जिसमें कोई त्रुटि न हो।

श्री गोयंनका के पास से जो सोना पकड़ा गया है उसके बारे में उसने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहायक बैंक इन्दौर के बैंक आँफ इन्दौर में पहले भी तिथि में खाते में लिखा हुआ बताया हुआ है। यह व्यक्ति इन्दौर में नहीं रहता और न ही उसका वहां कोई व्यवसाय है। यह सोना उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है। पहले की तिथी में उसने बैंक के रजिस्टर में लिखाया है कि 38 लाख रुपये के सोने की घोषणा की गयी है लेकिन इस घोषणा को बैंक के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है और इस पर बैंक के मैनेजर के हस्ताक्षर भी नहीं है। केवल एक क्लर्क के हस्ताक्षर है। इस बारे में मैने कुछ पडताल की है और यदि वित्त मंत्री जांच करें तो मैं उनकी सहायता करूंगा। बैंक का क्लार्क उन दिनों, जिस दिन उसने हस्ताक्षर किये हैं, चार दिन की छुटी पर था। इस बारे में पुरी जांच की जाये।

[श्री दाजी]

धनी और निर्धन वर्गों के बीच की खाई और गहरी हो गयी है। इसलिये सरकार की सभी आर्थिक नीतियों का नवीकरण किया जाये ताकि देश के पिछड़े वर्गों की ओर तत्काल ध्यान दिया जा सके। जब तक दलित वर्गों को खुशहाली के न्यूनतम स्तर तक नहीं लाया जायगा, देश की सारी प्रगति रुकी रहेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : वित्त मंत्री एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति हैं लेकिन वह पुरानी परम्पराओं से बंधे हुए हैं और इसलिये सहायता नहीं कर सकते हैं। हमारी आर्थिक नीतियां अनिश्चय पर आधारित हैं और वहीं चल रही हैं। जब तक प्रशासन में सुधार नहीं किया जायगा। जनसाधारण समृद्धि की आशा नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय इस समय रुपये का कोई महत्व नहीं रह गया है। यह बड़ी चिंता की बात है। हमारी अर्थव्यवस्था घाटे की चल रही है। वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मुद्रास्फिति हो रही है। जब तक मुद्रास्फीत और घाटे की अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, हम आत्म-निर्भर होने की आशा नहीं कर सकते। देश के विभिन्न भागों में मुख्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। कई जगह पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, खाद्य स्थिति पहले ही बिकट है। जब तक मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जायेगी जब तक जन साधारण को समृद्धि के न्यूनतम स्तर तक नहीं उठाया जा सकता और निर्वाह-स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। स्वर्ण नियंत्रण आदेश को समाप्त करने के बारे में विचार किया जाय और यदि आवश्यक हो तो इस पर विचार के लिये संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जाय। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। इससे बेरोजगारी फैली है लेकिन न तो तस्करी ही रुकी है और न देश की अर्थ व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है। जब तक बिक्री कर समाप्त नहीं किया जायगा, जब तक बिक्री कर को उत्पादन-शुल्क में नहीं बदला जायगा और जब तक समुचे कर ढांचे का नवाकरण नहीं किया जायगा तब तक वित्त मंत्री को इन तीखे प्रश्नों का उत्तर देते रहना होगा।

Shri Sheo Narain (Bansi) : I would request the hor. Finance Minister to give some concessions to the poor people of this country. All the restrictions should be removed. The salaries of the teachers should be increased. The Government: hould give proper attention to the security of border areas. There should be no relaxation in this regard. The Defence of India Rules should remain in force till the external danger lasts. The rate of interest of 9-12 per cent is very high and it should be reduced to 7 per cent.

श्री शचीन्द्र चौधरी : स्वर्ण नियन्त्रण को जारी रखने के कुछ कारण हैं, परन्तु मैं फिर भी इस मामले पर पुन: विचार करने के लिये तैयार हूं। यदि आवश्यक हुआ तो इस पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जायेगी।

स्वर्ण नियन्त्रण का उद्देश्य जनता में सोने के लिये जमा लोगों की आमंत्रण को कम करना है ताकि धन को अन्य प्रयोजनों में लगाया जा सके। स्वर्ण नियन्त्रण का वास्तविक उद्देश्य केवल सोने के तस्कर व्यापार को बन्द करना ही नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जहां तक सोने का सम्बन्ध है, यदि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को वापस ले लिया जाता है तो उस सारे धन से जिसपर उन्होंने कर नहीं दिया है अथवा जो उन्होंने चोर बजार से कमाया है, सोना खरीद लेंगे। ये बातें है जिनके कारण यह आशंका उत्पन्न होती है कि क्या इस आदेश को वापस ले लेना चाहिये।

हम इस मामले की जांच करेंगे जिसमें एक उद्योगपति से 37 लाख रुपये का सोना बरामद किया गया और रजिस्टर में किसी पिछली तारीख में यह दिखा दिया गया कि इस सोने की घोषणा की गई थी।

मैं अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये कुछ कहना चाहता हूं। इस सभा मे कहा गया कि एक परिपत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा आयकर आयुक्तों से कहा गया कि वे छापे न मारें। कार्यभार संभालते ही मैंने यह महसूस किया कि कुछ मामलों में आयकर अधिकारी बिना पर्याप्त कारणों के छापा मारते हैं। इसलिये एक परिपत्र जारी किया गया था कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसा करने के लिये ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य है जिसके आधार पर वे अग्रेतर कार्यवाही कर सकें।

एक मामले में 31 लाख रुपये के आयकर की बकाया राशि नये खाते में डालने का उल्लेख किया गया है। इस मामले के तथ्य ये हैं कि लगभग 54 लाख रुपये का एक दावा था। इसको इस शर्त पर निपटाया गया था कि एक समय में अर्थात्, तीन वर्ष में 22½ लाख रुपये का भुगतान किया जाये। इस राशि का भुगतान 1964 में किया गया था। 31 लाख रुपये की शेष राशि के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री पर जिस बात का प्रभाव पड़ा था वह था कि यदि इस व्यक्ति को कारोबार चलाने तथा जो कुछ उसके पास है उसे उसके पास ही रहने दिया जाये तो इससे हमे उससे अधिक कर मिल सकेंगे। परन्तु यदि हम उससे यह राशि ले लेते हैं तो उनकी सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए इसकी वसूली नहीं हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किये जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

सदस्यों की रिहाई
RELEASE OF MEMBERS

श्री उमानाथ और श्री नम्बियार
Shri Umanath and Shri Nambiar

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को अधीक्षक सेन्ट्रल जेल, कुड्डालोर से 2 मई, 1966 का निम्न पत्र प्राप्त हुआ है :

"मुझे आपको यह सूचना देनी है कि श्री उमानाथ और श्री नम्बियार को विरोध आदेश के रद्द किये जाने पर आज रिहा कर दिया गया है।"

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 6 मई, 1966 17 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May, 6 1966/ Vaisakha 17, 1888 (Saka).

भा. स. मु. ना.—वि. 2—69 लोक सभा/66—14-10-67—565